विदेशी विनिमय

संपादक
श्रीदुलारेलाल भार्गव
(माधुरी-संपादक)

गंगा-पुस्तकमाला का उनसठवाँ पुष्प

विदेशी विनिमय

(FOREIGN EXCHANGE)

[भारतवर्षीय हिंदी-अर्थशास्त्र-परिषद् द्वारा स्वीकृत और संशोधित]

लेखक

दयाशंकर दुबे एम्० ए०, एल्-एल्० बी०

अर्थशास्त्र-अध्यापक, लखनऊ-विश्वविद्यालय



प्रकाशक

गंगा-पुस्तकमाला-कार्यालय

२९-३०, अमीनाबाद-पार्क

लखनऊ

प्रथमावृत्ति

सजिल्द १॥)] सं० १९८२ [सादी १)

प्रकाशक
श्रीछोटेलाल भार्गव बी० एस्-सी०, एल्-एल्० बी०
गंगा-पुस्तकमाला-कार्यालय
लखनऊ



मुद्रक
श्रीकेसरीदास सेठ
नवलकिशोर प्रेस
लखनऊ

विदेशी विनिमय



पंडित गनपतरावजी-देवेश्वरजी दुबे

श्रीमान्

परम पूजनीय

पंडित गनपतरावजी-देवेश्वरजी दुबे

के

कर-कमलों में

सादर समर्पित

दयाशंकर दुबे

वक्तव्य

हिंदी-संसार में अर्थशास्त्र-विषयक लेखकों की बहुत कमी है, और उनमें भी ऐसे लेखक तो उँगलियों पर ही गिने जा सकते हैं, जो इस विषय पर, अधिकार-पूर्वक, शुद्ध, सरल और उपयुक्त भाषा में, पुस्तक-प्रणयन कर सकते हों। इस पुस्तक के लेखक पं० दयाशंकरजी दुबे इन्हीं इने-गिने लेखकों में हैं। आप उन लेखक-रूपी मशीनों में से नहीं, जिन्हें सोचने-विचारने की आवश्यकता नहीं पड़ती और जिनके द्वारा जो कुछ इधर-उधर की सामग्री सामने आई, उसी से पुस्तक-रूपी पदार्थ सहज ही तैयार हो जाते हैं। आप जो कुछ लिखते हैं, खूब अध्ययन और चिंतन करके लिखते हैं। यही कारण है कि आपकी रचनाएँ उच्च कोटि की होती हैं, और हिंदी-साहित्य-संसार में एक विशेष स्थान की अधिकारिणी हैं। माधुरी, सरस्वती आदि पत्र-पत्रिकाओं में प्रकाशित आपके गवेषणा-पूर्ण लेख हमारे इस कथन के प्रमाण हैं।

दुबेजी का जन्म सं० १९५३ वि० में, श्रावण-कृष्णा चतुर्थी को, खँडवा (ज़िला निमाड़) में, हुआ। आपके पिता पंडित बलरामजी दुबे बहुत सज्जन और प्राचीन परिपाटी के सनातनधर्मी हिंदू हैं। उनका यही गुण दुबेजी में भी वर्तमान

है। दुबेजी की प्रारंभिक शिक्षा मध्य-प्रांत में हुई। सन् १९१३ ई० में आप मैट्रिक की परीक्षा में उत्तीर्ण हुए, और सन् १९१७ में जबलपुर के रॉबर्टसन-कॉलेज से आपने बी० ए० की परीक्षा पास की। एक वर्ष नागपुर में रहने के पश्चात् अर्थ-शास्त्र का विशेष रूप से अध्ययन करने के लिये आप सन् १९१८ में प्रयाग आए। वहाँ के ईविंग क्रिश्चियन कॉलेज से, सन् १९१९ में, आपने अर्थ-शास्त्र में एम्० ए० पास किया। इस परीक्षा में सर्वोच्च स्थान प्राप्त करने के कारण आप एक वर्ष प्रयाग-विश्वविद्यालय के अर्थशास्त्र-विभाग में रिसर्च-स्कॉलर रहे। फिर १९२० से २ वर्ष तक, ईविंग क्रिश्चियन कॉलेज में, अर्थ-शास्त्र के अध्यापक के पद पर आसीन रहे। वहाँ से आपने सन् १९२२ में, ठीक उन्हीं दिनों, जब कि माधुरी का प्रादुर्भाव हुआ, लखनऊ-विश्वविद्यालय में पदार्पण किया। यहाँ आप अर्थ-शास्त्र, राष्ट्रीय आय-व्यय-शास्त्र, अंक-शास्त्र तथा भारतीय शासन के अध्यापक नियत किए गए। लखनऊ आने के पश्चात् ही हमें आपसे परिचय-लाभ करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, और अब यह परिचय मैत्री में परिणत हो गया है।

सन् १९२० में दुबेजी ने 'A Study of the Indian Food Problem'-नामक निबंध लिखा। इससे इनकी कीर्ति-पताका बहुत दूर तक फैल गई, और प्रो० काले, सर एम्०

विश्वेश्वरय्या प्रभृति अर्थ-शास्त्र के धुरंधर विद्वानों ने अपने निबंधों में इनके इस लेख के अंश उद्धृत किए हैं । इसके अतिरिक्त अँगरेज़ी में आपने The Way to Agricultural Progress in India नाम की पुस्तक तथा Inequality of Taxation in India, Indian Currency Problems आदि निबंध भी लिखे हैं । इन्हें पढ़ने से आपके अर्थ-शास्त्र-विषयक प्रकांड पांडित्य का पता चलता है। गत वर्ष जो Indian Economic Enquiry Committee बैठी थी, उसमें लखनऊ-विश्वविद्यालय के डॉक्टर राधाकमल मुकर्जी के साथ-साथ साक्षी देने का असामान्य सम्मान इन्हें भी मिला था । यह कम गौरव की बात नहीं । इसके लिये हम अपने मित्र दुबेजी का हृदय से अभिनंदन करते हैं । हिंदी-संसार में अर्थशास्त्र-विषयक लेख लिखनेवालों का, जैसा हम शुरू ही में कह आए हैं, अत्यंत अभाव है । ऐसी स्थिति में इतने उच्च कोटि के विद्वान् का हिंदी को अपनाना बड़े सौभाग्य की बात है । हिंदी में इस पुस्तक के अतिरिक्त और अनेक पुस्तकें आपने लिखी हैं, जिनमें (१) भारत में कृषि-सुधार, (२) भारत के उद्योग-धंधे, (३) भारत की मनुष्य-गणना आदि विशेष महत्त्व-पूर्ण हैं । आप अभी अल्पवयस्क हैं, पर इतने थोड़े समय ही में यथेष्ट ख्याति प्राप्त कर चुके हैं । इनका अध्यवसाय देखकर हमें आशा हो

रही है कि शीघ्र ही यह अपना यश-सौरभ दिगंत में प्रसारित कर भारत का अभ्युदय करनेवालों में प्रमुखता प्राप्त करेंगे। आर्थिक दृष्टि से देश की दशा दयनीय है। आप-जैसे सज्जनों की कृपा-कटाक्ष पर ही भारत की भविष्योन्नति निर्भर है।

आपका स्वभाव अत्यंत सरल और बालजनोचित है। कठिन-से-कठिन समय में भी आप प्रसन्न रहने की चेष्टा करते हैं। विद्वत्ता के साथ-ही-साथ इनकी सहज सरलता देखकर मित्र-मंडल इन्हें 'गणेशजी का अवतार' मानने लगा है। ईश्वर करे, हमारे 'गणेशजी' चिरजीवी हों, जिसमें इन्हें हिंदी-भाषा का अर्थशास्त्र-विषयक अंग अच्छी तरह सँवारने का यथेष्ट अवसर मिले। तथास्तु।

गंगा-पुस्तकमाला-कार्यालय
(प्रकाशन-विभाग)
लखनऊ, १। ६। २६

दुलारेलाल भार्गव

भूमिका

अर्थ-शास्त्र में विदेशी विनिमय का विषय बहुत ही गूढ़ है। वह बहुत-सी बारीकियों से भरा हुआ है। साधारण मनुष्यों के लिये उन सबका समझना सरल नहीं। किंतु यह विषय गूढ़ होने पर भी व्यापारियों के लिये बहुत ही महत्त्व का है। कारण, विनिमय की दर ज़रा बदली नहीं कि कुछ व्यापारियों को एक ही दिन में हज़ारों रुपयों का नुक़सान और कुछ को उतना ही फ़ायदा हो जाता है। विनिमय की दर की घट-बढ़ कुछ विशेष सिद्धांतों के अनुसार होती है, जिनका समझ लेना प्रत्येक व्यापारी के लिये परमावश्यक है।

आजकल तो इस विषय का महत्त्व और भी बढ़ गया है। कारण, हमारे विनिमय की दर में प्रायः हमेशा ही घट-बढ़ हुआ करती है, जिससे देश के व्यापार को बड़ा धक्का पहुँचता है। सन् १९२० की करेंसी-कमेटी की सिफ़ारिश के अनुसार भारत-सरकार ने सोने के सावरिन की दर दस रुपए नियत की ; किंतु बाद को सरकार के भरसक प्रयत्न करने तथा कई करोड़ रुपयों की उलटी हुंडियाँ (भारत-सचिव के नाम पर की हुई हुंडिएँ) और सोना घाटे से बेचने पर भी

सावरिन की दर १५ रुपए से कम नहीं हुई। अतएव, विनिमय की दर अस्थिर हो गई। अन्य देशों के विनिमय की दरों में भी भारत की अपेक्षा अधिक घट-बढ़ हुई थी, और कहीं-कहीं हो रही है। इस घट-बढ़ के कारणों को अच्छी तरह समझने के लिये यह जानना आवश्यक है कि एक देश अन्य देशों का देनदार और लेनदार कैसे होता है, उनका पारस्परिक लेन-देन किस तरह चुकाया जाता है, और लेन-देन की विषमता का विनिमय की दर पर क्या प्रभाव पड़ता है। इस पुस्तक में इन्हीं बातों का विवेचन किया गया है। इसमें यह भी बतलाया गया है कि विनिमय की दर किन दशाओं में स्थिर रह सकती है। भारत की विनि-मय-संबंधी दशा के समझाने का भी प्रयत्न किया गया है, और यह बतलाया गया है कि भारत में सोने के प्रामाणिक सिक्कों का स्वतंत्र रूप से प्रचार कर हम किस प्रकार अपने विनिमय की दर को हमेशा के लिये स्थिर रख सकते हैं।

प्रयाग में सन् १९२० से १९२२ तक एम्० ए०-क्लास के विद्यार्थियों को पढ़ाने के लिये मुझे इस विषय का विशेष अध्ययन करना पड़ा था। विद्यार्थियों को उस समय मैंने जो लेक्चर दिए, अधिकांश में उन्हीं के आधार पर मैंने यह पुस्तक लिखी है। मैंने इस विषय के संबंध की संपूर्ण नवीन बातों का इसमें समावेश कर देने का प्रयत्न किया है। इस-

लिये मुझे आशा है कि इस पुस्तक से कॉलेज के विद्यार्थियों को भी विशेष लाभ होगा ।

अँगरेज़ी-भाषा में इस विषय पर कई उत्तम पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं, परंतु मेरे देखने में हिंदी-भाषा में ऐसी एक भी नहीं आई, जिसमें यह विषय अच्छी तरह से प्रतिपादित किया गया हो। हिंदी-भाषा में अर्थ-शास्त्र पर मौलिक पुस्तकों की—ख़ासकर विदेशी विनिमय-संबंधी पुस्तकों की—भारी कमी प्रत्येक शिक्षित व्यक्ति को अवश्य ही खटकती होगी। बड़े हर्ष की बात है कि लखनऊ की सुप्रसिद्ध गंगा-पुस्तकमाला के उत्साही अध्यक्ष श्रीयुत दुलारेलालजी भार्गव ने इस अभाव की पूर्ति की ओर यथेष्ट ध्यान देना आरंभ किया है। आशा है, अन्य प्रकाशक भी इस ओर ध्यान देंगे।

अर्थशास्त्र-संबंधी विषयों पर आठ-दस पुस्तकें लिखने का मेरा विचार है। यह पहली पुस्तक है। दूसरा ग्रंथ 'भारत के उद्योग-धंधे' भी शीघ्र ही प्रकाशित होनेवाला है। यदि हिंदी-प्रेमी सज्जनों ने इन ग्रंथों को अपना कर मुझे उत्साहित किया, तो मैं अन्य ग्रंथ भी यथावकाश शीघ्र लिखने का प्रयत्न करूँगा।

इस पुस्तक का अधिकांश भाग ज्ञानमंडल काशी से प्रकाशित 'स्वार्थ'-नामक मासिक पत्र में लेखमाला के रूप में निकल चुका है। इसके दो अध्याय 'माधुरी' में भी प्रकाशित हुए थे। परिशिष्ट के प्रथम तीन अध्याय क्रमशः 'साहित्य',

'सरस्वती' और 'श्रीशारदा' में निकल चुके हैं। मैं इन पत्र-पत्रिकाओं के संपादकों का, उनकी कृपा के लिये, बड़ा ऋणी हूँ। इस पुस्तक के लिखने में मेरे मित्र श्रीयुत दुलारेलालजी भार्गव तथा लखनऊ-विश्वविद्यालय के कामर्स-विभाग के इसी विषय के अध्यापक श्रीयुत भूपेंद्रनाथजी चटर्जी एम्० ए०, बी० एल्० से बड़ी सहायता मिली है, इसलिये मैं उनका बड़ा कृतज्ञ हूँ। जिन अँगरेज़ी-पुस्तकों और पत्र-पत्रिकाओं से मैंने इस पुस्तक के लिखने में सहायता ली है, उनकी सूची परिशिष्ट नं० ४ में दे दी गई है। उनके लेखकों और प्रकाशकों को भी मैं धन्यवाद देता हूँ।

जब तक इस महत्त्व-पूर्ण विषय पर अच्छा और बड़ा मौलिक ग्रंथ प्रकाशित न हो, तब तक पाठकों के सामने इस छोटी-सी पुस्तक द्वारा इस विषय पर अपने विचार रखना मैं अपना कर्तव्य समझता हूँ। यदि इस पुस्तक द्वारा मैं अपने प्रेमी पाठकों को इस विषय के समझने में किंचिन्मात्र भी सहायता पहुँचा सका, तो मैं अपने परिश्रम को सफल समझूँगा।

लखनऊ;
२५।५।१९२६

दयाशंकर दुबे

विषय-सूची

पहला अध्याय

कोई देश अन्य देशों का किन-किन कारणों से देनदार और लेनदार होता है ?

दूसरा अध्याय

देशों का पारस्परिक लेन-देन किस प्रकार चुकाया जाता है ?

तीसरा अध्याय

देशों का पारस्परिक लेन-देन किस प्रकार चुकाया जाता है ?

चौथा अध्याय

टकसाली और स्वर्ण-आयात-निर्यात-दर

पाँचवाँ अध्याय

भिन्न-भिन्न परिस्थितियों में विनिमय की दर की सीमाएँ

छठा अध्याय

विदेशी हुंडियों की दर और सट्टा

सातवाँ अध्याय

गत बारह वर्षों में विनिमय की दशा

आठवाँ अध्याय

गत ६ वर्षों में भारतीय विनिमय की दशा

नवाँ अध्याय

विनिमय की दर की घट-बढ़ का प्रभाव

दसवाँ अध्याय

भारत में सोने के सिक्कों का प्रचार

परिशिष्ट (१)

रुपया-पैसा-संबंधी पारिमाणिक सिद्धांत

परिशिष्ट (२)

इंडेक्स-नंबर

परिशिष्ट (३)

काग़ज़ी मुद्रा और काग़ज़ी मुद्रा-कोष

परिशिष्ट (४)

सहायक पुस्तकों और पत्र-पत्रिकाओं की सूची

परिशिष्ट (५)

परिभाषिक शब्दों की सूची

विदेशी विनिमय

पहला अध्याय

कोई देश अन्य देशों का किन-किन कारणों से देनदार और लेनदार होता है ?

विदेशी विनिमय की परिभाषा

अँगरेज़ी-भाषा में "फ़ॉरेन एक्सचेंज"* शब्द का दो-तीन अर्थों में प्रयोग किया जाता है। व्यवहार में इस शब्द का कभी-कभी विनिमय की दर के अर्थ में भी इस्तेमाल किया जाता है। लाला कन्नोमल एम्० ए० ने, माघ सं० १९७६ की 'सरस्वती' के "एक्सचेंज"-शीर्षक लेख में, इसका इसी अर्थ में प्रयोग किया है। आप लिखते हैं—"वह भाव, जिससे एक देश का प्रचलित सिक्का दूसरे देश के प्रचलित सिक्के से बदला जा सके, 'एक्सचेंज' कहाता है। भारतवर्ष का प्रचलित सिक्का चाँदी का रुपया है। उसके सोलह आने होते हैं। प्रत्येक आने की बारह पाइयाँ होती हैं। इँगलिस्तान का प्रचलित सिक्का सोने का—पौंड—है, जिसके २० शिलिंग होते हैं, और प्रत्येक

---

* विदेशी विनिमय

शिलिंग के १२ पेंस होते हैं। जिस भाव से रुपए, आने, पाइयों के पौंड, शिलिंग, पेंस बन सकते हैं, उसे एक्सचेंज कहते हैं।"

किंतु मेरी समझ में एक्सचेंज की यह परिभाषा अपूर्ण है। इँगलैंड और ऑस्ट्रेलिया में प्रचलित सिक्का एक ही है। दोनों देशों में पौंड, शिलिंग, पेंस प्रचलित हैं। उपर्युक्त परिभाषा के अनुसार इन दोनों देशों का एक्सचेंज क्या होगा, यह सरलता से समझ में नहीं आता, और यह समझने में भी कठिनता पड़ती है कि इन दोनों देशों के विनिमय की दर में भी घट-बढ़ हुआ करती है। यदि कहीं संसार के सब देश पौंड, शिलिंग, पेंस का उपयोग करने लग जायँ, जैसा बिलकुल असंभव नहीं है, तो इस परिभाषा का समझना और भी कठिन हो जाता है। विदेशी विनिमय में विनिमय की दर के विवेचन के अतिरिक्त उस सब लेनी-देनी का विवेचन भी शामिल है, जिसके द्वारा एक देश अन्य देशों का लेनदार और देनदार बन जाता है। उसमें इसका भी विचार किया जाता है कि उस लेनी-देनी का किस प्रकार भुगतान किया जाता और उसकी विषमता का विनिमय की दर पर क्या प्रभाव पड़ता है। विदेशी विनिमय में भिन्न-भिन्न देशों की लेनी-देनी का पारस्परिक विनिमय होता है, और इसी लेनी-देनी के बारे में सब बातों की जांच करना विदेशी विनिमय का प्रधान विषय है।

हम यहाँ पहलेपहल इस प्रश्न पर विचार करेंगे कि एक देश अन्य देशों का देनदार और लेनदार किन-किन कारणों से होता है, और उसके बाद यह बतलावेंगे कि इस पारस्परिक लेनी-देनी का किस प्रकार भुगतान किया जाता है, उसकी विषमता का विनिमय की दर पर क्या प्रभाव पड़ता है, उसकी घट-बढ़ के कारण क्या हैं, और वह कैसे स्थिर की जा सकती है।

कोई देश अन्य देशों का किन-किन कारणों से देनदार होता है ?

कई मनुष्यों को प्रायः यह भ्रम हो जाया करता है कि देश के आयात और निर्यात की विषमता पर ही विदेशी विनिमय की दर निर्भर रहती है, और इसलिये वे विदेशी विनिमय के विषय पर विचार करते समय अन्य सब कारणों पर उचित ध्यान नहीं देते। आयात और निर्यात का प्रभाव विदेशी विनिमय की दर पर अवश्य होता है; परंतु इस बात का हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि किसी भी देश की लेनी-देनी उसके निर्यात और आयात पर ही निर्भर नहीं रहती। इँगलैंड के संबंध में अक्सर यह देखने में आया है कि उसके निर्यात से आयात की मात्रा ही अधिक रहती है; किंतु तो भी वह अन्य देशों का देनदार नहीं रहता। देश की लेनी-देनी की विषमता कई बातों पर निर्भर

रहती है । उनका वर्णन नीचे किया जाता है । नीचे दिए हुए कारण ऐसे हैं, जो सब देशों पर लागू हो सकते हैं । अतएव जब किसी खास देश के बारे में विचार करना हो, तो यह जानने का प्रयत्न करना चाहिए कि इनमें से प्रत्येक कारण देश की लेनी-देनी पर कितना प्रभाव डालता है ।

एक देश अन्य देशों का नीचे-लिखे कारणों से देनदार बन जाता है—

(१) **देश का संपूर्ण आयात**—विदेशी व्यापार के कारण एक देश में कुछ चीजें दूसरे देशों से आती हैं, और कुछ चीजें उससे दूसरे देशों में बाहर जाती हैं। जितना माल दूसरे देशों से आता है, उसके लिये वह देश अन्य देशों का देनदार हो जाता है । यह माल या तो व्यापारियों का या सरकार का मँगाया होता है, और उसमें जवाहरात (हीरा, पन्ना वगैरह) भी शामिल रहते हैं । इसी कारण भारत प्रतिवर्ष लगभग २१४ करोड़ रुपयों का अन्य देशों का देनदार हो जाता है ।

(२) **विदेशी जहाज़ों का भाड़ा**—यदि किसी देश में माल अन्य देशों से विदेशी जहाज़ों में आता है, तो जहाज़ों के भाड़े के लिये, वह अन्य देशों का देनदार हो जाता है । जैसे भारत में बहुत-सा माल अँगरेजी जहाज़ों में ही आता है। इसलिये भारत अँगरेजों का भाड़े के लिये देन_

दार हो जाता है। ऐसा ही अन्य देशों के बारे में भी समझना चाहिए।

(३) **विदेशी जहाज़ों की ख़रीदी और देशी जहाज़ों के कप्तानों की विदेश में उधारी**—किसी देश के जहाज़ों के कप्तान जो रुपया लेकर विदेशों में ख़र्च करते हैं, और जो विदेशी जहाज ख़रीदे जाते हैं, उनका रुपया चुकाने के लिये वह देश दूसरे देशों का देनदार हो जाता है। जैसे, इँगलैंड के किसी जहाज़ का कप्तान अपना ख़र्च चलाने के लिये बंबई में किसी बैंक से रुपए उधार लेता है, तो उतना इँगलैंड को भारत में भेजना पड़ता है, और उसके लिये यह भारत का देनदार हो जाता है। इसी तरह यदि भारत की कोई कंपनी इँगलैंड का एक जहाज ख़रीदती है, तो भारत उसकी क़ीमत के लिये देनदार हो जाता है।

(४) **देशी अथवा विदेशी क़र्ज़ के बांड, शेयर, हुंडी इत्यादि की विदेश में ख़रीदी**—देश की सरकार या देश के निवासी यदि दूसरे देशवालों से अपने देश की या अन्य देश की सीक्यूरिटी और डिबेंचर-बांड (क़र्ज़ के बांड), स्टाक, शेयर अथवा अन्य हुंडिएँ किसी भी कारण से ख़रीदते हैं, तो वे उन देशों के उनकी क़ीमत के बराबर देनदार हो जाते हैं। जैसे, यदि भारत में किसी मनुष्य या सरकार ने

ब्रिटिश-सरकार की सीक्यूरिटी, किसी बड़ी कंपनी का डिबेंचर-बांड अथवा शेयर या फ़ायदे की ग़रज़ से कुछ हुंडिएँ इँगलैंड में खरीद लीं, तो भारत उनकी क़ीमत के बराबर इँगलैंड का देनदार हो जायगा।

(५) **विदेशियों की, अपने देश में रहकर, किसी देश की प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष सेवाएँ**—जैसा कि आगे बतलाया जायगा, विदेश के लेन-देन प्रायः बैंकों द्वारा होते हैं, और उनको यह काम करने के लिये कमीशन मिलता है। माल का बीमा कराने के लिये विदेशी बीमा-कंपनियों को कुछ देना पड़ता है। इसके अतिरिक्त प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष-रूप से दूसरे देश में रहनेवाले जिस देश की जो कुछ सेवाएँ करते हैं, उस देश को उन सब सेवाओं का बदला चुकाना पड़ता है, और उसके लिये वह उनका देनदार हो जाता है।

(६) **दूसरे देशों को दिया हुआ क़र्ज़ (देने के समय)**—दूसरे देशों की सरकारों या अन्य किसी कंपनियों या फ़र्मों को, थोड़े या अधिक समय के लिये, जो क़र्ज़ दिया जाता और वह जिस समय दिया जाता है, उस समय क़र्ज़ देनेवाला देश अन्य देशों का उतनी रक़म के लिये देनदार हो जाता है। जैसे, मान लीजिए कि इँगलैंड-निवासियों ने भारतवासियों या भारत-सरकार को पाँच करोड़

रुपयों का क़र्ज़ दिया, तो इँगलैंड को यह रुपया उसी समय देना पड़ेगा। इसलिये वह उस समय भारत का पाँच करोड़ रुपयों का देनदार हो जायगा। ऐसे ही सब देशों को समझना चाहिए। परंतु यह बात ध्यान में रखनी चाहिए कि क़र्ज़ जब क़र्ज़दार देश को दे दिया जाता है, तो फिर जब तक क़र्ज़ चुकाने का समय नहीं आता, तब तक देश की लेनी-देनी पर उस क़र्ज़ का कुछ भी प्रभाव नहीं पड़ता।

(७) **विदेश से लिया हुआ क़र्ज़ (चुकाने के समय)**—जब दूसरे देशों का क़र्ज़ चुकाने का समय आता है, तो जिस देश को क़र्ज़ चुकाना है, वह अन्य देशों का देनदार हो जाता है, चाहे वह क़र्ज़ विदेशी सरकार या बैंकरों से लिया गया हो, या थोड़े या अधिक समय के लिये। मान लीजिए, भारत-सरकार ने विलायत में १० करोड़ रुपयों का क़र्ज़ १५ वर्ष के लिये लिया। १५ वर्ष पूरे होने पर जब उसके चुकाने का समय आता है, तो उस समय भारत १० करोड़ रुपयों का देनदार हो जाता है।

(८) **विदेशी क़र्ज़ पर ब्याज और विदेशी पूँजी पर मुनाफ़ा**—जितनी रक़म देशवालों ने अथवा सरकार ने अन्य देशों से उधार ली है, उसका ब्याज, और देश में जो विदेशी पूँजी लगी है या अन्य देशवालों ने जो

इस देश की कंपनियों के शेयर-बांड इत्यादि ख़रीदे हैं, उनके मुनाफ़े इत्यादि के लिये वह देश अन्य देशों का देनदार हो जाता है। जैसे, भारत में जितनी विदेशी पूँजी लगी हुई है, उसका, और भारत की कंपनियों के शेयर, जो अन्य देश-वासियों ने ख़रीदे हैं, उनका वार्षिक मुनाफ़ा और भारत-सरकार तथा अन्य कंपनियों और फ़र्मों को जो अन्य देश-वासियों ने रुपए उधार दिए हैं, उनका ब्याज इत्यादि सब बातों के लिये भारत अन्य देशों का देनदार हो जाता है।

(६) **विदेशियों की बचत और मुनाफ़ा**—किसी देश में विदेशी लोग सरकारी नौकरी तथा व्यापार द्वारा धन कमाकर जो बचत और मुनाफ़ा करते और अपने देशों को भेजते हैं, उसके लिये यह देश अन्य देशों का देनदार हो जाता है। जैसे, भारत में बड़े-बड़े सरकारी ओहदों पर विदेशी कर्मचारी ही नियुक्त किए गए हैं; वे बड़ी-बड़ी तनख़्वाहें पाने के कारण बहुत धन बचा लेते हैं, और बचत का बहुत-सा भाग अपने देश को भेजते हैं। भारत के चाय के बहुत-से खेत, जूट की मिलें, कोयले की बहुत-सी खानें और भारतीय व्यापार का बहुत-सा भाग विदेशियों के हाथ में है, और उनका सारा मुनाफ़ा भी विदेश चला जाता है। इसलिये भारत इन सब रक़मों के लिये अन्य देशों का देनदार हो जाता है।

(१०) **देशवासियों का अन्य देशों का सफ़र और वहाँ रहने का ख़र्च**—जब किसी देश के निवासी अन्य देशों में सफ़र करने या वहाँ पर कुछ दिनों तक रहने के लिये जाते हैं, और अपना सब ख़र्च अपने देश से मँगाते हैं, तो उनका देश अन्य देशों का उस रक़म के लिये देनदार हो जाता है। जैसे, अमेरिका से कई मनुष्य फ़्रांस और स्विज़रलैंड में सफ़र करने या वहाँ पर कुछ समय के लिये निवास करने आते और अपना ख़र्च अमेरिका से मँगाते हैं। इसलिये अमेरिका उक्त दोनों देशों का, ख़र्च की रक़म के लिये, देनदार हो जाता है।

(११) **अन्य देशों को विशेष 'कर' देना**—जब कोई देश किसी कारण से अन्य देशों को विशेष 'कर' देने के लिये बाध्य किया जाता है, तो वह देश उस रक़म के लिये अन्य देशों का देनदार हो जाता है। जब फ़्रांस सं० १९४७ में जर्मनी से हार गया था, तब उसे प्रतिवर्ष कई करोड़ फ़्रैंक * जर्मनी को कर-रूप में देना पड़ता था। यही हाल अब जर्मनी का भी हुआ है। उसको कई करोड़ रुपयों की वार-इंडेम्निटी † देनी पड़ती है। इसलिये अब जर्मनी अन्य देशों का उतनी रक़म के लिये देनदार हो गया है।

---

* फ़्रांस का एक सिक्का

† War-indemnity=युद्ध-दंड

(१२) देश की सरकार का अन्य देशों में ख़र्च—कभी-कभी कहीं की सरकार को राजनीतिक या देश-रक्षा-संबंधी कई कारणों से अन्य देशों में बहुत ख़र्च करना पड़ता है, और इन सब ख़र्चों के लिये वह देश अन्य सब देशों का देनदार हो जाता है। भारत-सरकार को विलायत में प्रतिवर्ष कई करोड़ रुपयों का ख़र्च करना पड़ता है, जिसे होम-चार्जेज़ (Home Charges) कहते हैं। इसके अतिरिक्त उसको मेसोपोटामिया-सरीखे देशों में रक्खी हुई हिंदोस्तानी फ़ौजों का भी कुछ ख़र्च देना पड़ता है। इन सब ख़र्चों के लिये भारत अन्य देशों का देनदार हो जाता है।

(१३) धर्मार्थ भेजी जानेवाली रक़म—जब किसी देश से धर्म या दान के लिये कोई रक़म या माल अन्य देशों को भेजा जानेवाला होता है, तब वह देश अन्य देशों का उतनी रक़म के लिये देनदार हो जाता है।

कोई देश अन्य देशों का लेनदार किन-किन कारणों से होता है ?

कोई देश अन्य देशों का देनदार किन-किन कारणों से होता है, यह जान लेने के उपरांत यह जानना भी बहुत आवश्यक है कि वह दूसरे देशों का लेनदार किन-किन कारणों से होता है। ये कारण ऊपर दिए हुए कारणों से बहुत कुछ मिलते-जुलते है। ये भी सब देशों पर लागू हो सकते हैं।

यदि किसी एक देश के संबंध में विचार करना हो, तो यह जानने का प्रयत्न करना चाहिए कि प्रत्येक कारण का देश की लेनी-देनी पर कितना प्रभाव पड़ता है।

कोई भी देश नीचे-लिखे कारणों से अन्य देशों का लेनदार हो जाता है—

(१) **देश का संपूर्ण निर्यात**—देश से जितना माल बाहर जाता है, उस सबके लिये वह अन्य देशों का लेनदार हो जाता है। इसमे व्यापारियों तथा सरकार द्वारा भेजा हुआ माल, विदेशों से आया और बाहर भेजा हुआ (पुनः निर्यात) माल तथा देशों से बाहर भेजे हुए जवाहरात शामिल हैं। केवल इसी कारण से भारत प्रायः ३०० करोड़ रुपयों का प्रतिवर्ष लेनदार हो जाता है।

(२) **देशी जहाज़ों का विदेशी माल ले जाने का भाड़ा**—जब किसी देश के जहाज अन्य देशों का माल एक जगह से दूसरी जगह ले जाते हैं, तो वह देश अन्य देशों से उसके भाड़े का लेनदार हो जाता है। जैसे, संसार का बहुत-सा व्यापार इँगलैंड के जहाजों द्वारा ही होता है, इसलिये इँगलैंड इसी भाड़े के कारण अन्य देशों से कई लाख रुपयों का लेनदार हो जाता है।

(३) **देशी जहाज़ों का विदेशियों के हाथ बेचना और विदेशी जहाज़ों के कप्तानों का देश में उधार लेना**—

जब कोई देश अपने जहाज़ों को अन्य देशों के हाथ बेचता है, तो वह अन्य देशों से उसकी क़ीमत का लेनदार हो जाता है। जिस देश में बहुत-से बंदरगाह होते हैं, उसमें विदेशी जहाज़ अधिक आते हैं। कभी-कभी उनके कप्तान अपना ख़र्च चलाने के लिये, वहाँ के बैंकरों से कुछ उधार भी ले लिया करते हैं, जिसके लिये वह (अधिक बंदरगाहोंवाला) देश अन्य देशों से लेनदार हो जाता है। इँगलैंड प्राय: अन्य देशों को जहाज़ बेचता है, इसीलिये वह कई करोड़ रुपयों का लेनदार हो जाता है।

(४) **देशी अथवा विदेशी क़र्ज़ के बांड, शेयर, हुंडिएँ इत्यादि का विदेशियों को बेचना**—यदि किसी देश के निवासी अन्य देशवालों को हुंडिएँ, क़र्ज़ के बांड या कंपनियों के शेयर इत्यादि बेचते हैं, तो वे उन लोगों से उतनी क़ीमत के लेनदार हो जाते हैं। जिनके पास पूँजी रहती है, वे अपनी पूँजी को ऐसी जगह लगाना चाहते हैं, जहाँ उन्हें अधिक मुनाफ़ा मिलने की संभावना है, चाहे वह फिर कोई भी देश अथवा कहीं की भी कंपनी हो। इसलिये जिस देश के ब्याज की दर कुछ कारणों से अधिक बढ़ जाती है, वहाँ अन्य देशों के पूँजीपति अपना धन लगाने की कोशिश करते हैं, और उस देश के क़र्ज़ के बांड तथा हुंडिएँ इत्यादि ख़रीद लेते हैं। इसलिये वह देश अन्य देशों से लेनदार हो जाता है।

(५) **देशवासियों द्वारा अन्य देशवासियों की सेवाएँ**—जब किसी देश के मनुष्य अन्य देशवासियों की परोक्ष या प्रत्यक्ष, किसी भी प्रकार से, सेवा करते हैं, तो वह देश अन्य देशों का, उन सेवाओं के लिये, लेनदार हो जाता है। संसार का बहुत-सा लेन-देन लंदन के बैंकरों द्वारा होता है, और वह (इँगलैंड) कमीशन के लिये अन्य देशों से लेनदार हो जाता है।

(६) **विदेशियों का दिया हुआ क़र्ज़ (चुकाने के समय)**—जब कोई देश अन्य देशों को क़र्ज़ देता है, और उसके चुकाने का समय आता है, तब वह उस क़र्ज़ के लिये अन्य देशों से लेनदार हो जाता है। जैसे, मान लीजिए कि इँगलैंड ने फ़्रांस को २५ करोड़ पौंड दस वर्षों के लिये क़र्ज़ दिए। दस वर्ष के बाद जब उसके चुकाने का समय आया, तो इँगलैंड फ़्रांस से २५ करोड़ का लेनदार हो गया। क़र्ज़ चाहे थोड़े समय के लिये हो अथवा बहुत समय के लिये, चुकाने के समय देश की पारस्परिक लेनी-देनी पर उसका प्रभाव एक-सा पड़ता है।

(७) **विदेशियों से लिया हुआ क़र्ज़ (लेने के समय)**—जब किसी देश के निवासी या सरकार किसी अन्य देश से क़र्ज़ लेती है, तो उस समय वह देश या सरकार उस क़र्ज़ की रक़म के लिये दूसरे देश से लेनदार

हो जाती है। मान लीजिए, इँगलैंड की सरकार ने अमेरिका से १५० करोड़ रुपए २० वर्षों के लिये उधार लिए, तो क़र्ज़ लेने के समय इँगलैंड अमेरिका से १५० करोड़ रुपए का लेनदार हो जाता है। इस क़र्ज़ के रुपए इँगलैंड को मिल जाने पर जब तक उसके चुकाने का समय नहीं आता, तब तक इस क़र्ज़ का दोनों देशों की पारस्परिक लेनी-देनी पर कुछ भी असर नहीं होता।

(८) **अन्य देशों में लगाई हुई लागत पर मुनाफ़ा और विदेशियों को दिए हुए क़र्ज़ पर ब्याज**—जब किसी एक देश के निवासी अन्य देशों में लागत लगाते या अन्य देशों को रुपया उधार देते हैं, तो वह देश उस लागत के मुनाफ़े और क़र्ज़ के व्याज के लिये अन्य देशों से लेनदार हो जाता है। इँगलैंडनिवासियों ने कई करोड़ रुपयों की लागत भारत में लगाई है, और कई करोड़ रुपए भारत-सरकार को उधार दिए हैं, इसलिये इँगलैंड लागत के मुनाफ़े और क़र्ज़ के ब्याज के लिये भारत से लेनदार हो जाता है।

(९) **देश के निवासियों की अन्य देशों में बचत और मुनाफ़ा**—यदि किसी देश के निवासी अन्य देशों में व्यापार या नौकरी करने जाते हैं, तो वहाँ पर वे बचत या मुनाफ़ा करके अपने देश को जो रक़म भेजते

हैं, उस रक़म के लिये वह देश अन्य देशों से लेनदार हो जाता है। जैसे, इँगलैंड के निवासी अपना व्यापार बढ़ाने या नौकरी करने के लिये संसार के प्रायः सब देशों में जाते हैं, और वहाँ पर वे जो कुछ बचत करके अपने देश को भेजते हैं, उस रक़म के लिये इँगलैंड अन्य देशों से लेनदार हो जाता है।

(१०) **दूसरे देश के निवासियों का किसी देश में सफ़र करने या रहने का ख़र्च**—यदि किसी देश में अन्य देशों के निवासी उसकी प्राकृतिक सुंदरता अथवा अच्छी आब-हवा या अन्य किसी कारणवश सफ़र करने या कुछ समय के लिये रहने को आते हैं, और भ्रमण करने अथवा रहने का सब ख़र्च अपने ही देशों से मँगाते हैं, तो वह देश उन सब ख़र्चों के लिये अन्य देशों से लेनदार हो जाता है। भारतवर्ष, स्विज़रलैंड, इटली और फ़्रांस में बहुत-से विदेशी यात्री अन्य देशों से सफ़र करने या कुछ दिन रहने के लिये आते हैं, और ख़र्च अपने देशों से मँगाते हैं। इसलिये उक्त चारों अन्य देशों से लेनदार हो जाते हैं।

(११) **अन्य देशों से विशेष 'कर' लेना**—यदि किसी संधि या ख़ास ठहराव के अनुसार दूसरे देश किसी एक देश को विशेष 'कर' देते हैं, तो वह देश उस 'कर' के देने के समय दूसरे देशों से लेनदार हो जाता है। इँगलैंड इसी

प्रकार जर्मनी से विशेष 'कर' अथवा युद्ध-दंड प्रतिवर्ष वसूल करता है। इसलिये वह जर्मनी से कई करोड़ रुपयों का लेनदार हो जाता है।

(१२) **देश में विदेशी सरकारों का ख़र्च**—यदि अन्य देशों की सरकारें किसी देश में राजनीतिक अथवा देश-रक्षा-संबंधी या सैनिक कारणों से कुछ ख़र्च करती हैं, तो वह देश अन्य देशों से उस ख़र्चे के लिये लेनदार हो जाता है। जैसे, भारत-सरकार इँगलैंड में करोड़ों रुपए प्रतिवर्ष ख़र्च करती है। इस ख़र्च के लिये इँगलैंड भारत से लेनदार हो जाता है।

(१३) **धर्मार्थ आनेवाली रक़म**—जब किसी देश में कोई रक़म या माल धर्म या दान के रूप में अन्य देशों से आनेवाला होता है, तब वह देश अन्य देशों से उतनी रक़म का लेनदार हो जाता है।

उपर्युक्त हिसाब में कई मदें ऐसी हैं, जिनके संबंध में पूरा-पूरा हिसाब नहीं लगाया जा सकता। इसलिये किसी भी समय किसी देश के संबंध में ठीक तरह से यह जानना कि वह अन्य देशों का कितनी रक़म के लिये देनदार या लेनदार है, असंभव है। परंतु यह अंदाज़ अक्सर लगा लिया जाता है कि उसे अन्य देशों से लेना अधिक है, या देना।

अब हम आगे के अध्यायों में इन प्रश्नों पर विचार करेंगे कि देशों का पारस्परिक लेन-देन किस प्रकार चुकाया जाता, और उसकी विषमता का, विनिमय की दर पर, क्या प्रभाव पड़ता है, विनिमय की दर की घट-बढ़ के क्या कारण हैं, और वह किस प्रकार स्थिर रक्खी जा सकती है ।

दूसरा अध्याय

देशों का पारस्परिक लेन-देन किस प्रकार चुकाया जाता है ?

पिछले अध्याय में हम यह बतला चुके हैं कि कोई एक देश अन्य देशों का देनदार या लेनदार किन-किन कारणों से होता है। इस अध्याय में हम इस प्रश्न पर विचार करेंगे कि उनके पारस्परिक लेन-देन का भुगतान किस प्रकार होता है।

विदेशी हुंडी

संसार के सभ्य देशों में चाँदी और सोने के सिक्के प्रचलित हैं, और उनका लेन-देन इन्हीं सिक्कों में कूता जाता है। यदि देनदार को किसी कारण से अपना क़र्ज़ चुकाने का अन्य कोई साधन नहीं मिलता, तो उसे चाँदी या सोना भेजने के लिये बाध्य होना पड़ता है। परंतु चाँदी-सोना भेजने में भेजने का किराया और बीमे का खर्च भी लगता है। यह खर्च भेजनेवाले को देना पड़ता है। इसलिये भेज़नेवाला यथाशक्ति अन्य किसी साधन का ही आश्रय लेता है। व्यापारी लोग इस खर्च से बचने के लिये कई साधनों से काम लेते हैं, और इनमें मुख्य साधन 'विदेशी हुंडी' है।

देश के आंतरिक लेन-देन में भी हुंडी से काम लिया जाता है, परंतु विदेशी लेन-देन चुकाने का मुख्य साधन हुंडी ही है। हुंडी एक प्रकार का आज्ञा-पत्र है। हुंडी लिखनेवाला किसी व्यक्ति या संस्था को यह आज्ञा देता है कि वह हुंडी में नामोल्लेख किए हुए व्यक्ति को, अथवा उस व्यक्ति के आदेशानुसार अन्य किसी व्यक्ति या संस्था को हुंडी में लिखी हुई रक़म दे दे। जिसके नाम हुंडी लिखी जाती है, वह जब उस हुंडी पर हस्ताक्षर करके उसे स्वीकार कर लेता है, तब वह बाज़ार में बहुत सरलता से बेची जा सकती है। हुंडिएँ दो प्रकार की होती हैं—दर्शनी और मुद्दती। दर्शनी हुंडी जिसके नाम लिखी जाती है, उसे हुंडी देखते ही उसमें लिखी हुई रक़म चुकानी पड़ती है। मुद्दती हुंडी की रक़म मीयाद पूरी होने के तीन दिन बाद तक दी जा सकती है।

विदेशी लेन-देन हुंडियों द्वारा बैंक या बड़े-बड़े सराफ़ों की सहायता से चुकाया जाता है। जो देनदार है, जिसको अपना क़र्ज़ चुकाना है, उसे क़र्ज़ अदा करने की मिती पर अपने क़र्ज़ चुकाने का इंतज़ाम करना पड़ता है। मान लीजिए, प्रयाग के एक व्यापारी रामदयाल ने फ्रांस से २,००० फ्रैंक का माल मँगाया। माल की क़ीमत उसे फ्रैंक के रूप में चुकानी है। यदि किसी बैंक से उसका लेन-देन नहीं है, तो वह डाकघर में जाकर यह जानने का प्रयत्न करता है कि

२,००० फ्रैंक का विदेशी मनीऑर्डर फ्रांस भेजा जा सकता है या नहीं। यदि भेजा जा सकता है, तो वह मनीऑर्डर-कमीशन देकर रुपए भेज देता है। परंतु यह मनीऑर्डर-कमीशन बैंक के कमीशन से बहुत अधिक रहता है, इसलिये भारी रक़म को बैंक द्वारा भेजने में ही लाभ होता है। रामदयाल भी, जहाँ तक हो सकता है, बैंक द्वारा ही रुपए भेजने का प्रयत्न करता है। वह प्रयाग के इलाहाबाद-बैंक के दफ़्तर में जाकर फ्रांस पर की हुई २,००० फ्रैंक की हुंडिएँ माँगता है। बैंक अक्सर अन्य देशों पर की हुई हुंडिएँ मौक़े से खरीदकर अपने यहाँ जमा रखते हैं। यदि बैंक के पास फ्रांस पर की हुई कुछ हुंडिएँ हैं, तो वह रामदयाल को, अपना कमीशन लेकर, बाज़ार-दर पर बेच देता है। यदि उस बैंक के पास ऐसी कोई हुंडी नहीं है, तो वह फ्रांस के अपने अढ़तिए के नाम २,००० फ्रैंक की एक हुंडी लिखकर रामदयाल को बेच देता है। ऐसी हुंडी को अँगरेज़ी में बैंक-ड्राफ़्ट * कहते हैं। विदेशी मनीऑर्डर और बैंक की हुंडियों द्वारा रुपए चुकाने में रामदयाल को एक बड़ी असुविधा यह होती है कि उसे तुरत रुपए चुकाने पड़ते हैं। इस असुविधा से बचने के लिये वह इलाहाबाद-बैंक से प्रार्थना करता है कि वह फ्रांस के व्यापारी द्वारा की हुई हुंडी, उसकी

* Bank-draft.

तरफ़ से, स्वीकार करना मंजूर कर ले। यदि बैंक रामदयाल की स्थिति से अच्छी तरह परिचित है, और वह यह समझ लेता है कि मीयाद पूरी होने पर रामदयाल उस हुंडी का भुगतान कर सकेगा, तो विना किसी ज़मानत के वह, उचित कमीशन पर ही, उसकी तरफ़ से हुंडी स्वीकार करना मंजूर कर लेता है। यदि बैंक को, हुंडी की रक़म के मीयाद पूरी होने पर, रामदयाल द्वारा चुकाए जाने का भरोसा नहीं होता, तो वह रामदयाल से कुछ ज़मानत माँगता या उसका कोई सामान गिरवी रखने के लिये कहता है। उचित ज़मानत या गिरवी की रक़म पाने पर बैंक उसको एक साख-पत्र* देता है, जिसमें वह रामदयाल की तरफ़ से हुंडी को स्वीकार करने की प्रतिज्ञा करता है। इलाहाबाद-बैंक चाहे, तो इस शर्त पर भी रामदयाल पर की हुई हुंडी ख़रीदना मंजूर कर सकता है कि फ्रांस का व्यापारी उसके साथ में बिल्टी† और बीजक भी जमा कर दे। ऐसी साख को प्रमाण-पत्री साख ‡ कहते हैं। यदि उपर्युक्त शर्त पर इलाहाबाद-बैंक साख-पत्र दे दे, तो उसको यह अधिकार रहता है कि वह रामदयाल द्वारा उस हुंडी के स्वीकार किए जाने या उसकी

---

* Letter of Credit.

† Bill of Lading.

‡ Documentary Credit.

रक़म चुकाए जाने तक बिल्टी अपने पास जमा रक्खे। रामदयाल को बैंक से जब तक बिल्टी नहीं मिलेगी, तब तक उसे माल नहीं मिलेगा, और यदि माल देश में आ गया, तो वह बैंक के गोदाम में पड़ा रहेगा।

व्यापारिक हुंडी

उपर्युक्त उदाहरण में रामदयाल इलाहाबाद-बैंक द्वारा दिए हुए साख-पत्र को अपने फ़्रांस के व्यापारी के पास भेज देता है। फ़्रांस का व्यापारी साख-पत्र की शर्त के अनुसार इलाहाबाद-बैंक या रामदयाल के नाम २,००० फ़्रैंक की मुद्दती हुंडी जारी करता है। ऐसी हुंडी को व्यापारिक हुंडी* कहते हैं। फ़्रांस का व्यापारी इस हुंडी को अपने बैंक के पास बेचने ले जाता है, और उस बैंक को रामदयाल के नाम दिया हुआ इलाहाबाद-बैंक का साख-पत्र दिखलाता है। यदि फ़्रांस का बैंक इलाहाबाद-बैंक की दशा से अच्छी तरह परिचित है, तो वह उस हुंडी को ख़रीद लेता और अपने भारतीय अढ़तिए के पास भेज देता है। भारतीय अढ़तिया उसे इलाहाबाद-बैंक में ले जाता है। बैंक उसे रामदयाल की तरफ़ से, अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार, स्वीकार कर लेता है। वह स्वीकृत मुद्दती हुंडी फिर बाज़ार में बड़ी सुगमता से बेची जा सकती है। मुद्दत पूरी होने पर रामदयाल इलाहाबाद-बैंक को रुपए

* Commercial Bill

दे देता है, और इलाहाबाद-बैंक उस हुंडी के मालिक को, जिसने उसे ख़रीदा है, रुपया चुका देता है। इस व्यापारिक हुंडी से लाभ यह हुआ कि फ़्रांस के व्यापारी को अपने माल के रुपए तुरंत मिल गए, और रामदयाल को माल की क़ीमत चुकाने में असुविधा भी नहीं हुई। उसने अपना माल छुड़ाकर तीन महीने के अंदर बेच लिया और जो कुछ रक़म आई, उसे इलाहाबाद-बैंक को, मुद्दत पूरी होने पर, दे दिया। ऐसी हुंडियों में अधिक ख़तरा नहीं है। थोड़ी पूँजी-वाले भी भारी व्यापार कर सकते हैं।

उपर्युक्त उदाहरण में यदि मान लिया जाय कि फ़्रांस का वह बैंक, जिसके पास वहाँ का व्यापारी रामदयाल के नाम इलाहाबाद-बैंक का दिया हुआ साख-पत्र ले जाता है, इलाहाबाद-बैंक की स्थिति से परिचित नहीं है, तो ऐसी दशा में वह हुंडी को नहीं ख़रीदता। तब रामदयाल को इलाहाबाद-बैंक से यह प्रार्थना करनी होगी कि वह लंदन के किसी बैंक या सराफ़ को उसके नाम का साख-पत्र देने के लिये राज़ी करे। इस पर इलाहाबाद-बैंक लंदन के परिचित अपने एक प्रसिद्ध बैंक को रामदयाल के संबंध में सब हाल लिख देता है, और लंदन का बैंक अपनी शर्तें तय करके उचित कमीशन पर रामदयाल की तरफ़ से हुंडी स्वीकार कर लेना मंज़ूर कर लेता है। लंदन का बैंक रामदयाल को इलाहाबाद-

बैंक के जरिए साख-पत्र भेज देता है, और उसे रामदयाल अपने फ़्रांस के व्यापारी के पास भेज देता है। फ़्रांस का व्यापारी लंदन के बैंक के नाम हुंडी लिखकर अपने बैंक के पास ले जाता है। वह बैंक, लंदन-बैंक का दिया हुआ साख-पत्र दिखलाने पर, उस हुंडी को तुरंत ख़रीद लेता है। यह भी दूसरी तरह की व्यापारिक हुंडी है। पहली तरह की व्यापारिक हुंडी और उपर्युक्त हुंडी में अंतर यह है कि पहली हुंडी उसी देश पर की गई थी, जिसको माल भेजा गया था ; और यह एक तीसरे ही देश पर। जैसा ऊपर के उदाहरण में बतलाया गया है कि माल तो फ़्रांस से भारत में भेजा गया, और उसके संबंध में हुंडी लंदन पर की गई। ऐसी हुंडियों का प्रचार बहुत है। इसका मुख्य कारण यह है कि इँगलैंड के ख़ास बैंकों और सराफ़ों ने अपना रोजगार संसार-भर में फैलाकर अपनी साख इतनी बढ़ा ली है कि उनके नाम पर की हुई हुंडिएँ संसार में कहीं भी बेची जा सकती हैं। इसलिये अन्य देशों के लेन-देन का बहुत-सा भाग प्रायः लंदन पर की हुई हुंडियों द्वारा ही चुकाया जाता है।

रोज़गारी हुंडी

व्यापारिक हुंडियों के अतिरिक्त एक और दूसरी तरह की हुंडियों का उपयोग लेन-देन चुकाने में किया जाता है। इनको "रोजगारी हुंडिएँ" * कहते हैं।

---

* Finance Bills.

व्यापारिक हुंडियो और इनमें यह अंतर है कि व्यापारिक हुंडिएँ जिनके नाम पर की जाती हैं, वे या तो स्वयं क़र्ज़दार रहते या क़र्ज़दार की तरफ़ से उसकी स्वीकृति मंजूर करनेवाले होते हैं। परंतु रोजगारी हुंडियों में ऐसा नहीं होता। इनका लिखनेवाला उलटा उन्हीं का क़र्ज़दार हो जाता है, जिनके नाम पर ये लिखी जाती हैं। इन हुंडियों से कभी-कभी व्यापार को बड़ा लाभ पहुँचता है। जो देश अन्न और कच्चा माल बाहर भेजते हैं, तथा विदेशों से तैयार माल मँगाते हैं, उनका निर्यात ख़ास-ख़ास महीनों में ही अधिक परिमाण में होता है; पर आयात बारहों महीने बराबर होता रहता है। इस कारण जिन महीनों में निर्यात का जाना कम हो जाता है, आयात की देनी चुकाने के लिये, काफ़ी परिमाण में, व्यापारिक हुंडिएँ नहीं मिलतीं, और इसी कारण से, जैसा आगे के अध्यायों में बतलाया जायगा, हुंडियों की क़ीमत बढ़ी हुई रहती है। तब बड़े-बड़े सराफ़ और बैंकर अपने विदेशी अढ़तियों और ब्रांच-ऑफ़िसों के नाम हुंडी काटकर इस माँग की पूर्ति करते है, और देश से सोने-चाँदी का भेजा जाना रोकते हैं। उनको इन हुंडियों की क़ीमत भी अच्छी मिल जाती है। परंतु इन हुंडियों द्वारा वे अपने अढ़तियों के क़र्ज़दार हो जाते हैं, इसलिये जब हुंडी की मीयाद पूरी होने को आती है, तो उन्हें अपने विदेशी अढ़तियों के

पास, उसका भुगतान करने के लिये, दर्शनी हुंडी या रुपए भेजने की आवश्यकता पड़ती है। इसलिये वे बाज़ार में हुंडिएँ ख़रीदने आते हैं। यदि रोज़गारी हुंडियों के भुगतान के समय देश से कच्चा माल या अन्न बहुतायत से बाहर जाता हो, तो विदेश पर की हुई हुंडिएँ बहुतायत से मिलेंगी; और जैसा कि आगे के अध्यायों में बतलाया जायगा, वे कम क़ीमत पर भी मिल जायँगी। इससे वे सराफ़ या बैंकर भी लाभ उठा सकेंगे। व्यापारियों को भी इससे यह लाभ होगा कि यदि वे इन हुंडियों को ख़रीदने न आते, तो इन हुंडियों की पूर्ति की अधिकता के कारण विदेशियों को देश के व्यापारियों के पास सोना-चाँदी भेजना पड़ता, जो निर्यात-व्यापार की मंदी के समय फिर से विदेश वापस भेजा जाता। इन रोज़गारी हुंडियों के उपयोग से सोने-चाँदी के व्यर्थ दुबारा आने-जाने का ख़र्च बच जाता है।

परंतु रोज़गारी हुंडियों से हानि भी अधिक है। कोई-कोई ऐसी हुंडियों को बेचकर जो कुछ रक़म मिलती है, उसे किसी ऐसे रोज़गार या व्यवसाय में लगा देते हैं, जहाँ से विना नुक़सान के उनका आसानी से वापस निकाला जाना नहीं हो सकता। इसलिये जब मीयाद पूरी होती है, तो अपने पास रक़म न होने के कारण वे दूसरी हुंडी बेचकर उसके चुकाने का प्रयत्न करते हैं। यदि ऐसी हुंडिएँ निकालनेवालों

को लगातार कुछ दिनों तक नुक़सान होता गया, जैसा कभी-कभी हो जाता है, तो उनकी साख गिर जाती और दिवाला निकल जाता है । इसलिये रोज़गारी हुंडियों में लेन-देन करनेवालों को सदैव सावधान रहना चाहिए।

यात्रियों की हुंडिएँ

जब कोई यात्री विदेश जाता है, तो अपने साथ में अधिक रुपए रखना पसंद नहीं करता । वह पहले यह हिसाब लगा लेता है कि उसे विदेश में कितने रुपए लगेंगे । उतने रुपए वह प्रायः ऐसे साहूकार के पास या बैंक में जमा कर देता है, जो उसे निर्दिष्ट स्थानों पर, अपने अढ़तियों द्वारा, आवश्यक परिमाण में, रुपए देना स्वीकार कर ले । साहूकार या बैंक उसे अपना साख-पत्र देते हैं, जिसमें विदेश के भिन्न-भिन्न अढ़तियों के नाम और पूरे पते लिखे रहते हैं, और यह भी लिखा रहता है कि कितने रुपयों तक की यात्री की हुंडिएँ, साहूकार या बैंक की तरफ़ से उनके अढ़तियों द्वारा, भुगताई जायँ । इस साख-पत्र पर यात्री के हस्ताक्षर भी रहते हैं । जब यात्री विदेश में जाता है, और उसे रुपयों की आवश्यकता होती है, तब वह उस साख-पत्र से उस स्थान के अढ़तिए का नाम और पता मालूम कर लेता है; और अपने साहूकार या बैंक के नाम पर एक हुंडी लिखकर अढ़तिए के पास ले जाता है । यह साख-पत्र पर किए हुए यात्री के हस्ता-

क्षर से हुंडी पर किए गए हस्ताक्षर का मिलान करता है: और यदि हुंडी में लिखी हुई रक़म साख-पत्र में लिखी हुई रक़म से कम होती है, तो उसे अपने बैंक या साहूकार की तरफ़ से स्वीकार कर, उस यात्री को रुपए दे देता और सूचना के लिये इस बात को साख-पत्र पर भी लिख देता है। इस प्रकार यात्री को भिन्न-भिन्न स्थानों में आवश्यकतानुसार रुपए मिलते जाते हैं, बशर्ते कि उसको जो रक़म सब अढ़तियों से मिल चुकी हो, साख-पत्र में लिखी हुई रक़म से अधिक न हो। इस साख-पत्र से बड़ा भारी लाभ यह होता है कि यात्री को रुपए-पैसों की जोखिम नहीं उठानी पड़ती। उसे इस प्रकार के साख-पत्र प्राप्त करने के लिये साहूकार या बैंक को प्राय: आधा प्रतिशत कमीशन देना पड़ता है। इन साख-पत्रों के आधार पर जो हुंडिएँ जारी की जाती हैं, उन्हीं को 'यात्रियों की हुंडी' कहते हैं, और उन्हीं के द्वारा कई यात्रियों का विदेश में ख़र्च वसूल किया जाता है।

भारत-सरकार की हुंडिएँ

भारत में कोई प्रामाणिक सिक्का अर्थात् ऐसा सिक्का, जो देश में स्वतंत्र रूप से ढाला जाता हो, और जिसका बाहरी और धात्विक मूल्य बराबर हो, न होने के कारण भारत-सरकार को भी विदेशी व्यापारिक लेन-देन चुकाने में सहायता पहुँचानी पड़ती है। जब इँगलैंड में भारत पर की हुई हुंडियों

की माँग अधिक रहती है, और भारत के निर्यात की मात्रा कम होने के कारण इन हुंडियों का बाज़ार में अभाव रहता है, तो भारत-सचिव लंदन में भारत-सरकार के नाम हुंडिएँ बेचकर बढ़ती हुई विनिमय की दर को अधिक बढ़ने से रोकते हैं। ऐसी हुंडियों को 'भारत-सरकार की हुंडी' या 'कौंसिल-बिल' * कहते हैं। इसी तरह जब भारत में लंदन पर की हुई हुंडियों की माँग अधिक रहती है, और देश से निर्यात की कमी के कारण विदेश पर की हुई हुंडियों का अभाव रहता है, तो भारत-सरकार भारत-सचिव के नाम पर हुंडिएँ बेचकर गिरती हुई विनिमय की दर को अधिक गिरने से रोकती है। ऐसी हुंडियों को उलटी हुंडिएँ या 'रिवर्स-कौंसिल' † कहते हैं। अर्थात्, इन हुंडियों का उपयोग भी भारत का लेन-देन चुकाने में किया जाता है। कभी-कभी भारत-सरकार इन्हें काफ़ी मात्रा में बेचने में असमर्थ हो जाती है, और तब उसका विनिमय की दर पर क्या प्रभाव पड़ता है, यह अगले अध्यायों में प्रसंगानुसार बतलाया जायगा।

---

* Council Bill.

† Reverse Council.

तीसरा अध्याय

देशों का पारस्परिक लेन-देन किस प्रकार चुकाया जाता है ?

पिछले अध्याय में हमने यह बतलाने का प्रयत्न किया है कि किसी देश का कोई मनुष्य अपना विदेशी क़र्ज़ कई प्रकार की हुंडियों द्वारा किस प्रकार अदा कर सकता है। उसमें हमने भिन्न-भिन्न प्रकार की हुंडियों के समझाने का भी प्रयत्न किया है। अब इस अध्याय में हम यह बतलाने का प्रयत्न करेंगे कि दो अथवा तीन देशों का पारस्परिक लेन-देन इन हुंडियों द्वारा किस तरह चुकाया जाता है।

दो देशों का लेन-देन

मान लीजिए, किसी समय इँगलैंड और अमेरिका का पारस्परिक लेन-देन बराबर है। अर्थात्, इँगलैंडवासियों ने अमेरिका से १० करोड़ पौंड का माल मँगाया, और अमेरिकावासियों ने उतना ही माल इँगलैंड से मँगाया। ऐसी दशा में लेन-देन किस प्रकार से चुकाया जायगा, यह नीचे दिया जाता है*—

---

* कोष्ठक में दिए हुए (२), (१), (४) और (३) नंबरों को संख्याक्रम से पढ़ना चाहिए, अर्थात् पहले (१), तब (२), फिर (३), और अंत में (४)

अमेरिका		इँगलैंड	
अ=इँगलैंड से माल मँगानेवाले	ब=इँगलैंड को माल भेजनेवाले	स=अमेरिका से माल मँगानेवाले	ड = अमेरिका को माल भेजनेवाले
१० करोड़ पौंड	१० करोड़ पौंड	१० करोड़ पौंड	१० करोड़ पौंड
(२) अ, स के नाम पर की हुई हुंडिएँ ख़रीदकर ड को भेजता है।	(१) ब, स के नाम पर १० करोड़ पौंड की हुंडिएँ जारी करता है।	(४) स हुंडियों की रक़म ड को दे देता है।	(३) ड इन हुंडियों की रक़म स से वसूल कर लेता है।

उपर्युक्त उदाहरण में यदि हुंडियों का उपयोग न किया जाता, तो अ को ड के पास १० करोड़ पौंड का सोना अथवा चाँदी, अमेरिका से इँगलैंड भेजनी पड़ती, और स को दस करोड़ पौंड का सोना या चाँदी ब के पास इँगलैंड से अमेरिका भेजनी पड़ती। इससे सोने-चाँदी के लाने और ले जाने में व्यर्थ ख़र्च लगता। इस ख़र्च से बचने के लिये अमेरिका से माल भेजनेवाले सौदागर ब, अमेरिका से माल मँगानेवाले इँगलैंड के व्यापारी स के नाम १० करोड़ पौंड की

हुंडी निकालते हैं। उस समय इँगलैंड से माल मँगानेवाले अमेरिकावासी व्यापारी अ को १० करोड़ पौंड इँगलैंड भेजना रहता है। इसलिये वह (अ) ब द्वारा की हुई हुंडिएँ खरीद लेता है। इस प्रकार ब को अपना रुपया तुरंत मिल जाता है। फिर अमेरिका का व्यापारी (अ) इँगलैंड के उन सौदागरों (ड) को, जिनसे उसने माल खरीदा है, ये सब हुंडिएँ भेज देता है, और ड उन हुंडियों की रक़म अमेरिका से माल मँगानेवाले अँगरेज़ व्यापारी (स) से वसूल कर लेता है। इस प्रकार ड को भी अपना रुपया मिल जाता है; और दोनों देशों का करोड़ों रुपयों का पारस्परिक लेन-देन भी, एक देश से दूसरे देश में सोना-चाँदी भेजे बिना ही, हुंडियों द्वारा चुका दिया जाता है।

उपर्युक्त उदाहरण में यदि ब के बदले ड ही अ के नाम पर १० करोड़ पौंड की हुंडिएँ जारी करे, तो उसका परिणाम भी ठीक वैसा ही होगा। ऐसी दशा में स उन हुंडियों को खरीदकर ब के पास भेज देगा, और ब उसकी रक़म अ से वसूल कर लेगा। इसी उदाहरण में, यदि पहले ठहराव के अनुसार ब केवल ७ करोड़ पौंड की हुंडिएँ ही स के नाम जारी करे—जैसा कि होना बहुत संभव है—तो फिर ड तीन करोड़ पौंड की हुंडिएँ अ के नाम ज़ारी करेगा। ऐसी दशा में सात करोड़ पौंड का पारस्परिक लेन-देन इँगलैंड

पर की हुई हुंडियों द्वारा, और तीन करोड़ पौंड का अमेरिका पर की हुई हुंडियों द्वारा चुकाया जायगा। इँगलैंड के बैंकरों और सराफ़ों की प्रसिद्धि के कारण साधारणतः इँगलैंड पर ही अधिक हुंडिएँ निकाली जाती हैं।

उपर्युक्त उदाहरण में यह मान लिया गया है कि दोनों देशों की लेनी-देनी बराबर है। परंतु ऐसा कभी नहीं होता। लेन-देन की कुछ-न-कुछ विषमता हमेशा ही रहती है। अब यदि यह मान लिया जाय कि किसी समय दोनों देशों का पारस्परिक लेन-देन बराबर नहीं है, तो उस व्यापारिक विषमता (Balance of Trade) के चुकाने के लिये या तो रोज़गारी हुँडियों का उपयोग करना पड़ेगा, या अधिक क़र्ज़दार देश को कुछ सोना-चाँदी भेजनी पड़ेगी। मान लीजिए, अमेरिकावासियों ने इँगलैंड से १० करोड़ पौंड का माल मँगाया, और ९ करोड़ पौंड का भेजा। अब दोनों देशों का १८ करोड़ पौंड का लेन-देन तो इँगलैंड पर की हुई ९ करोड़ पौंड की व्यापारिक हुंडियों द्वारा चुका दिया जायगा, और शेष एक करोड़ पौंड की देनी चुकाने के लिये अमेरिकावासियों को एक करोड़ पौंड की रोज़गारी हुंडिएँ या सोना-चाँदी इँगलैंड भेजना पड़ेगा। आगे कोष्ठक में यही बात स्पष्ट रूप से बतलाई जाती है कि उपर्युक्त दशा में दो देशों का पारस्परिक लेन-देन किस प्रकार चुकाया जाता है—

अमेरिका		इँगलैंड	
अ=इँगलैंड से माल मँगाने-वाले	ब=इँगलैंड को माल भेजने-वाले	स=अमेरिका से माल मँगाने-वाले	ड=अमेरिका को माल भेजने-वाले
१० करोड़ पौंड	९ करोड़ पौंड	९ करोड़ पौंड	१० करोड़ पौंड
(२) अ, ब द्वारा स पर की हुई ९ करोड़ पौंड की हुंडिएँ ख़रीदकर ड को भेज देता है। (५) अ एक करोड़ पौंड की रोज़गारी हुंडिएँ अथवा सोना-चाँदी ड को भेजता है।	(१) ब, स के नाम पर ९ करोड़ पौंड की हुंडिएँ जारी करता है।	(४) स अपने पर व द्वारा की हुई हुंडियों की रक़म ड को चुका देता है।	(३) ड ९ करोड़ की हुंडियों की रक़म स से वसूल करता है। (६) ड को एक करोड़ पौंड की रोज़गारी हुंडिएँ अथवा सोना-चाँदी अ से मिलती है।

सूचना—उपर्युक्त कोष्ठक में दिए हुए (२), (५), (१), (४), (३), और (६) नबरों को क्रमानुसार पढ़ना चाहिए, अर्थात् पहले (१), फिर (२), (३), (४) आदि।

उपर्युक्त कोष्ठक से मालूम होता है कि **ब**, **स** के नाम पर ९ करोड़ पौंड की हुंडिएँ जारी करता है, जो **अ** द्वारा ख़रीदी जाकर **ड** के पास, **स** से रक़म वसूल करने के लिये, भेज दी जाती हैं। जब **स** इन हुंडियों की रक़म चुका देता है, तो दोनों देशों का १८ करोड़ का लेन-देन अदा हो जाता है। परंतु **अ**, **ड** का एक करोड़ पौंड का देनदार अभी रह ही जाता है। इसके लिये उसे (**अ**) एक करोड़ पौंड की रोज़गारी हुंडिएँ अथवा सोना-चाँदी **ड** के पास भेजना पड़ता है।

तीन देशों का लेन-देन

अब हमको तीन देशों के पारस्परिक लेन-देन का विचार करना है। मान लीजिए, अमेरिकावासियों ने इँगलैंड से २० करोड़ पौंड का और भारत से ३० करोड़ का माल मँगाया, और भारत को २० करोड़ का तथा इँगलैंड को तीस करोड़ का भेजा। इँगलैंड ने अमेरिका और भारत से तीस-तीस करोड़ पौंड का माल मँगाया, और बीस बीस करोड़ पौंड का भेजा, तथा भारत ने इँगलैंड और अमेरिका से बीस-बीस करोड़ पौंड का माल मँगाया, और तीस-तीस करोड़ पौंड का भेजा। यदि यह भी मान लिया जाय कि भारत और अमेरिका का सब लेन-देन इँगलैंड के ज़रिए होता है, तो इन देशों का लेन-देन अगले पृष्ठों पर दिए हुए कोष्ठक के अनुसार चुकाया जायगा—

अमेरिका				इँगलैंड	
अ=इँगलैंड और भारत के देनदार		ब=इँगलैंड और भारत से लेनदार		स=अमेरिका और भारत के देनदार	
५० करोड़ पौंड		५० करोड़ पौंड		६० करोड़ पौंड	
इँगलैंड के २० करोड़ पौंड	भारत के ३० करोड़ पौंड	इँगलैंड से ३० करोड़ पौंड	भारत से २० करोड़ पौंड	अमेरिका के तीस करोड़ पौंड	भारत के ३० करोड़ पौंड
(२) अ, स के नाम पर की हुई ५० करोड़ की हुंडिएँ ब से ख़रीद लेता है; और (३) उनमें से २० करोड़ की हुंडी वह ङ को भेज देता है। (६) अ शेष तीस करोड़ की हुंडी ख को भेज देता है।		(१) ब, स के नाम पर ५० करोड़ पौंड की हुंडी जारी करता है।		(५) स, ब द्वारा की हुई २० करोड़ की हुंडी की रक़म ङ को चुका देता है। (१०) स, ख द्वारा की हुई तीस करोड़ की शेष हुंडी की रक़म ङ को चुका देता है। (१४) स, ख द्वारा की हुई दस करोड़ की हुंडी की रक़म ङ को चुका देता है। (१५) स, ख को या तो २० करोड़ पौंड का सोना भेज देता है, या अपने भारतीय अढ़तियों के नाम की हुई रोज़गारी हुंडिएँ अथवा कौंसिल-बिल भेज देता है।	

सूचना—पृष्ठ ३६ और ३७ पर दिए हुए दोनों कोष्ठकों के (१) से (१६) तक के नंबरों को क्रमानुसार पढ़ना चाहिए, अर्थात् पहले (१), फिर (२), (३), (४) आदि।

इँगलैंड	भारत	
ड=अमेरिका और भारत से लेनदार	क=अमेरिका और इँगलैंड के देनदार	ख=अमेरिका और इँगलैंड से लेनदार
. ४० करोड़ पौंड	४० करोड़ पौंड	६० करोड़ पौंड
अमेरिका से २० करोड़ पौंड भारत से २० करोड़ पौंड	अमेरिका के २० करोड़ पौंड इँगलैंड के २० करोड़ पौंड	अमेरिका से ३० करोड़ पौंड इँगलैंड से ३० करोड़ पौंड
(४) ड को अ से २० करोड़ की हुंडिएँ स के नाम मिलती हैं, जिसकी रक़म वह स से वसूल कर लेता है। (९) ड को क से तीस करोड़ की हुंडिएँ स के नाम मिलती हैं, जिसकी रक़म को वह स से वसूल कर लेता है। (१३) ड को क से दस करोड़ की हुंडिएँ स के नाम पर की हुई मिलती हैं, जिसकी रक़म वह स से वसूल कर लेता है।	(८) क, स के नाम पर ख द्वारा की हुई ३० करोड़ की हुंडिएँ ख से ख़रीद लेता है, और ड को भेज देता है। (१२) क, स के नाम ख द्वारा की हुई दस करोड़ की हुंडी ख़रीदकर ड को भेज देता है।	(७) ख को अ से ३० करोड़ की हुंडिएँ स के नाम पर की हुई मिलती हैं, जिसे वह क को बेच देता है। (११) ख, स के नाम १० करोड़ की हुंडी जारी करता है। (१६) ख को बीस करोड़ पौंड का सोना, रोज़गारी हुंडिएँ अथवा कौंसिल-बिल स से मिलते हैं।

उपर्युक्त कोष्ठक में एक बात ध्यान देने-योग्य यह है कि इँगलैंडवासियों ने यहाँ केवल ६० करोड़ पौंड का ही माल बाहर से मँगाया, और केवल ४० करोड़ पौड का बाहर भेजा। इस तरह तो वह बाहरवालों का २० करोड़ का देनदार है, परंतु उधर वहाँ के बैंकरों के भारतीय व्यापारियों की तरफ़ से हुंडिएँ स्वीकार करने के कारण, इँगलैड दूसरे दोनों देशों का भी ६० करोड़ पौड का देनदार अलग ही होता और साथ ही वह ६० करोड़ पौड का लेनदार भी रहता है।

इस कोष्ठक से निम्न-लिखित बातें भी मालूम हो जाती हैं—अमेरिकावासी लेनदार **ब** पहले ५० करोड़ पौंड की हुंडिएँ इँगलैंडवासी देनदार **स** के नाम पर जारी करता है, और वे अमेरिकावासी देनदार **अ** द्वारा ख़रीद ली जाती हैं। उनमें से २० करोड़ की हुंडिएँ **अ** इँगलैडवासी लेनदार **ड** को भेज देता है, और **ड**, **स** से उनकी रकम वसूल कर लेता है। **अ** अपने पास की तीस करोड़ की शेष बची हुई हुंडिएँ अपने भारतीय लेनदार **ख** को भेज देता है। ये तीस करोड़ की हुंडिएँ भारत में **क** द्वारा ख़रीदी जाकर **ड** के पास भेज दी जाती हैं, और **ड** उसकी रक़म **स** से वसूल कर लेता है। इतना सब हो चुकने पर अमेरिका का लेन-देन तो अदा हो जाता है, परंतु भारत के व्यापारी ३० करोड़ पौंड के इँगलैंड से लेनदार और दस करोड़ पौंड के देनदार रह

जाते हैं। ऐसी दशा में भारतीय व्यापारी **ख** अपने देनदार **स** के नाम १० करोड़ पौंड की हुंडिएँ जारी करता है। असल में **ख, स** से लेनदार तो ३० करोड़ पौंड का है, तो भी वह केवल १० करोड़ पौंड की हुंडिएँ इसलिये जारी करता है कि दस करोड़ पौंड की हुंडियों से अधिक की माँग भारत में न होने के कारण संभवतः उससे अधिक की हुंडिएँ भारत में बिक नहीं सकतीं। इसलिये **ख** अपने देनदार **स** को शेष रक़म (२० करोड़ पौंड) सोना-चाँदी, रोज़गारी हुंडी या कौंसिल-बिल के द्वारा भेजने के लिये सूचित कर देता है। इँगलैंड का भारतीय देनदार **क, ख** द्वारा **स** के नाम पर जारी की हुई १० करोड़ पौंड की हुंडिएँ ख़रीदकर अपने लेनदार **ड** को भेज देता है, और **ड** उसकी रक़म **स** से वसूल कर लेता है। **स** बीस करोड़ की रक़म सोना-चाँदी, रोज़गारी हुंडिएँ अथवा कौंसिल-बिल द्वारा **ख** को भेज देता है, और इस हिसाब से लगभग ३०० करोड़ पौंड का इन तीन देशों का लेन-देन, अधिक-से-अधिक २० करोड़ पौंड की सोना-चाँदी एक जगह से दूसरी जगह भेजने पर ही, बहुत आसानी से हुंडियों द्वारा चुका दिया जाता है।

कई देशों का लेन-देन

यदि किसी देश का व्यापार अथवा लेन-देन दो से अधिक

देशों के साथ हुआ—जैसा कि हमेशा होता रहता है—तो लेन-देन के चुकाने के तरीक़ों में कुछ भी फ़र्क़ नहीं पड़ता। हुंडियों का व्यवहार ऊपर-लिखे अनुसार किया जाता है, और जहाँ तक हो सकता है, प्रत्येक व्यापारी सोने-चाँदी के भेजने के ख़र्च और जोखिम से बचने का भरसक प्रयत्न करता है।

इस अध्याय को यहाँ पर समाप्त कर हम अगले अध्याय में यह बतलावेंगे कि टकसाली दर (Mint-par) और स्वर्ण-आयात-निर्यात-दर क्या है, विनिमय की दर किन-किन बातो पर निर्भर रहती, और लेन-देन की विषमता का उस पर क्या प्रभाव पड़ता है।

चौथा अध्याय

टकसाली और स्वर्ण-आयात-निर्यात-दर

टकसाली दर

संसार के अधिकांश देशों में सोने का सिक्का प्रचलित है। यह प्रामाणिक * सिक्का रहता है, और कानूनन् ग्राह्य † माना जाता है। उसके बाजारू और धात्विक मूल्य में विशेष अंतर नहीं रहता। ऐसे सिक्के में कितना सोना होना चाहिए, और उसका क्या वज़न होना चाहिए, ये बातें प्रत्येक देश में क़ानून द्वारा पहले ही नियत कर दी जाती हैं। तब उतने ही वज़न और उतने ही असली सोने के सिक्के टकसाल में ढाले जाते है। ऐसे देश में जनता को भी यह अधिकार रहता है कि वह चाहे तो अपने पास का सोना टकसाल में ले जाय, और ढालने का ख़र्च देकर, या कहीं-कहीं विना ख़र्च दिए ही, सोने के उतने सिक्के ले ले, जिनके असली सोने का मूल्य उसके दिए हुए सोने के मूल्य के बराबर होता हो।

---

* Standard Coin.

† Legal Tender.

ऐसे दो देशों के बीच की, जिनमें सोने का प्रामाणिक सिक्का प्रचलित हो, टकसाली दर वह है, जो उन दोनों देशों के सिक्कों के असली सोने के परिमाण का संबंध बतलाती है। फ्रांस और इँगलैंड, दोनों देशों में सोने के प्रामाणिक सिक्के प्रचलित हैं। फ्रांस के सिक्के को फ्रैंक कहते है, और इँगलैंड के सिक्के को पौंड। इन दोनों देशों की टक्साली दर क्या होगी? इन्ही सिक्कों के असली सोने के परिमाण का संबंध। उस दर से यह विदित होगा कि एक पौंड में जितना असली सोना रहता है, उसके यदि फ्रैंक-सिक्के ढाले जायँ, तो कितने सिक्के बनेंगे, अथवा उतना सोना कितने फ्रैंक-सिक्कों में मिलेगा। यह जानने के लिये कि इन सिक्कों में कितना असली सोना रहता है, इन देशों के टकसाल-संबंधी क़ानून को जान लेना आवश्यक है। इँगलैंड के पौंड में ७.९९ ग्रेम स्टैंडर्ड-सोना रहता है, जिसमें $\frac{११}{१२}$ भाग असली सोने का होता है। इस प्रकार प्रत्येक पौंड में सोने का परिमाण $\frac{७\cdot९९ \times ११}{१२}$ ग्रेम रहता है। फ्रांस के क़ानून के अनुसार ९०० ग्रेम असली सोने से ३१०० फ्रैंक-सिक्के ढाले जाते हैं। इस प्रकार प्रत्येक फ्रैंक में $\frac{९००}{३१००}$ ग्रेम असली सोना रहता है। अब यह आसानी से जाना जा सकता है कि कितने फ्रैंकों में असली

सोने का परिमाण $\frac{७·९९ \times ११}{१२}$ ग्रेम होगा । वह संख्या

$\frac{७·९९ \times ११ \times ३१००}{१२ \times ९००}$ फ़्रैंक, अर्थात् २५·२२५ फ़्रैंक

है, और यही पौंड की फ़्रैंक में टकसाली दर है।

संसार के कुछ देशों की टकसाली दर

उपर्युक्त रीति से इँगलैंड की अन्य देशों के साथ टकसाली दर क्या है, यह निकाला जा सकता है। वह नीचे-लिखे अनुसार है—

इँगलैंड	और	फ़्रांस	१	पौंड=२५·२२५ फ़्रैंक
,,	,,	जर्मनी	१	,, =२०·४३० मार्क
,,	,,	आस्ट्रिया	१	,, =२४·०२० क्रोन
,,	,,	इटली	१	,, =२५·२२५ लायर
,,	,,	अमेरिका	१	,, = ४·८६६ डालर
,,	,,	टर्की	१	,, = ११० पियास्टर
,,	,,	हालैंड	१	,, =१२·१०७ फ़्लारिन
,,	,,	बेलजियम	१	,, =२५·२२५ फ़्रैंक
,,	,,	नार्वे तथा स्वीडन	१	,, =१८·१५९ क्रोनर
,,	,,	ग्रीस(यूनान)	१	,, =२५·२२५ ड्राम
,,	,,	जापान	१	येन=२४·५८० पेंस

अमेरिका और संसार के कुछ देशों की टकसाली दरें नीचे-लिखे अनुसार हैं—

अमेरिका	और	इँगलैंड	१ पौंड=४·८६६ डालर
,,	,,	पेरिस	१ फ्रैंक=१९·३० सेंट*
,,	,,	इटली	१ लायर=१९·३० ,,
,,	,,	नार्वे तथा स्वीडन	१ क्रोनर=२६·८० ,,
,,	,,	जापान	१ येन =४९·८५ ,,
,,	,,	जर्मनी	१ मार्क=२३·८३ ,,

भारत में सोने या चाँदी का कोई प्रामाणिक सिक्का न होने के कारण यहाँ के सिक्कों की अन्य देशों के सिक्कों के साथ कोई टकसाली दर नहीं है।

उपर्युक्त टकसाली दरें बदलती नहीं है; क्योंकि वे तो सिक्कों के असली सोने के परिमाणों का संबंध-मात्र हैं। और, जब तक सिक्कों में असली सोने का परिमाण नहीं बदलता, तब तक टकसाली दरें भी नहीं बदल सकती। परंतु ऐसे दो देशों में, जिनमें एक में तो सोने का प्रामाणिक सिक्का प्रचलित हो और दूसरे में चाँदी का, टकसाली दर हमेशा बदलती रहती है; क्योंकि चाँदी की क़ीमत सोने में हमेशा ही बदलती रहती है। ऐसी दशा में टकसाली दर उसी अनुपात में घटती बढ़ती है, जिस अनुपात में चाँदी की सोने

* १०० सेंट=१ डालर।

में क़ीमत घटती-बढ़ती है। भारत में यही दशा सन् १८९३ के पहले थी। हमारा चाँदी का सिक्का—रुपया—उस समय प्रामाणिक सिक्का था, और अन्य देशों के प्रामाणिक सिक्के सोने के थे। जैसे-जैसे भारत में चाँदी की क़ीमत उस समय बदलती गई, वैसे-वैसे हमारी टकसाली दर भी बदलती गई। परंतु अब तो भारत में कोई प्रामाणिक सिक्का है ही नहीं। रुपए की बाज़ारू क़ीमत उसमें लगी हुई चाँदी की क़ीमत से अधिक है। इसलिये अब तो भारत और अन्य देशों के बीच में कोई टकसाली दर रह ही नहीं गई। परंतु भारत-सरकार ने क़ानून बनाकर रुपए की दर शिलिंग-पेंस में नियत कर दी है, और वह उसको बनाए रखने का प्रयत्न भी प्रायः करती रहती है। संवत् १९७७ (सन् १९२०) के पहले भारत की टकसाली दर १ रुपया=१ शि० ४ पेंस थी। अब वही १ रुपया=२ शिलिंग है। पुरानी दर को संवत् १९७७ (सन् १९२०) में बदलने के क्या कारण थे, और अब इस नवीन दर के बनाए रखने में सरकार इस समय क्यों असमर्थ है, इन सब बातों पर अन्य किसी अध्याय में विचार किया जायगा। परंतु यहाँ यह बतला देना हम आवश्यक समझते हैं कि विदेशी विनिमय की दर जानने के लिये भिन्न-भिन्न देशों की टकसाली दर का जानना बहुत आवश्यक है; क्योंकि साधारण दशा में विनिमय की दर और टकसाली

दर में बहुत कम अंतर रहता है। लेन-देन की विषमता के अनुसार कभी वह दर टकसाली दर से थोड़ी कम रहती है, और कभी अधिक हो जाती है।

स्वर्ण-आयात-निर्यात-दर

अब हम इस प्रश्न पर विचार करते हैं कि विनिमय की दर पर किन-किन बातों का प्रभाव पड़ता है। यदि दोनों देशों में प्रामाणिक सिक्के प्रचलित हों, और सोने-चाँदी के भेजने और मँगाने में किसी तरह की रोक-टोक न हो, तथा काग़ज़ी मुद्रा (नोटों) का अधिक परिमाण में प्रचार न किया गया हो, तो विदेशी दर्शनी हुंडियों की दर किस तरह से स्थिर होगी, यह नीचे बतलाया जाता है। मान लीजिए, किसी समय फ़्रांस के लेन-देन की विषमता उसके प्रतिकूल है, अर्थात् फ़्रांस के व्यापारी इँगलैंड के व्यापारियों के लेनदार की अपेक्षा देनदार अधिक है। ऐसी दशा में फ़्रांस में इँगलैंड पर की हुई हुंडियों के ख़रीदार अधिक होंगे, और बेचनेवाले कम। हुंडियों की पूर्ति माँग से कम होगी। अर्थशास्त्र के सिद्धांत के अनुसार इस कमी का फल यह होगा कि इँगलैंड पर की हुई दर्शनी हुंडियों की क़ीमत फ़्रैंक में बढ़ जायगी, और फ़्रांस का प्रत्येक ख़रीददार एक पौंड की हुंडी के लिये २५·२२ फ़्रैंक से अधिक देने को तैयार हो जायगा। परंतु यह दर बहुत अधिक न बढ़ सकेगी। हुंडी लेन-देन चुकाने का एक

साधन-मात्र है, और लेन-देन उसके द्वारा तभी तक चुकाया जाता है, जब उससे कुछ लाभ होता हो। सोने-चाँदी के भेजने में कोई रोक-टोक न होने के कारण फ्रांस के व्यापारी को २५·२२ फ्रैंक में उतना सोना मिल सकेगा, जितना एक पौंड में रहता है। परंतु उसे इस सोने को अपने इँगलैंड के सौदागर के पास भेजने में कुछ खर्च भी उठाना पड़ेगा। उसको सोने का बीमा भी करना होगा। यदि हम यह मान लें कि ये सब खर्च ४ प्रति हजार होंगे, तो सोना भेजकर अपनी देनी चुकाने में फ्रांस के व्यापारी को प्रति पौंड २५·२२+०·१०=२५·३२ फ्रैंक देना होगा। दर्शनी हुंडी की दर भी इस दर से अधिक नहीं बढ़ने पावेगी ; क्योंकि यदि वह उपर्युक्त दर तक बढ़ जाय, तो सोना भेजने में व्यापारियों को लाभ होने लगेगा, और वे हुंडियों का उपयोग करना बंद कर देंगे। वे उसी ज़रिए से अपनी देनी चुकावेंगे, और विदेशी हुंडियों की माँग कम हो जायगी। इसलिये फ्रैंक में उसकी क़ीमत घटने लगेगी। विनिमय की इस दर (२५·३२ फ्रैंक) को फ्रांस की स्वर्ण-निर्यात-दर कह सकते हैं।

ऊपर बताई हुई दशाओं में यदि फ्रांस के लेन-देन की विषमता उसके अनुकूल हुई, अर्थात् फ्रांस इँगलैंड का देनदार की अपेक्षा अधिक परिमाण में ‍नदार हुआ, तो इँगलैंड

पर की हुई बहुत-सी हुंडिएँ बाज़ार में रहेंगी ; परंतु उनके ख़रीदनेवाले कम रहेंगे । उनकी पूर्ति उनकी माँग से अधिक रहेगी । इस कारण फ़्रैंक में उनकी क़ीमत घट जायगी । हुंडिएँ बेचनेवाले कुछ कम क़ीमत लेने को तैयार हो जायँगे। परंतु इस घटाव की भी कोई सीमा है। यदि इँगलैंड से फ़्रांस को १ पौंड सोना भेजने का ख़र्च टकसाली दर से घटा दिया जाय, और इस नई दर से भी हुंडियों की दर कम रहे, तो फ़्रांस के व्यापारी अपने अँगरेज़ देनदारों के नाम हुंडिएँ जारी करना बंद कर देंगे, और उनसे सोना ही भेजने के लिये आग्रह करेंगे। इस प्रकार फ़्रांस में विनिमय की दर उपर्युक्त दशा में २५·२२—०·१०=२५·१२ फ़्रैंक से नीचे नहीं गिर सकेगी। इस दर को फ़्रांस की स्वर्ण-आयात-दर कह सकते हैं।

उसी परिस्थिति में इँगलैंड के विनिमय की दर किस प्रकार स्थिर होगी, इस प्रश्न पर अब ज़रा विचार कीजिए। जब किसी समय लेन-देन की विषमता इँगलैंड के प्रतिकूल हुई, तो इँगलैंड में फ़्रांस पर की हुई हुंडियों की माँग उनकी पूर्ति से अधिक रहेगी। इसलिये उनकी क़ीमत पौंड में बढ़ जायगी—अर्थात् २५·२२ फ़्रैंक की हुंडी के लिये एक पौंड से अधिक देना पड़ेगा, या यों कहिए कि एक पौंड में २५·२२ फ़्रैंक से कम की ही हुंडी मिलेगी। परंतु ऊपर बताए हुए नियम के अनुसार इस घटाव की भी कोई सीमा होगी,

और इँगलैंड की स्वर्ण-निर्यात-दर २५·२२—०·१०=२५·१२ फ़्रैंक होगी। ध्यान रहे, यही फ़्रांस की स्वर्ण-आयात-दर है। फ़्रांस की स्वर्ण-निर्यात-दर २५·३२ फ़्रैंक है। बहुतों का यह ख़याल है कि स्वर्ण-निर्यात-दर हमेशा टकसाली दर से कम रहती है; पर यह ख़याल बिलकुल ग़लत है। जिन देशों के विनिमय की दर दूसरे देशों के सिक्कों में बतलाई जाती है (जैसे, भारत की इँगलैंड के सिक्कों में, और इँगलैंड की फ़्रांस, जर्मनी और अमेरिका के सिक्कों में), उन देशों की स्वर्ण-निर्यात-दर टकसाली दर से कम रहती है। और, जिन देशों के विनिमय की दर अपने देश के सिक्कों में बतलाई जाती है (जैसे, फ़्रांस की इँगलैंड से फ़्रैंक में और जर्मनी की इँगलैंड से मार्क में), उन देशों की स्वर्ण-निर्यात-दर टकसाली दर से अधिक रहती है।

कुछ देशों की स्वर्ण-आयात और स्वर्ण-निर्यात-दरें

इसी प्रकार जिन देशों के विनिमय की दर अन्य देशों के सिक्कों में बतलाई जाती है, उन देशों की स्वर्ण-आयात-दर टकसाली दर से अधिक रहती है; और जिन देशों के विनिमय की दर उसी देश के सिक्कों में बतलाई जाती है, उन देशों की स्वर्ण-आयात-दर टकसाली दर से कम रहती है। यदि पाठक-गण उपर्युक्त नियमों को ध्यान में रक्खेंगे, तो उनको स्वर्ण-आयात और स्वर्ण-निर्यात-दरों के समझने में कठिनाई न पड़ेगी।

नीचे हम चार मुख्य देशों की स्वर्ण-आयात और स्वर्ण-निर्यात-दरें देते हैं—

इँगलैंड की	स्वर्ण-निर्यात-दर	स्वर्ण-आयात-दर
,, फ्रांस से	२५·१२ फ्रैंक	२५·३२ फ्रैंक
,, जर्मनी से	२०·३३ मार्क	२०·५२ मार्क
,, अमेरिका से	४·८३ डॉलर	४·८९ डॉलर
,, भारत से (१९२० के पहले)	१ शि० ४ $\frac{१}{४}$ पेंस	१ शि० ३ $\frac{१}{१}\frac{३}{६}$ पेंस
*(१९२० के बाद)	२ शि० $\frac{१}{४}$ पेंस	१ शि० ११ $\frac{१}{१}\frac{३}{६}$ पेंस

यहाँ पर यह ख़याल रखना ज़रूरी है कि भिन्न-भिन्न देशों की स्वर्ण-आयात और स्वर्ण-निर्यात-दरें हमेशा एक-सी नहीं रहतीं। सोना भेजने के ख़र्च के घटने-बढ़ने से उसमें भी घट-बढ़ हो जाती है।

यदि काग़ज़ी मुद्रा का अधिक परिमाण में प्रचार न किया गया हो, और सोने-चाँदी के भेजने और मँगाने में कोई रोक-टोक न हो, तो किसी भी देश के लेन-देन की विषमता का उसके विनिमय की दर पर यह प्रभाव पड़ता है कि वह स्वर्ण-आयात अथवा स्वर्ण-निर्यात की दर तक घटती-बढ़ती रहती है। यदि विषमता प्रतिकूल हुई, तो वह स्वर्ण-निर्यात-दर तक पहुँच जाती है, और अनुकूल हुई, तो स्वर्ण-आयात-

* यदि भारत-सरकार क़ानूनन् निर्द्धारित दर (१पौंड=१०रु०) बनाए रखने में समर्थ हो, तो।

दर तक। परंतु साधारणतः विनिमय की दर इन स्वर्ण-आयात और स्वर्ण-निर्यात-दरों के बाहर नहीं जाती। हाँ, यदि किसी देश से युद्ध की शीघ्र संभावना हो, तो उस परिस्थिति में विनिमय की दर स्वर्ण-आयात और स्वर्ण-निर्यात-दरों के बाहर भी चली जाती है; क्योंकि उस समय व्यापारियों को सबसे बड़ी फ़िक्र यह रहती है कि जिस देश से युद्ध छिड़नेवाला है, उस देश के निवासियों पर की हुई हुंडियों के बदले उनको शीघ्र ही किसी प्रकार धन मिल जाय। इसलिये वे लोग ऐसी हुंडियों को बाज़ार में जिस किसी क़ीमत पर ही बेच डालते हैं। परंतु साधारणतः जैसा हम ऊपर कह चुके हैं, विनिमय की दर पहले बतलाई हुई दशाओं में स्वर्ण-आयात और स्वर्ण-निर्यात की दरों के बाहर नहीं जाती।

इस अध्याय को यहाँ पर समाप्त कर, अगले अध्यायों में हम यह बताने का प्रयत्न करेंगे कि मुद्दती विदेशी हुंडियों की दर किस तरह से कूती जाती है, भिन्न-भिन्न परिस्थितियों में विनिमय की दर किन-किन सीमाओं के अंदर रहती है, इस दर के अस्थिर रहने से व्यापार को क्या हानियाँ उठानी पड़ती हैं, तथा विनिमय की दर किन दशाओं में स्थिर की जा सकती है।

पाँचवाँ अध्याय

भिन्न-भिन्न परिस्थितियों में विनिमय की दर की सीमाएँ

गत अध्याय में हम यह बतला चुके हैं कि यदि काग़ज़ी मुद्रा का अधिक परिमाण में प्रचार न किया गया हो, और सोना-चाँदी भेजने-मँगाने में कोई रोक-टोक न हो, तो सोने के प्रामाणिक सिक्कों का उपयोग करनेवाले कोई भी दो देशों की विनिमय की दर उन देशों के स्वर्ण-आयात और स्वर्ण-निर्यात-दरों से साधारणतः बाहर नहीं जाती। इस अध्याय में, दर्शनी हुंडियों की दर से मुद्दती हुंडियों की दर किस प्रकार कूती जाती है, भिन्न-भिन्न परिस्थितियों में विनिमय की दर किन सीमाओं के अंदर रहती है, और उनकी अत्यधिक घट-बढ़ किन दशाओं में होती है, यह बतलाया जायगा।

मुद्दती हुंडियों की दर

जिस देश में मुद्दती हुंडी लिखी जाती है, उसके क़ानून के अनुसार उस पर स्टैंप-फ़ीस लगाई जाती है। इस ख़र्च के अतिरिक्त जितने दिन की वह हुंडी होती है, उतने दिनों

का ब्याज उस दर से लगाया जाता है, जो उस देश में प्रचलित है, जिस देश पर कि वह लिखी गई है। यदि विनिमय की दर अपने ही देश की करेंसी में बतलाई जाती है, तो यह ख़र्च और ब्याज दर्शनी हुंडी की दर से घटा दिए जाते हैं। और, यदि विनिमय की दर अन्य देशों की करेंसी में बतलाई जाती है, तो ख़र्च और ब्याज दर्शनी हुंडी की दर में जोड़ दिए जाते हैं। मान लीजिए, तीन महीने की एक मुद्दती हुंडी फ़्रांस में इँगलैंड पर लिखी गई। यदि फ़्रांस की स्टैंप-फ़ीस का ख़र्च $\frac{1}{2}$ प्रति हज़ार हो, दर्शनी हुंडी की दर २५·१६७५ फ़्रैंक फ़ी पौंड हो, और इँगलैंड में ब्याज की दर ४ प्रति सैकड़ा हो, तो उस मुद्दती हुंडी की दर नीचे-लिखे अनुसार लगाई जायगी—

दर्शनी हुंडी की दर	२५·१६७५ फ़्रैंक
फ़्रांस की स्टैंप-फ़ीस का ख़र्च ($\frac{1}{2}$ फ़ी हज़ार) } तीन महीने का ब्याज (४ प्रति सैकड़ा) }	·२६५२ फ़्रैंक
	२४·९०२३ फ़्रैंक

फ़्रांस की विनिमय की दर अपनी ही करेंसी में बतलाई जाती है, इसलिये उपर्युक्त हिसाब में ख़र्च और ब्याज घटा दिए गए हैं। इस हुंडी की बाज़ारू दर २४·९०२३ से भी कुछ कम होगी ; क्योंकि ख़रीदनेवाला जोखिम के लिये भी

कुछ रक़म घटा लेगा। और, यह बाज़ारू दर लेन-देन की विषमता के अनुसार दो निर्दिष्ट सीमाओं के अंदर घटा-बढ़ा करेगी।

यदि उपर्युक्त मुद्दती हुंडी इँगलैंड में फ्रांस पर लिखी गई होती, तो स्टैंप-फ़ीस का ख़र्च और ब्याज दर्शनी हुंडी की दर में जोड़ दिया गया होता। मान लीजिए, इँगलैंड में स्टैंप-फ़ीस १ फ़ी हज़ार है, और फ्रांस में ब्याज की दर ६ प्रति सैकड़े है। तब यदि दर्शनी हुंडी की दर, पिछले उदाहरण के समान, २५·१६७५ हो, तो इँगलैंड में मुद्दती हुंडी की दर नीचे-लिखे अनुसार लगाई जायगी—

दर्शनी हुंडी की दर	२५·१६७५ फ्रैंक
इँगलैंड की स्टैंप-फ़ीस(१प्रति हज़ार) } तीन महीने का ब्याज(६प्रति सैकड़ा) }	·४०२६ ,,
	२५·५७०१ फ्रैंक

इँगलैंड में इस विदेशी हुंडी की बाज़ारू दर २५·५७०१ फ्रैंक से कुछ अधिक होगी, और लेन-देन की विषमता के अनुसार वह भी दो निर्दिष्ट सीमाओं के अंदर घटा-बढ़ा करेगी। यद्यपि यह दर दर्शनी हुंडी की दर से अधिक है, तो भी मुद्दती हुंडी के बेचनेवालों को पौंड में कम ही रक़म मिलेगी। मान लीजिए, २५·५७०१ फ्रैंक की एक मुद्दती हुंडी फ्रांस पर की गई। उस मुद्दती हुंडी के बेचने पर

अधिक-से-अधिक सिर्फ़ १०,००० पौंड ही मिलेंगे। यदि वह दर्शनी हुंडी होती, तो उससे क़रीब १०,१६० पौंड मिलते। मुद्दती हुंडियों की दरों में घट-बढ़ अधिक हुआ करती है, और प्रायः सब हुंडियों के लिये दर एक-सी नहीं रहती; क्योंकि इन दरों पर समय का प्रभाव भी पड़ता है, और ख़रीदनेवालों को थोड़ा-बहुत जोखिम भी उठाना पड़ता है। यह जोखिम भिन्न-भिन्न प्रकार की हुंडियों के लिये, हुंडी जारी करनेवालों की साख और देश की परिस्थिति के अनुसार, भिन्न-भिन्न हो सकता है।

काग़ज़ी मुद्रा का अत्यधिक प्रचार और विनिमय की दर

जब किसी देश में कागज़ी मुद्रा का आवश्यकता से अधिक परिमाण में प्रचार किया जाता है, तो रुपए-पैसे-संबंधी पारिमाणिक सिद्धांत के अनुसार उस देश में सब वस्तुओं की कागज़ी मुद्रा में क़ीमत बढ़ जाती है। इस पारिमाणिक सिद्धांत का विवेचन परिशिष्ट नंबर १ में किया गया है। उससे मालूम होगा कि वस्तुओं की क़ीमत एक साथ कब और कैसे बढ़ती है। परिशिष्ट नंबर २ में इसके अतिरिक्त यह बतलाया गया है कि जब कागज़ी मुद्रा का अधिक परिमाण में प्रचार होता है, तो प्रत्येक वस्तु की प्रायः दो क़ीमतें हो जाती हैं—सोने के सिक्के में कुछ और, कागज़ी मुद्रा में कुछ और। जर्मनी में कागज़ी मुद्रा के अधिक प्रचार

के कारण कागज़ी मार्क की क़ीमत बहुत गिर गई थी, अर्थात् वहाँ पर वस्तुओं के ख़रीदने में अधिक कागज़ी मार्क देने पड़ते थे, या यों कहिए, सब वस्तुओं की क़ीमत बढ़ गई थी। मान लीजिए, जर्मनी में जो वस्तु २० मार्क का सोने का सिक्का देने से मिलती थी, उसी वस्तु के ख़रीदने के लिये ८०० कागज़ी मार्क देने पड़े थे, अर्थात् २० मार्क के सोने के सिक्के की क़ीमत ८०० कागज़ी मार्क हो गई थी। अब यदि यह भी मान लें कि इँगलैंड में अधिक कागज़ी मुद्रा का प्रचार नहीं हुआ है, तो प्रश्न यह उपस्थित होता है कि उक्त परिस्थिति में इँगलैंड के साथ जर्मनी की विनिमय की दर क्या होगी? जर्मनी की विनिमय की दर मार्क में बतलाई जाती है, इसलिये वह उतने ही फ़ी सैकड़े बढ़ जायगी, जितनी कि सोने के मार्क की क़ीमत कागज़ी मार्क में बढ़ गई थी। वह दर नीचे-लिखे अनुसार भी निकाली जा सकती है—

१ पौंड सोने का सिक्का २०·४३ सोने के मार्क-सिक्कों के बराबर है।

२० मार्क का सोने का सिक्का ८०० कागज़ी मार्क के बराबर है।

इसलिये २०·४३ मार्क का सोने का सिक्का $\frac{८००\times२०·३४}{२०}$ = कागज़ी मार्क के बराबर है।

अथवा १ पौंड सोने का सिक्का $\frac{८००\times२०\cdot४३}{२०}$ कागज़ी मार्क के बराबर है।

यदि इँगलैंड और जर्मनी के बीच में सोने-चाँदी का भेजना-मँगाना सरकार द्वारा बंद न किया गया हो, तो उपर्युक्त परिस्थिति में विनिमय की बाज़ारू दर उक्त दर से, लेन-देन की विषमता के अनुसार, थोड़ी अधिक या कम होगी। परंतु वह दो सीमाओं के अंदर रहेगी, और ये सीमाएँ एक पौंड के इँगलैंड से जर्मनी भेजे जाने के ख़र्च के अनुसार निर्द्धारित हो जायँगी। लेकिन इस परिस्थिति में विनिमय की दर स्थिर नहीं रह सकती; क्योंकि जैसे-जैसे सरकार कागज़ी मुद्रा का प्रचार घटाती-बढ़ाती जायगी, वैसे-वैसे सोने की कागज़ी मुद्रा में क़ीमत भी बदलती रहेगी, तथा विनिमय की दर पर भी उसका उतना ही असर पड़ेगा।

उपर्युक्त उदाहरण में यदि हम यह भी मान लें कि इँगलैंड में कागज़ी पौंड का प्रचार आवश्यकता से अधिक परिमाण में किया गया, और सोने के पौंड की क़ीमत कागज़ी पौंड में डेढ़ पौंड हो गई, तो जर्मनी और इँगलैंड की विनिमय की दर नीचे-लिखे अनुसार निकाली जायगी—

१. कागज़ी पौंड की क़ीमत $\frac{२}{३}$ सोने के पौंड के बराबर है,

१ सोने का पौंड २०·४३ सोने के मार्क के बराबर है,

इसलिये $\frac{२}{३}$ सोने का पौंड २०·४३×$\frac{२}{३}$ सोने के मार्क के बराबर है।

और, २० सोने के मार्क ८०० कागज़ी मार्क के बराबर हैं,

अतएव २०·४३×$\frac{२}{३}$ सोने के मार्क $\frac{८००×२०·४३×२}{३×२०}$ कागज़ी मार्क के बराबर हैं,

अर्थात् १ कागज़ी पौंड $\frac{८००×२०·४३×२}{३×२०}$ कागज़ी मार्क के बराबर है।

बाज़ारू दर, लेन-देन की विषमता के अनुसार, उपर्युक्त दर से थोड़ी अधिक या कम होगी, और दो खास सीमाओं के अंदर रहेगी। परंतु विनिमय की दर की अस्थिरता कुछ बढ़ जायगी ; क्योंकि दोनों देशों की सरकारों द्वारा कागज़ी रुपयों के परिमाण के घटाए-बढ़ाए जाने का असर इस दर पर अवश्य पड़ेगा।

सोने-चाँदी की रोक-टोक का विनिमय की दर पर प्रभाव

यदि उपर्युक्त परिस्थितियों में कोई सरकार जनता द्वारा सोने-चाँदी का मँगाना और भेजना बिलकुल बंद कर देती है, तो समस्या बहुत ही जटिल रूप धारण कर लेती है। ऐसे देश का विदेशी व्यापार बहुत कम हो जाता है, और विनिमय की दर ऐसी रहती है, जिससे तत्कालीन लेन-देन

बराबर अदा हो जाय। विनिमय की दर की अस्थिरता का तो फिर पूछना ही क्या है। राष्ट्र-विप्लव के बाद रूस का यही हाल था। उसको अन्य देशों से माल पाने में बड़ी कठिनाई पड़ती थी ; क्योंकि वहाँ के व्यापारियों के पास विदेशी लेन-देन के चुकाने का कोई स्वतंत्र साधन न होने के कारण, अन्य देशवाले रूस को तब तक माल ही न भेजते थे, जब तक उनको रूस से उतनी ही क़ीमत का माल न मिल जाय, या रूस की सरकार उसके चुकाने की ज़िम्मेदारी अपने ऊपर न ले ले। उपर्युक्त विवेचन से पाठक समझ गए होंगे कि सोने के प्रामाणिक सिक्के का उपयोग करनेवाले देशों में विनिमय की दर की अस्थिरता का मुख्य कारण कागज़ी मुद्रा का अधिक परिमाण में प्रचार करना और चाँदी-सोने के भेजने-मँगाने में सरकार द्वारा रोक-टोक का होना है। ऐसे देशों में विनिमय की दर स्थिर करने का सबसे सीधा तरीक़ा है कागज़ी मुद्रा का उचित परिमाण में प्रचार करना और चाँदी-सोने को स्वतंत्र रूप से आने-जाने देना।

चाँदी के सिक्के उपयोग करनेवाले देशों की दशा

यदि एक देश में सोने का और दूसरे देश में चाँदी का प्रामाणिक सिक्का प्रचलित हो, और यदि दोनों देशों में कागज़ी मुद्रा का अधिक परिमाण में प्रचार न हो, तो भी

उनकी विनिमय की दर स्थिर नहीं रह सकती ; क्योंकि जैसे-जैसे सोने में चाँदी की क़ीमत बदलती रहेगी, वैसे-वैसे विनिमय की दर भी बदलती रहेगी । चीन की यही हालत है, और सन् १८९३ के पहले भारत और इँगलैंड के विनिमय की दर की यही हालत थी । सन् १८७३ में चाँदी की क़ीमत का गिरना आरंभ हुआ। और, जैसा कि नीचे दिए हुए कोष्ठक से मालूम होगा, उसके साथ-ही-साथ भारत-इँगलैंड की विनिमय की दर भी गिरती गई ।

सन्	चाँदी की क़ीमत (प्रत्येक औंस की पेंस में)	भारत-इँगलैंड विनिमय की दर	
		शि०	पें०
१८७१-७२	६० $\frac{१}{२}$	१	११ $\frac{२}{८}$
१८७५-७६	५६ $\frac{३}{४}$	१	९ $\frac{५}{८}$
१८७९-८०	५१ $\frac{१}{४}$	१	८
१८८३-८४	५० $\frac{१}{२}$	१	७ $\frac{१}{२}$
१८८७-८८	४४ $\frac{५}{८}$	१	४ $\frac{७}{८}$
१८८८-८९	४२ $\frac{७}{८}$	१	४ $\frac{३}{८}$
१८९०-९१	४७ $\frac{११}{१६}$	१	६ $\frac{१}{४}$
१८९१-९२	४५	१	४ $\frac{३}{४}$
१८९२-९३	३९	१	३

इस कोष्ठक से पता लगता है कि २० वर्षों के अंदर चाँदी

की क़ीमत के गिरते रहने से भारतीय विनिमय की दर कभी भी अधिक समय के लिये स्थिर नहीं रही।

भारत की दशा

उपर्युक्त अस्थिरता को दूर करने के लिये यदि भारत-सरकार चाहती, तो सन् १८९३ में अन्य देशों के समान भारत में भी सोने के प्रामाणिक सिक्कों का प्रचार कर, हमेशा के लिये भारतीय विनिमय की दर स्थिर कर देती। परंतु देश के दुर्भाग्य से हमारी सरकार ने एक दूसरे ही साधन का आश्रय लिया। सन् १८९३ के पहले प्रत्येक मनुष्य को यह अधिकार था कि यदि वह चाहे, तो टकसाल में चाँदी ले जाकर, और सिक्कों की ढलाई का उचित ख़र्च देकर, चाँदी के रुपए ढलवा ले। सन् १८९३ में यह अधिकार जनता से छीन लिया गया। सरकार ने रुपयों का ढालना अपनी ही इच्छा पर रख छोड़ा। कुछ वर्षों तक रुपयों का ढालना बिलकुल बंद रहा। देश में रुपयों की माँग बराबर बढ़ती गई, परंतु उसकी पूर्ति न हो सकने के कारण उसकी बाज़ारू क़ीमत बढ़ गई। जैसा कि अगले पृष्ठ पर दिए हुए कोष्ठक से विदित होगा, रुपए की बाज़ारू क़ीमत उसकी असली (धात्विक) क़ीमत से धीरे-धीरे बढ़ने लगी, और रुपया सांकेतिक सिक्का*मात्र रह गया।

* Token Coin.

सन्	रुपए का धात्विक मूल्य		रुपए की बाज़ारू क़ीमत (विनिमय की दर)	
	शि०	पें०	शि०	पें०
१८९२	१	३$\frac{१}{४}$	१	३$\frac{१}{४}$
१८९३	१	१$\frac{५}{८}$	१	३$\frac{१}{१६}$
१८९४	०	११$\frac{१}{८}$	१	१$\frac{१}{२}$
१८९५	०	११$\frac{३}{१६}$	१	१$\frac{३}{४}$
१८९६	०	११$\frac{७}{८}$	१	२$\frac{१}{२}$
१८९७	०	१०$\frac{१}{२}$	१	३$\frac{१}{७}$
१८९८	०	१०$\frac{३}{१६}$	१	३$\frac{१३}{१६}$
१८९९	०	१०$\frac{१७}{३२}$	१	४

सन् १८९३ में भारत-सरकार ने रुपए की इँगलैंड के सिक्के —शिलिंग-पेंस— में क़ानूनन् एक दर निर्द्धारित कर दी, जो १ रुपया=१ शिलिंग ४ पेंस थी। सन् १८९९ में जब भारत-इँगलैंड के विनिमय की दर १ शिलिंग ४ पेंस तक पहुँच गई, तो उसके बाद भारत-सरकार ने उसे बनाए रखने का प्रयत्न किया। जब दर १ शिलिंग ३$\frac{१५}{१६}$ पेंस से कम होने लगती थी, तो भारत-सरकार भारत में उलटी हुंडिएँ बेचकर उसे अधिक गिरने से रोकती थी। और, जब वह दर १ शिलिंग ४$\frac{१}{८}$ पेंस से अधिक बढ़ने लगती थी, तो भारत-सचिव इँगलैंड में भारत-सरकार की हुंडिएँ बेचकर

उसको अधिक बढ़ने से रोकते थे। इस प्रकार भारत-इँगलैंड के विनिमय की दर १८-२० वर्षों तक स्थिर रही। उधर सन् १९१७ के पहले से ही चाँदी की क़ीमत का बढ़ना आरंभ हो गया था। इस वर्ष तक चाँदी की क़ीमत इतनी बढ़ चुकी थी कि रुपए का धात्विक मूल्य उसकी बाज़ारू क़ीमत के बराबर हो गया, और रुपया सांकेतिक सिक्का न रहकर प्रामाणिक सिक्का हो गया। चाँदी की क़ीमत फिर भी बढ़ती ही गई, और भारत-सचिव को विवश होकर चाँदी की क़ीमत के साथ-साथ भारत-इँगलैंड के विनिमय की दर भी बढ़ानी पड़ी। नीचे के कोष्ठक में चाँदी की क़ीमत दी जाती है, और यह बतलाया जाता है कि भारत-सचिव द्वारा किन-किन तारीख़ों को भारत-इँगलैंड के विनिमय की दर कितनी-कितनी बढ़ाई गई—

तारीख़	भारत-इँगलैंड के विनिमय की दर		चाँदी की क़ीमत प्रति औंस (लंदन में)
	शि०	पें०	पें०
१३ एप्रिल, १९१८	१	६	४६ १/४
१३ मई, १९१९	१	८	५५ १/२
१२ अगस्त, १९१९	१	१०	५८ ३/४
१५ सितंबर, १९१९	२	०	५९
२२ नवंबर, १९१९	२	२	७४
१२ दिसंबर, १९१९	२	४	७८ १/४

भारत-इँगलैंड के विनिमय की अस्थिरता के दूर करने के साधनों पर विचार करने और करेंसी तथा विनिमय-संबंधी नीति निर्द्धारित करने के लिये भारत-सचिव ने सन् १९१९ में एक करेंसी-कमेटी नियुक्त की, जिसके सभापति श्रीयुत बेबिंगटन स्मिथ साहब थे, और जिसके एक-मात्र भारतीय सदस्य श्रीयुत दलाल थे। इस कमेटी ने, जिसकी रिपोर्ट फ़रवरी, सन् १९२० में प्रकाशित हुई, भारत-इँगलैंड के विनिमय की क़ानूनन् दर को १ रुपया=२ शिलिंग (स्वर्ण) तक बढ़ा देने की सिफ़ारिश की। उसकी सिफ़ारिश के अनुसार क़ानूनन् निर्द्धारित दर बढ़ा भी दी गई ; परंतु भारत-सरकार सन् १९२० में करोड़ों रुपयों की उलटी हुंडिएँ बेचकर और देश को करोड़ों रुपयों की व्यर्थ हानि पहुँचाकर भी, उक्त दर को १ रु०=२ शिलिंग (स्वर्ण) तक बनाए रखने में बिलकुल असफल हुई। इन सब बातों का विवेचन किसी अगले अध्याय में मिलेगा। इस असफलता का परिणाम यह हुआ है कि अब भारत की विनिमय की दर और भी अस्थिर हो गई है।

भारत में इस समय विनिमय की दर स्थिर रखने के केवल दो ही साधन हैं—एक तो सोने के प्रामाणिक सिक्कों का देश में प्रचार करना, और दूसरे, क़ानूनन् निर्द्धारित दर को बदलकर ऐसी कृत्रिम दर नियुक्त करना, जिसे सरकार आधुनिक परिस्थिति में आसानी से बनाए रख सके। यदि

दूसरे साधन का अवलंबन किया गया, तो हमारे विनिमय की दर की स्थिरता फिर से सरकार के प्रयत्नों पर निर्भर रहेगी, और न-मालूम ऐसी कौन-सी परिस्थिति आ जाय, जिसमें सरकार फिर असफल हो जाय, तथा व्यापारियों को विनिमय की दर की अस्थिरता के कारण लाखों रुपयों का घाटा उठाना पड़े। परंतु यदि पहले साधन का अवलंबन किया गया, और भारत में सोने के प्रामाणिक सिक्कों का स्वतंत्र रूप से प्रचार किया गया एवं संसार के सब देशों में कागज़ी रुपयों का उचित परिमाण में ही उपयोग किया गया, तो हमारे विनिमय की दर कभी भी अस्थिर नहीं हो सकती। इसलिये हम यह चाहते हैं कि भारत में भी सोने के प्रामाणिक सिक्कों का स्वतंत्र रूप से प्रचार हो। इँगलैंड, अमरिका, जर्मनी इत्यादि देशों के निवासियों की तरह भारतवासियों को भी यह अधिकार हो कि ढलाई का ख़र्च देकर वे सरकारी टकसालों में अपना सोना सिक्कों के रूप में ढलवा सकें। सन् १८६८ की कमेटी ने भी सोने के सिक्कों के प्रचार करने की सिफ़ारिश की थी। परंतु भारत-सचिव तथा इँगलैंड के बैंकरों और साहूकारों के विरोध के कारण अभी तक ऐसा नहीं हो सका। भारत में अभी तक सोने के सिक्कों का स्वतंत्र रूप से प्रचार नहीं किया गया है।

अब पाठक यह समझ गए होंगे कि भिन्न-भिन्न परिस्थितियों

में विनिमय की दर किन सीमाओं के अंदर रहती है, उसकी अत्यधिक घट-बढ़ किन दशाओं मे होती है, और वह स्थिर किन दशाओं में रक्खी जा सकती है। अगले अध्यायों में यह बतलाया जायगा कि विनिमय की दर की घट-बढ़ से सट्टेवाले कैसे लाभ उठाते है, गत दस-ग्यारह वर्षों में संसार के मुख्य देशों की, और खासकर भारत की विनिमय के संबंध में क्या दशा थी, उससे उनके व्यापार पर क्या प्रभाव पड़ा, और देशवासियों को क्या हानि-लाभ हुए।

छठा अध्याय

विदेशी हुंडियों की दर और सट्टा

यह प्रायः देखा गया है कि विदेशी दर्शनी हुंडियों की दर सब देशों में किसी भी समय एक-सी रहती है, और सर्वत्र एकसाथ ही घटती-बढ़ती है। इसका मुख्य कारण यह है कि जो महाजन या बैंक विदेशी हुंडियों में लेन-देन करते हैं, उनको तार या समाचार-पत्र के द्वारा प्रायः सब देशों के बाज़ारों की इन हुंडियों की दर बराबर मालूम होती रहती है। और, यदि किसी हुंडी के संबंध में कोई भी दो देशों के बीच थोड़ा-बहुत फ़र्क़ मालूम हुआ, तो वे एकदम उन हुंडियों में सट्टा करना शुरू कर देते हैं, जिससे उन दो देशों में उस हुंडी की दर प्रायः एक-सी हो जाती है। यह समझाने के पहले कि इस सट्टे द्वारा साहूकार या बैंक किस प्रकार से मुनाफ़ा उठाते हैं, हम यह बतला देना चाहते हैं कि समाचार-पत्रों में विनिमय की जो दरें अक्सर दी जाती हैं, उनका असली मतलब किस तरह समझना चाहिए।

विदेशी हुंडियों की दरें

समाचार-पत्रों में दर्शनी और विदेशी हुंडियों की दरें दी

हुई रहती हैं। दर्शनी हुंडिएँ दो प्रकार की होती हैं—एक तो किसी बैंक द्वारा दूसरे बैंक या अढ़तियों पर की हुई रहती है, जिसे बैंक-ड्राफ़्ट कहते हैं, और दूसरी साधारण हुंडी। जिस देश पर हुंडी की हुई रहती है, उसका भी उल्लेख रहता है। यदि तार की हुंडी हुई, तो T. T. (टेलीग्राफ़िक-ट्रांसफ़र)-शब्द लिखा रहता है। D. D. लिखा हुआ हो, तो समझना चाहिए कि वह दर्शनी बैंक-ड्राफ़्ट है। कभी-कभी दर के साथ ही यह भी बतला दिया जाता है कि वह दर बेचने की है, या ख़रीदने की। जिस दर के संबंध में यह बात नहीं लिखी रहती, उसके संबंध में यह समझना चाहिए कि लेन-देन उसी दर पर हो रहा है। जब किसी हुंडी के बारे में दो दरें दी हुई रहती हैं, तो एक दर तो बैंक-ड्राफ़्ट की और दूसरी साधारण हुंडी की रहती है। यदि मुद्दती हुंडी हुई, तो यह भी लिखा रहना आवश्यक है कि कितने दिनों के बाद उसकी मुद्दत पूरी होगी। उदाहरण के लिये यदि किसी समाचार-पत्र में यह लिखा हो कि Bank selling rate T. T. on London is 1*s.* $4\frac{1}{4}$*d.* तो उसका अर्थ यह होगा कि भारत में लंदन पर की हुई दर्शनी तार की हुंडी १ शि० ४$\frac{१}{४}$ पेंस की दर से बेची गई। इसी प्रकार Banks buying rate 2 months for Japan is Rs. 165 for 100 yen का मतलब यह होगा

कि भारत में जापान पर की हुई दो महीने की मुद्दती हुंडी १६५ रु०=१०० येन के हिसाब से खरीदी गई। कभी-कभी भारत के अँगरेज़ी समाचार-पत्रों में क्रॉस-रेट और किसी देश का नाम दिया हुआ रहता है, जिससे यह मालूम होता है कि इँगलैंड की उस देश पर की हुई तार की दर्शनी हुंडी की दर क्या है। यदि किसी पत्र में अमेरिकन क्रॉस-रेट ४·७२ डालर दिया हुआ है, तो इसका मतलब यह है कि उस दिन लंदन में अमेरिका पर की हुई दर्शनी हुंडियों की दर ४·७२ डालर=१ पौंड थी।

उदाहरणार्थ यहाँ पर हम टाइम्स ऑफ् इंडिया-नामक दैनिक पत्र से भारत के विनिमय की दरों का, किसी एक दिन का, संपूर्ण हाल देते हैं—

B. C. Rate T. T. 1/3, 15/16. बिल कलेक्टिंग रेट तार द्वारा—अर्थात् लंदन के बैंकों की बंबई या कलकत्ते पर की हुई तार की दर्शनी हुंडी जमा करने की दर १ शि० ३$\frac{१५}{१६}$ पेंस=१ रुपया। यह दर तार की हुंडी के भाव से कुछ अधिक रहती है।

B. C. Rate D. D. 1/3, 31/32 बिल कलेक्टिंग रेट दर्शनी हुंडी का—अर्थात् लंदन के बैंकों की बंबई या कलकत्ते पर की गई दर्शनी हुंडी जमा करने की दर १ शि० ३$\frac{३१}{३२}$ पेंस= १ रुपया।

London.

Banks selling T. T. 1/3, 15/16—अर्थात् बंबई में बैंकों की लंदन पर की हुई तार की दर्शनी हुंडी के बेचने की दर १ शि० ३ $\frac{१५}{१६}$ पेंस=१ रु० ।

Banks selling T. T. 1/4, 3/32 Dec/Jan.—अर्थात् बंबई में बैंकों की लंदन पर की हुई तार की दर्शनी हुंडी के बेचने की दर दिसंबर-जनवरी में १ शि० ४ $\frac{३}{३२}$ पें०= १ रुपया ।

Banks buying T. T. 1/4—अर्थात् बंबई में बैंकों की लंदन पर की हुई तार की दर्शनी हुंडी के ख़रीदने की दर १ शि० ४ पें०=१ रु० ।

Banks buying D. D. 1/4, 1/32.—अर्थात् बंबई में बैंकों की लंदन पर की हुई दर्शनी हुंडी के ख़रीदने की दर १ शि० ४ $\frac{१}{३२}$=१ रु० ।

Banks buying 3 months 1/4, 3/16 to 7/32—अर्थात् बंबई में बैंकों की लंदन पर की हुई ३ महीने की मुद्दती हुंडी ख़रीदने की दर १ शि० ४ $\frac{३}{१६}$ से ४ $\frac{७}{३२}$ पेंस=१ रुपया ।

Banks buying 3 months 1/4, 5/16 Nov./Jan.—अर्थात् बंबई में बैंकों की लंदन पर की हुई ३ महीने की मुद्दती हुंडी ख़रीदने की नवंबर से जनवरी तक की दर १ शि० ४ $\frac{५}{१६}$ पेंस=१ रुपया ।

New York.

Banks selling T. T. 333.—अर्थात् बंबई में बैंकों की न्यूयार्क पर की हुई तार की दर्शनी हुंडी बेचने की दर १०० डालर=३३३ रुपए।

Banks buying T. T. 328.—अर्थात् बंबई में बैंकों की न्यूयार्क पर की हुई तार की दर्शनी हुंडी ख़रीदने की दर १०० डालर=३२८ रुपए।

Banks buying D. D. 326.—अर्थात् बंबई में बैंकों की न्यूयार्क पर की हुई दर्शनी हुंडी ख़रीदने की दर १०० डालर=३२६ रु०।

Banks buying 3 months 321.—अर्थात् बंबई में बैंकों की न्यूयार्क पर की हुई तीन महीने की मुद्दती हुंडी ख़रीदने की दर १०० डालर=३२१ रु०।

Paris.

Banks selling D. D. 523.—अर्थात् बंबई में बैंकों की पेरिस पर की हुई दर्शनी हुंडी ख़रीदने की दर १०० रु०=५२३ फ़्रैंक।

Banks buying D. D. 563.—अर्थात् बंबई में बैंकों की पेरिस पर की हुई दर्शनी हुंडी बेचने की दर १०० रु०=५६३ फ़्रैंक।

Banks buying 3 months 573.—अर्थात् बंबई में

बैंकों की पेरिस पर की हुई तीन महीने की मुद्दती हुंडी बेचने की दर १०० रु०=५७३ फ्रैंक।

Japan.

Banks selling T. T. 162.—अर्थात् बंबई में बैंकों की जापान पर की हुई तार की दर्शनी हुंडियों के बेचने की दर १०० येन=१६२ रु०।

Banks buying 60 days 157½—अर्थात् बंबई में बैंकों की जापान पर की हुई ६० दिनों की मुद्दती हुंडियों के खरीदने की दर १०० येन=१५७½ रुपए।

Hongkong.

Banks selling D. D. 172.—अर्थात् बंबई में बैंकों की हांगकांग पर की हुई दर्शनी हुंडी के बेचने की दर १०० डालर=१७२ रुपए।

Shanghai.

Banks selling D. D. 232.—अर्थात् बंबई में बैंकों की शंघाई पर की हुई दर्शनी हुंडी के बेचने की दर १०० डालर=२३२ रुपए।

Singapore.

Banks selling D. D. 176.—अर्थात् बंबई में बैंकों की सिंगापुर पर की हुई दर्शनी हुंडी के बेचने की दर १०० डालर=१७६ रुपए।

Cross Rate.
20th August 1923.

London/New York 4·55⅝.—अर्थात् लंदन और न्यूयार्क के बीच में तार की दर्शनी हुंडी की दर १ पौंड= ४·५५$\frac{5}{8}$ डालर।

London/Paris 81·70.—अर्थात् लंदन और पेरिस के बीच में तार की दर्शनी हुंडी की दर १ पौंड=८१·७० फ़्रैंक।

London/Berlin 21,000,000·00.—अर्थात् लंदन और बर्लिन के बीच में तार की दर्शनी हुंडी की दर १ पौंड= २१,०००,००० मार्क।

London/Belgium 102·00.—अर्थात् लंदन और बेलजियम के बीच में तार की दर्शनी हुंडी की दर १ पौंड= १०२ फ़्रैंक।

London/Switzerland 25·20—अर्थात् लंदन और स्विज़रलैंड के बीच में तार की दर्शनी हुंडी की दर १ पौंड= २५·२० फ़्रैंक।

London/Italy 106·00.—अर्थात् लंदन और इटली के बीच में तार की दर्शनी हुंडी की दर १ पौंड=१०६ लायर।

London/Prague 156·00.—अर्थात् लंदन और प्रेग के बीच में तार की दर्शनी हुंडी की दर १ पौंड=१५६ क्रोन।

Tone of Sterling Exchange Easy.—अर्थात,

इँगलैंड के विनिमय की दर (जो प्रायः अन्य देशों की करेंसी में बतलाई जाती है) की रंगत गिरने की तरफ़ है।

Bank of England Rate 4 per cent. इँगलैंड की बैंक के वार्षिक ब्याज (डिसकाउंट) की दर ४ फ़ी सैकड़ा।

Gold £ 4-10-5, सोने की क़ीमत ४ पौंड १० शि० ५ पें०= १ औंस।

Silver 31 1/16—अर्थात् एक औंस चाँदी की क़ीमत ३१ २/१६ पेंस।

Imperial Bank of India Rate 4 per cent. भारत के इंपीरियल बैंक के वार्षिक ब्याज (डिसकाउंट) की दर ४ फ़ी सैकड़ा।

Tone:—Easy. दर की रंगत कुछ गिरने की तरफ़ है।

Exchange closed weak with reluctant sellers of T. T. on London at 1s 3 15/16d. इसका अर्थ यह है कि लंदन पर की हुई हुंडियाँ जो बेचनेवाले थे, वे उन्हें बेचना नहीं पसंद करते थे ; क्योंकि वे यह आशा कर रहे थे कि विनिमय की दर (लंदन पर की हुई तार की हुंडियों की दर) शीघ्र ही कुछ गिरेगी, जिससे उनको उन हुंडियों पर कुछ अधिक रुपए मिल सकेंगे। जो कुछ हुंडिएँ बिकीं, उनकी दर १ शि० ३ १५/१६ पें० फ़ी रुपए थी।

यदि देश की करेंसी में ही विनिमय की दर बतलाई

जाती है, तो उसका बढ़ना प्रतिकूल और घटना अनुकूल समझा जाता है। इसी प्रकार जब अन्य देशों की करेंसी में विनिमय की दर बतलाई जाती है, तो हुंडियों की दरों का घटना देश के लिये प्रतिकूल और बढ़ना अनुकूल समझा जाता है। परंतु यह ध्यान में रखना चाहिए कि विनिमय की दर के प्रतिकूल होने से देश को हानि-ही-हानि और अनुकूल होने से लाभ-ही-लाभ नहीं होता। इन दरों का प्रभाव देश के भिन्न-भिन्न व्यक्तियों पर, उनकी परिस्थिति के अनुसार, भिन्न-भिन्न पड़ता है। किसी को लाभ होता है, तो किसी को हानि उठानी पड़ती है। इसका विवेचन अन्य किसी अध्याय में किया जायगा।

दर्शनी हुंडियों के सट्टे का तरीक़ा

अब हम यह बतलाते हैं कि विदेशी हुंडियों में लेन-देन करनेवाले साहूकार उनमें सट्टा करके किस प्रकार लाभ उठाते हैं। मान लीजिए, लंदन पर की हुई तार की हुंडी की दर बंबई में किसी दिन १ शि० ४$\frac{1}{8}$ पेंस है। उस रोज़ क़रीब एक बजे दिन को बंबई के एक साहूकार के पास लंदन से यह तार आया कि वह दर वहाँ पर किसी कारण से १ शि० ४ पेंस हो गई है। वह अपने लंदन के अड़तिए को एकदम तार देता है कि लंदन में पंद्रह हज़ार रुपए की भारत पर की हुई तार की हुंडिएँ उसके नाम पर ख़रीद ली

जायँ। इसके लिये लंदन के अढ़तिए को एक हज़ार पौंड देने होंगे। वह साहूकार भी बंबई में अपने बैंक से अपने लंदन के अढ़तिए के नाम लंदन पर की हुई तार की एक हज़ार पौंड की हुंडी १ शि० ४$\frac{1}{4}$ की दर से ख़रीद लेगा। इसके लिये उसे १४,५४० रुपए देने होंगे। लंदन से तार आने पर उसे १५,००० रुपए मिल जायँगे, और भारत से लंदन तार पहुँचने पर लंदन के अढ़तिए को उसके एक हज़ार पौंड मिल जायँगे। केवल कुछ ही घंटों में बंबई के साहूकार को ४६० रुपए की बचत हो जायगी, और लंदन के अढ़तिए को कमीशन और तारों का ख़र्चा चुकाने पर कम-से-कम ३०० रुपए आसानी से बच जायँगे। परंतु उसको यह लाभ तभी तक हो सकता है, जब तक बंबई के अन्य किसी साहूकार या बैंक को इँगलैंड में विनिमय की दर के घटने का हाल न मालूम हो जाय। अन्य साहूकार और बैंकों को यह हाल मालूम होने पर बंबई में भी विनिमय की दर १ शि० ४ पेंस हो जायगी, और फिर विदेशी हुंडी का सट्टा करने में कुछ भी लाभ न होगा।

मुद्दती हुंडियों का सट्टा

मुद्दती हुंडियों के संबंध में भी इसी प्रकार से सट्टा किया जाता है। परंतु उसके संबंध में हमेशा ही हिसाब लगाना पड़ता है; क्योंकि मुद्दती हुंडियों की दर, जैसा कि पहले

बतलाया जा चुका है, कोई भी दो देशों में एक-सी नहीं हो सकती, यदि उनकी करेंसी भिन्न-भिन्न हो। मान लीजिए, इँगलैंड के एक महाजन को अमेरिका (न्यूयार्क) के अपने अढ़तिए से मालूम हुआ कि तीन महीनेवाली मुद्दती हुंडी की दर अमेरिका में ४.८०० डालर=१ पौंड है। यह दर मालूम करने पर वह तुरंत यह हिसाब लगाता है कि इँगलैंड में अमेरिका पर की हुई तीन महीनेवाली मुद्दती हुंडी की क्या दर होनी चाहिए। वह हिसाब नीचे-लिखे अनुसार होगा—

४.८००	डालर	न्यूयार्क में तीन महीनेवाली मुद्दती हुंडी की दर,
.०३६	"	तीन महीने का ब्याज (३% लंदन की दर),
.००२	,,	अमेरिका की स्टांप-फ़ी इ०
४.८३८	,,	दर्शनी हुंडी की दर,
.०४८	,,	तीन महीने का ब्याज (४% अमेरिका की दर),
.००३	,,	इँगलैंड की स्टांप-फ़ी इ०,
.००३	,,	डाक और तार-ख़र्च
४.८९२	,,	इँगलैंड में न्यूयार्क पर की हुई तीन महीनेवाली मुद्दती हुंडी की दर

यह हिसाब लगाकर इँगलैंड का महाजन लंदन के बाज़ार

में जाता और न्यूयार्क पर की हुई तीन महीनेवाली मुद्दती हुंडी की दर का पता लगाता है । यदि वह दर ४·८९ और ४·९० के बीच में हुई, तो वह लेन-देन नहीं करता, वापस आता है । परंतु यदि किसी कारण से दर ४·९५ डालर हुई, तो वह तुरंत १,००० पौंड देकर ४,९५० डालर की मुद्दती हुंडिएँ अपने न्यूयार्क के अढ़तिए के नाम खरीद लेता और उसे यह तार दे देता है कि १,००० पौंड की हुंडी ख़रीद ली गई । न्यूयार्क का अढ़तिया लंदन के साहूकार के नाम से १,००० पौंड उस रोज़ की दर्शनी हुंडी की दर से (जो कि ४·८३८ डालर है) जमा कर लेता है, और जब तीन महीने बाद उस हुंडी की मीयाद पूरी होती है, तो उसे ४, ९५० डालर मिल जाते हैं । परंतु वह लंदन के साहूकार के ४,८३८ डालर और उनका तीन महीने का ब्याज, अर्थात् ४,८८६ डालर का देनदार रहता है । इस प्रकार क़रीब ६४ डालर की बचत हो जाती है, जिसे महाजन और अढ़तिए परस्पर बाँट लेते हैं । संसार के प्रायः सभी देशों में कई महाजन विदेशी हुंडियों में इसी प्रकार का सट्टा करते हैं, और इसका प्रभाव यह होता है कि दर्शनी हुंडियों की दरों में, भिन्न-भिन्न स्थानों में, अधिक अंतर नहीं रहने पाता । यदि उनमें घटा-बढ़ी हुई, तो एकसाथ सब जगह होती है ।

सातवाँ अध्याय

गत बारह वर्षों में विनिमय की दशा

संसार के कुछ देशों में विनिमय की दरें

पिछले अध्यायों में हमने यह बतलाने का प्रयत्न किया है कि विनिमय की दरें भिन्न-भिन्न परिस्थितियों में किन सीमाओं के अंदर घटती-बढ़ती रहती तथा किन दशाओं में अस्थिर हो जाती हैं। गत महायुद्ध के आरंभ-काल से संसार के प्रायः सभी सभ्य देशों में विनिमय की दरें अस्थिर हो गई हैं, और इस अस्थिरता के कारण जानना हमारे लिये बहुत आवश्यक है। इसलिये इस अध्याय में हम यह बतलाने का प्रयत्न करते हैं कि गत बारह वर्षों में इँगलैंड, फ्रांस, संयुक्तराष्ट्र (अमेरिका) और जर्मनी में विनिमय की दरें भिन्न-भिन्न तारीखों को क्या थीं, और उनकी घट-बढ़ के प्रधान कारण क्या थे। अगले पृष्ठ पर दिए हुए कोष्ठक में न्यूयार्क, पेरिस तथा बर्लिन पर की हुई दर्शनी हुंडियों की लंदन के बाज़ार में दरें दी जाती हैं—

तारीख़	लंदन में दर्शनी हुंडियों की क़ीमत		
	न्यूयार्क पर की हुई (डालर)	पेरिस पर की हुई (फ्रैंक)	बर्लिन पर की हुई (मार्क्स)
टकसाली दर	४·८७	२५·२२५	२०·४३
महायुद्ध के कुछ दिन पहले	४·६३	२५·१७	२०·५४
१ अगस्त, १९१४	६·५०	२४से२५	२१·००
२६ एप्रिल, १९१६	४·७६	२८·८०	......
जनवरी, १९१९	४·७६	२७·६७	......
,, १९२०	३·७९	४०·९२	१८७·७५
,, १९२१	३·५४	६१·०६	२६२·००
,, १९२२	४·२०	५२·३२	७९१·५०
,, १९२३	४·६८	६६·३०	४८,५००
,, १९२४	४·२९	८७·८५	१९५ खर्ब मार्क*
,, १९२५	४·७५	८७·४०	१९·९४ स्वर्ण- ,,
,, १९२६	४·८५	१२९·३१	२०·३७ ,, ,,
२६ फ़रवरी, १९२६	४·८६	१२९·७७	२०·४३ ,, ,,

* (१९५,००,००,००,००,००० कागजी मार्क)

इस कोष्ठक से मालूम होता है कि महायुद्ध के पहले उपर्युक्त सब देशों की दरें स्वर्ण-आयात और स्वर्ण-निर्यात-दरों के बीच में ही थीं। युद्ध के आरंभ होने के दो दिन पहले (१ अगस्त, १९१४ को) विनिमय की दरों में एकदम अत्यधिक घट-बढ़ हो गई। परंतु इसका कारण काग़ज़ी मुद्रा का प्रचार नहीं था। इसका कारण यह था कि इँगलैंड के जिन व्यक्तियों के पास लड़ाई में सम्मिलित होनेवाले देशों पर की हुई हुंडिएँ थीं, उन्हें तुरंत बेचने का उन्होंने प्रयत्न किया, और बाज़ार में उन्हें जो भाव मिला, वही स्वीकार कर लिया; क्योंकि उनको भय था कि युद्ध छिड़ जाने पर फिर उनको कुछ भी न मिल सकेगा। युद्ध-काल में और उसके बाद विनिमय की दरों में बड़ी घट-बढ़ हुई। जर्मनी की दशा तो इस संबंध में अत्यंत ही खराब हो गई, और जनवरी, सन् १९२४ में एक पौंड के बदले १९५,००,००,००,००,००० काग़ज़ी मार्क मिलने लगे। इन देशों की विनिमय-संबंधी दशा समझने के लिये प्रत्येक देश के बारे में अलग-अलग विचार किया जाता है।

इँगलैंड की दशा

उपर्युक्त कोष्ठक में जो न्यूयार्क पर की हुई दर्शनी हुंडियों की क़ीमत दी है, उससे संयुक्तराष्ट्र (अमेरिका) की दशा का उतना पता नहीं लगता, जितना इँगलैंड की दशा का।

अमेरिका में अत्यधिक कागज़ी मुद्रा का प्रचार नहीं किया गया था, इसलिये वहाँ पर कागज़ी डालर और सोने के डालर का मूल्य बराबर रहा। युद्ध के आरंभ-काल से गत वर्ष तक संयुक्तराष्ट्र (अमेरिका) ही एक ऐसा देश था, जहाँ सोने-चाँदी के आयात-निर्यात पर कोई रोक-टोक नहीं थी, और वह स्वतंत्रता-पूर्वक प्राप्त किया जा सकता था। इँगलैंड में, युद्ध के समय और बाद में भी, कागज़ी मुद्रा का अत्यधिक परिमाण में प्रचार किया गया, जिससे कागज़ी पौंड का मूल्य स्वर्ण-पौंड से कम हो गया, और वह बराबर कम होता गया। कागज़ी मुद्रा का प्रचार कम करने पर कागज़ी पौंड का मूल्य धीरे-धीरे बढ़ने लगा, और अंत में एप्रिल, १९२५ में वह स्वर्ण-पौंड के बराबर हो गया। नीचे के कोष्ठक में इँगलैंड में कागज़ी मुद्रा के प्रचार का परिमाण बतलाया जाता है—

सन्	कागज़ी मुद्रा का प्रचार
१९१३ के अंत में	३,६० लाख पौंड
१९१८ ,, ,, ,,	३९,३४ ,, ,,
१९१९ ,, ,, ,,	४४,४० ,, ,,
१९२० ,, ,, ,,	४८,१४ ,, ,,
१९२१ ,, ,, ,,	४३,२७ ,, ,,
१९२२ ,, ,, ,,	३९,८३ ,, ,,
१९२३ ,, ,, ,,	३९,७८ ,, ,,
१९२४ ,, ,, ,,	३९,७६ ,, ,,
१९२५ ,, ,, ,,	३८,५३ ,, ,,
१९२६ जनवरी में	३७,३० ,, ,,

यद्यपि कागज़ी मुद्रा का प्रचार युद्धकाल में काफ़ी अधिक परिमाण में किया जा चुका था, और इँगलैंड की सरकार ने महायुद्ध के अंत होने तक इँगलैंड-न्यूयार्क-दर को अपने प्रयत्नों द्वारा गिरने से बचाया था, तथापि युद्ध का अंत होने पर उसने इस संबंध में हस्तक्षेप करना बंद कर दिया, जिसके कारण इन दर का गिरना आरंभ हो गया, और साथ-ही-साथ कागज़ी मुद्रा के प्रचार में भी सन् १९२० के अंत तक वृद्धि होती गई। फ़रवरी, सन् १९२० में इँगलैंड-न्यूयार्क-दर ३·३९ डालर तक गिर गई। इँगलैंड की सरकार ने इसके बाद कागज़ी मुद्रा के प्रचार का परिमाण धीरे-धीरे कम करने का प्रयत्न किया, न्यूयार्क की दर भी बढ़ने लगी, और अंत में, जैसा कि ऊपर बतलाया जा चुका है, एप्रिल, सन् १९२५ में यह दर स्वर्ण-आयात-निर्यात-दरों के अंदर आ गई। और, अब इँगलैंड में कागज़ी पौंड का मूल्य सोने के पौंड के बराबर हो गया है।

फ़्रांस की दशा

फ़्रांस में भी, युद्धकाल में और उसके बाद भी, कागज़ी मुद्रा का अधिक परिमाण में प्रचार हुआ, जिससे युद्धकाल के समय में ही कागज़ी फ़्रैंक की क़ीमत स्वर्ण-फ़्रैंक से कम होने लगी। इसका परिणाम यह हुआ कि लंदन-पेरिस की दर धीरे-धीरे बढ़ने लगी, और वह सन् १९२१ तक बराबर

बढ़ती ही गई। उस वर्ष कागज़ी मुद्रा का बढ़ाना बंद कर दिया गया, जिससे दर ६१·०६ से ५२·३२ तक गिरती गई। परंतु वह फिर से बढ़ने लगी, जिसका प्रधान कारण था जर्मनी के रूर-प्रांत के संबंध की फ्रांस की नीति और अँगरेज़ों का उसका विरोध। जब यह मामला किसी तरह से तय हुआ, तो उधर फ्रांस की राष्ट्रीय आय-व्यय-संबंधी दशा ख़राब होने लगी। फ्रांस के मंत्रि-मंडल में परिवर्तन होने लगे, और एक ही वर्ष के अंदर कई मंत्रि-मंडल बदले। इन सब बातों के कारण दर भी अधिक बढ़ने लगी, और अब वह क़रीब १३० फ्रैंक=१ पौंड हो गई है। फ्रांस की सरकार को अपने विनिमय की दर को स्थिर करके, कागज़ी फ्रैंक को स्वर्ण-फ्रैंक के बराबर लाने का प्रयत्न करना चाहिए। जर्मन-सरकार ने इस संबंध में जो कुछ किया है, उसका आवश्यकतानुसार अनुकरण कर वह भी लाभ उठा सकती है।

जर्मनी की दशा

गत महायुद्ध में जर्मनी अँगरेज़ों के विरुद्ध लड़ा था, इसलिये युद्धकाल में उससे कुछ भी लेन-देन नहीं हुआ। जर्मनी की हार हुई, और उसे मित्रराष्ट्रों को वार-इंडेम्निटी (विशेष कर) प्रतिवर्ष देने के लिये बाध्य होना पड़ा। युद्ध-काल में जर्मनी में भी कागज़ी मुद्रा का अधिक परिमाण में प्रचार किया गया था, जिससे कागज़ी मार्क की क़ीमत स्वर्ण-

मार्क से कम हो गई थी । सन् १९१९ में जब जर्मनी के साथ मित्रराष्ट्रों का लेन-देन आरंभ हुआ, तो लंदन-बर्लिन की दर जनवरी, १९२० में १८७.७५ हो गई थी। पर कागज़ी मुद्रा का प्रचार बढ़ता ही गया, और उसी के साथ-साथ यह दर भी बढ़ती ही गई । सन् १९२३ में विनिमय की दशा बहुत ही विकट हो गई । इस वर्ष के आरंभ में जो दर ४८,५०० कागज़ी मार्क=१ कागज़ी पौंड थी, वही वर्ष के अंत में १ कागज़ी पौंड=१९५,००,००,००,००,००० कागज़ी मार्क के हो गई । जिन व्यक्तियों ने कागज़ी मार्क में अपनी पूँजी या बचत लगाई थी, वे तबाह हो गए। उनके कागज़ी मार्कों की क़ीमत उतनी भी नहीं रही, जितनी कि कोरे कागज़ की। जिन व्यक्तियों ने जर्मन-सरकार के क़र्ज़ के बांड ख़रीदे थे, उनको बड़ा नुक़सान हुआ। इन ऋण-पत्रों की क़ीमत भी उतनी ही गिर गई, जितनी कागज़ी मार्कों की । इस असाधारण और भयंकर परिस्थिति का प्रधान कारण था जर्मन-सरकार का बहुत ही अधिक परिमाण में कागज़ी मुद्रा का प्रचार करना, और मित्रराष्ट्रों की हर्जाना (वार-इंडेम्निटी) वसूल करने की सख़्ती। सन् १९२३-२४ में जर्मन-सरकार ने कितना अधिक कागज़ी मुद्रा का प्रचार किया, यह नीचे के कोष्ठक से मालूम हो जायगा—

किस महीने के अंत में ?	कागज़ी मार्क के प्रचार का परिमाण
जनवरी १९२३	१९,८४,९० करोड़ मार्क
अगस्त १९२३	६६,३२,००,०० ,, ,,
ऑक्टोबर १९२३	२४,९६,८२,२९,०९,०० ,, ,,
नवंबर १९२३	४०,०२,६७,६४,०३,०२,०० ,, ,,
जनवरी १९२४	४८,३६,७४,९२,१३ ९८,०० ,, ,,
जून १९२४	१,०९,७३,०८,९७,२१,८२,०० ,, ,,
सितंबर १९२४	१,५२,०९,१०,६९,३७,१२,०० ,, ,,

इस अत्यधिक कागजी मुद्रा के प्रचार का परिणाम यह हुआ कि लंदन-बर्लिन की दर भी अत्यधिक बढ़ गई। यह दर नीचे के कोष्ठक में दी जाती है—

किस महीने के प्रारंभ में ?	एक कागज़ी पौंड के बदले में कितने कागज़ी मार्क मिलते थे ?
जनवरी १९२३	४८,९०० मार्क
सितंबर १९२३	४,७९,००,००० ,,
नवंबर १९२३	२०,००,००,००,००,००० ,,
जनवरी १९२४	१,९९,००,००,००,००,००० ,,
जुलाई १९२४	१,८१,२९,००,००,००,००० ,,
ऑक्टोबर १९२४	१,८६,२९,००,००,००,००० ,,

मार्क की क़ीमत गिरने से लोगों का बड़ा नुक़सान हुआ। जर्मन-सरकार ने दशा के सुधारने का प्रयत्न आरंभ किया। उसने मित्रराष्ट्रों से ८० करोड़ स्वर्ण-मार्क क़र्ज़ लिए, और

हर्जाने के संबंध में लिखापढ़ी करके उसका परिमाण कुछ वर्षों के लिये कम कराया। नवंबर, १९२३ में रेंटन-बेंक खोली गई, जिसके द्वारा रेंटन-मार्क नाम की नई काग़ज़ी मुद्रा का प्रचार किया गया; १०,००,००,००,००,००० काग़ज़ी मार्क=१ रेंटन-मार्क की दर से दिए जाने लगे। यद्यपि ऑक्टोबर, १९२४ तक जर्मनी की विनिमय की दर कागजी मार्क में ही बतलाई जाती थी, तथापि जर्मनी में सब लेन-देन रेंटन-मार्क ही में होता था, जिसका मूल्य, जैसा ऊपर बतलाया जा चुका है, १० खर्व काग़ज़ी मार्क था। पहली नवंबर, सन् १९२४ से रेंटन-मार्क और काग़ज़ी मार्क भी उठा लिए गए, और स्वर्ण-मार्क का प्रचार हुआ। और, अब जो नई काग़ज़ी मुद्रा निकाली गई है, उसके बदले में सोना मिल सकता है, एवं नए कागज़ी मार्क तथा स्वर्ण-मार्क का मूल्य अब प्रायः बराबर है। नवंबर, १९२४ से लंदन-बर्लिन-दर स्वर्ण-आयात-निर्यात दरों के अंदर ही रहती है, और विनिमय की दशा अब स्थिर हो गई है।

अगले अध्याय में हम गत ९ वर्षों की भारत की विनिमय-संबंधी दशा का वर्णन करेंगे।

आठवाँ अध्याय

गत ९ वर्षों में भारतीय विनिमय की दशा

जैसा कि पहले कहा जा चुका है, भारत में सोने का सिक्का अब स्वतंत्र रूप से नहीं ढाला जाता। यहाँ पर चाँदी का जो रुपया प्रचलित है, उसका बाहरी मूल्य उसके असली (धात्विक) मूल्य से अधिक है। सन् १८९३ में भारत-सरकार ने इँगलैंड के सिक्के शिलिंग-पेंस में रुपए की एक क़ानूनन् दर निर्द्धारित कर दी, और इस दर के यथाशक्ति बनाए रखने का वचन दिया। यह क़ानूनन् दर १ रुपया= १ शिलिंग ४ पेंस थी। भारत-सरकार आवश्यकतानुसार कौंसिल-बिल (भारत-सरकार पर की हुई हुंडिएँ) और रिवर्स-कौंसिल-बिल (उलटी हुंडिएँ अर्थात् भारत-सचिव पर की हुई हुंडिएँ) बेचकर, सन् १९०० से सन् १९१७ तक उस दर के बनाए रखने में समर्थ रही। इन वर्षों में विनिमय की दर १ शि० ४$\frac{१}{४}$ पेंस से अधिक नहीं बढ़ी, और न १ शि० ३$\frac{१५}{१६}$ पेंस से नीचे ही गिरी। परंतु सन् १९१७ से भारत-सरकार इस विनिमय की दर के क़ायम रखने में असफल होती आ रही है, जिससे यह दर भी बहुत अस्थिर हो गई है।

इस अध्याय में हम यह बतलाने का प्रयत्न करते हैं कि सन् १९१७ से सन् १९२६ तक भारतीय विनिमय की दर क्या थी, और उसके घट-बढ़ के प्रधान कारण क्या थे।

गत ९ वर्षों में भारतीय विनिमय की दर

अगले पृष्ठ के कोष्ठक में यह बतलाया जाता है कि गत ९ वर्षों में प्रत्येक महीने की पहली तारीख़ को बंबई में लंदन पर की हुई दर्शनी हुंडियों की दर क्या थी।

इस कोष्ठक से मालूम होगा कि सन् १९१७ के अगस्त-महीने तक तो भारतीय विनिमय की दर स्वर्ण-आयात-दर के अंदर ही रही। इसके बाद जो इस दर का बढ़ना आरंभ हुआ, उसका कारण अन्य देशों के समान काग़ज़ी मुद्रा का अधिक परिमाण में प्रचार नहीं था। जब तक भारतीय काग़ज़ी मुद्रा-संबंधी आधुनिक क़ानून (Paper Currency Act) में परिवर्तन न कर दिया जाय, तब तक इस देश में काग़ज़ी मुद्रा का इतने अधिक परिमाण में प्रचार नहीं किया जा सकता कि जिससे प्रत्येक काग़ज़ी रुपए की क़ीमत सोलह आने से कम हो जाय। यही कारण है कि भारत में काग़ज़ी मुद्रा के प्रचार का विनिमय की दर पर अधिक प्रभाव नहीं पड़ा। अगस्त, सन् १९१७ से फ़रवरी, सन् १९२० तक जो विनिमय की दर में वृद्धि हुई, उसका प्रधान कारण चाँदी की क़ीमत में वृद्धि थी।

महीना और तारीख़	बंबई में लंदन पर की हुई दर्शनी हुंडी की दर—								
	१९१७ शि. पें.	१९१८ शि. पें.	१९१९ शि. पें.	१९२० शि. पें.	१९२१ शि. पें.	१९२२ शि. पें.	१९२३ शि. पें.	१९२४ शि. पें.	१९२५ शि. पें.
जनवरी पहली	१·४ १/८	१·५	१·६	२·३ ७/८	१·५ १/४	१·४	१ ४ १/८	१·५ १/४	१·६ १/८
फ़रवरी ,,	१·४ ७/८	१·५	१·६	२·८ १/२	१·४ १/४	१·३ ५/८	१·४ ३/८	१·५ ५/३२	१·६
मार्च ,,	१·४ १/४	१·५	१·६	२·७	१·३ ३/८	१·३ १/८	१·४ ३/१६	१·४ ५/१६	१·६
एप्रिल ,,	१·४ १/४	१·५	१·६	२·४	१·३ ५/८	१·३ १/८	१·४ १/८	१·४ ११/१६	१·५ १३/१६
मई ,,	१·४ १/४	१·६	१·६	२·३ ३/८	१·३ ५/८	१·३ १/४	१·४ ३/१६	१·४ ३/४	१·५ ७/८
जून ,,	१·४ १/४	१·६	१·८	२·१ १/४	१·३ १/४	१·३ १/२	१·४ १/८	१·४ १५/१६	१·६ १/१६
जुलाई ,,	१·४ १/४	१·६	१·८	१·८ ३/४	१·३ ३/८	१·३ ५/८	१·४ १/८	१·५	१·६ १/४
अगस्त ,,	१·४ १/४	१·६	१·८	१·१० ३/४	१·३ १/२	१·३ ३/४	१·४ १/१६	१·५ १/२	१·६ १/८
सितंबर ,,	१·५	१·६	१·१०	१·१० १/४	१·४ ३/४	१·३ ३/१६	१·४ १/१६	१·५ १/४	१·६ ५/३२
ऑक्टोबर ,,	१·५	१·६	२·० १/४	१·९ ३/८	१·५ १/२	१·३ ५/१६	१·४ ३/१६	१·५ १३/३२	१·६ ७/३२
नवंबर ,,	१·५	१·६	२·० १/४	१·७ ३/८	१·४ ५/८	१·३ ३/४	१·४ ३/४	१·६ १/१६	१·६ ३/३२
दिसंबर ,,	१·५	१·६	२·४	१·५ १/८	१·३ ७/८	१·४	१·५ ७/३२	१·६ १/१६	१·६ ७/३२

सन् १९१७ से १९२० तक भारतीय विनिमय की दशा

चाँदी की क़ीमत में वृद्धि सन् १९१७ के पहले से ही आरंभ हो गई थी। चाँदी की क़ीमत बढ़ने के कई कारणों में प्रधान कारण थे नए सिक्कों के ढालने के लिये सब देशों में चाँदी की माँग का बढ़ना, तथा महायुद्ध और मेक्सिको में राष्ट्र-विप्लव के कारण चाँदी का खानों से कम परिमाण में निकाला जाना। सन् १९१७ के अगस्त-महीने तक चाँदी की क़ीमत इतनी बढ़ गई थी कि भारत का चाँदी का रुपया प्रामाणिक सिक्का हो गया, और उसका धात्विक मूल्य बाहरी (चलतू) क़ीमत के बराबर हो गया। यदि भारत-सचिव द्वारा अगस्त, १९१७ में भारतीय विनिमय की दर न बढ़ाई जाती, तो भारत में चाँदी के सिक्के हानि उठाकर ढालने पड़ते, और रुपए जनता द्वारा गलाए जाने लगते। इसलिये भारत-सचिव द्वारा विनिमय की दर उस समय १ शि० ५ पेंस कर दी गई। चाँदी की क़ीमत भी बराबर बढ़ती ही गई। इसलिये एप्रिल, सन् १९१८ में दर १ शि० ६ पेंस तक बढ़ा दी गई। सन् १९१८-१९ में उसमें कोई विशेष घट-बढ़ नहीं हुई; परंतु सन् १९१९ के मई और अगस्त में भारत-सचिव को फिर से दर १ शि० ८ पेंस और १ शि० १० पेंस तक बढ़ा देनी पड़ी। चाँदी की क़ीमत फिर भी बढ़ती ही गई। सरकार ने विवश होकर एक कमेटी नियुक्त की, जिसको करेंसी (मुद्रा) और

विनिमय-संबंधी नीति निर्द्धारित करने का काम सौंपा गया। कमेटी का सिर्फ़ एक ही सदस्य भारतीय था। उसकी सब बैठकें भी इँगलैंड में हुईं। सदस्यों ने भारत आने का कष्ट नहीं उठाया। कमेटी की रिपोर्ट प्रकाशित होने के पहले भारत-सचिव को विनिमय की दर सितंबर, १९१९ में २ शि०, नवंबर में २ शि० २ पेंस तथा दिसंबर में २ शि० ४ पेंस तक बढ़ानी पड़ी। सन् १९२० के फ़रवरी-महीने के प्रथम सप्ताह में इस कमेटी की रिपोर्ट प्रकाशित हुई। कमेटी ने यह सिफ़ारिश की कि भारतीय विनिमय की क़ानूनन् दर बढ़ाकर १ रुपया=स्वर्ण के २ शिलिंग के कर दी जाय। उस समय इँगलैंड में कागज़ी मुद्रा का अधिक परिमाण में प्रचार हो चुका था, इसलिये कागज़ी पौंड की क़ीमत बहुत गिरी हुई थी। करेंसी-कमेटी की सिफ़ारिश के मुताबिक़ उस समय की दर क़रीब २ शि० ११ पेंस होती। बाज़ारू दर उस समय २ शि० ५ पेंस थी। करेंसी-कमेटी ने विनिमय की दर के इतने अधिक बढ़ाए जाने के कई कारण बतलाए हैं, उनमें दो प्रधान कारण ये हैं—

(१) कमेटी की यह धारणा है कि चाँदी की क़ीमत भविष्य में कई दिनों तक कम न होगी, इसलिये उसनें ऐसी दर नियुक्त करने की सिफ़ारिश की है, जिसके फिर, चाँदी की क़ीमत बढ़ने के कारण, बढ़ाने की आवश्यकता न पड़े।

(२) भारत में वस्तुओं की क़ीमत बढ़ रही थी। कमेटी ने ऐसी दर नियुक्त कराना उचित समझा, जो वस्तुओं की क़ीमत कम करने में सहायक हो। इस दर की वृद्धि से भारत में बाहर से आनेवाली वस्तुएँ सस्ती हो जाती हैं। जब दर १ शि० ४ पेंस से २ शिलिंग तक बढ़ जाती है, तो जो विदेशी वस्तु पहले १५ रुपए में मिलती थी, वही अब १० रुपए में मिलने लगती है। परंतु इस वृद्धि के कारण विदेशियों को भारतीय वस्तुओं के लिये अधिक दाम देना पड़ता है, जिससे भारत का निर्यात कम होने लगता है। निर्यात की कमी के कारण उन वस्तुओं का परिमाण भी देश में बढ़ जाता है, और इससे निर्यात-संबंधी वस्तुओं की क़ीमत भी कुछ कम हो जाती है। इस प्रकार विनिमय की दर के बढ़ने से आयात और निर्यात-संबंधी सभी वस्तुओं की क़ीमत कम हो जाती है। यही सोच-विचारकर कमेटी ने विनिमय की दर के इतने अधिक बढ़ाए जाने की सिफ़ारिश की।

दर के बढ़ाए जाने की सिफ़ारिश करने का एक और भी कारण हो सकता है, जो रिपोर्ट में नहीं दिया गया है। कमेटी के अधिकांश सदस्य अँगरेज़ थे। इँगलैंड की उन्नति और महत्ता उसके विदेशी व्यापार पर बहुत कुछ निर्भर है। उस समय महायुद्ध ख़त्म हो चुका था, बेकारी बढ़ रही थी, और इँगलैंड अपना व्यापार बढ़ाने की फ़िक्र में था। यह तभी हो

सकता था, जब वह अपना माल अन्य देशों में सस्ती क़ीमत पर भेज सके। भारत में विनिमय की दर बढ़ने पर वह भारत में अपना माल बहुत सस्ती क़ीमत पर, बड़ी आसानी से, भेज सकता था। इसलिये, संभव है, कमेटी के अधिकांश सदस्यों ने अपने देश के व्यापार के बढ़ाने की गरज़ से ही विनिमय की इतनी ऊँची दर नियत करने की सिफ़ारिश की हो।

पर कमेटी ने इस ऊँची दर से होनेवाली हानियों की तरफ़ पूरा ध्यान नहीं दिया। इस दर से भारत के निर्यात-व्यापार और उद्योग-धंधों को भारी क्षति पहुँचने की संभावना थी, परंतु उसने इसकी परवा नहीं की। कमेटी के एक-मात्र भारतीय सदस्य श्रीयुत दलाल ने, अपनी रिपोर्ट में, दर बढ़ाए जाने का ज़ोरों से विरोध किया, और पुरानी दर क़ायम रखने की सिफ़ारिश की। आपने यह भी लिखा कि भारत-सरकार इस बढ़ी हुई दर के बनाए रखने में समर्थ न होगी।

करेंसी-कमेटी की सिफ़ारिशों का परिणाम

अंत में भारत-सचिव ने, श्रीयुत दलाल की सिफ़ारिशों की अवहेलना कर, कमेटी के अधिकांश सदस्यों की ही सिफ़ारिशें स्वीकार कर लीं। शायद भारत का हित उनको उसी में मालूम हुआ। जिस समय फ़रवरी, सन् १९२० में रिपोर्ट और भारत-सचिव का मंतव्य प्रकाशित हुआ, उस समय विनिमय की बाज़ारू दर, कमेटी द्वारा निर्द्धारित दर से, कुछ

४-५ पेंस कम थी। उलटी हुंडियों (रिवर्स कौंसिल-बिल) की माँग जनवरी से ही आरंभ हो गई थी, और भारत-सरकार क़रीब ६० लाख रुपयों की हुंडिएँ बेच चुकी थी। भारत-सरकार ने उलटी हुंडियों को अधिक परिमाण में बेचकर, बाज़ारू दर को कमेटी द्वारा निर्द्धारित दर तक बढ़ाने का प्रयत्न आरंभ किया। ५ फ़रवरी, सन् १९२० को २ करोड़ रुपयों (२० लाख पौंड) की उलटी हुंडिएँ २ शि० ८ $\frac{५}{१६}$ पेंस की दर से, और १२ फ़रवरी को ५ करोड़ रुपयों (५० लाख पौंड) की हुंडिएँ २ शि० १० $\frac{२७}{३२}$ पेंस की दर से बेची गईं। उलटी हुंडियों की ये दरें बाज़ारू दर से ३-४ पेंस अधिक थीं। पर उलटी हुंडियों का बाज़ारू दर से इतनी अधिक दर पर बेचा जाना बहुत अनुचित था। जिन सज्जनों को ये हुंडिएँ पाने का सौभाग्य प्राप्त होता था—और यह संदेह किया जाता है कि इनमें विदेशियों की संख्या ही अधिक थी—उनको सरकार की इस कृपा से इन हुंडियों के खरीदने में बाज़ारू भाव से प्रायः १० प्रति सैकड़ा रुपए कम देने पड़ते थे। सरकार इन उलटी हुंडियों को इतनी अधिक दर पर बेचकर, बाज़ारू दर को २ शि० ७ $\frac{१}{२}$ पेंस तक बढ़ाने में समर्थ हुई। परंतु यह वृद्धि थोड़े ही समय के लिये थी। कुछ ही दिन बाद विनिमय की दर का घटना आरंभ हुआ, और वह एप्रिल, सन् १९२० तक २ शि०

१ शि० ३$\frac{3}{4}$ पेंस तक गिर गई। परंतु भारत-सरकार २२ एप्रिल तक, प्रति सप्ताह २ करोड़ रुपयों (२० लाख पौंड) की हुंडिएँ, बाज़ारू दर से चढ़ती दर पर बेचती ही रही। फिर उसके अगले सप्ताह से केवल १ करोड़ रुपयों (१० लाख पौंड) की हुंडिएँ प्रति सप्ताह बेची जाने लगीं। और, २० जून को इन हुंडियों की दर १ शि० ११$\frac{१६}{३२}$ पेंस नियत कर दी गई। भारत-सरकार ने विनिमय की दर के बढ़ाने के लिये एक और साधन का आश्रय लिया। वह था सितंबर, सन् १९१९ से प्रति पंद्रहवें दिन लाखों तोला सोना घाटे से बेचना। इन सब प्रयत्नों के किए जाने पर भी विनिमय की दर गिरती ही गई, और सितंबर, सन् १९२० के अंत तक वह गिरते-गिरते १ शि० १०$\frac{१}{२}$ पेंस तक आ गई। सरकार अपने प्रयत्नों में सर्वथा असफल हुई, और विवश होकर उसी महीने से उसने उलटी हुंडिएँ और सोना बेचना बंद कर दिया।

इस नीति से भारत-सरकार की हानि

अब हम इस प्रश्न पर विचार करते हैं कि सरकार की उपर्युक्त नीति से भारत-सरकार को क्या लाभ या हानि हुई। हम ऊपर यह बतला चुके हैं कि उलटी हुंडियों का बाज़ारू दर से इतनी अधिक दर पर बेचा जाना उचित नहीं था। सरकार ने हुंडी ख़रीदनेवालों को व्यर्थ ही १० प्रति सैकड़े की रियायत दे दी, और इस रियायत का भार ग़रीब भारत

पर पड़ा। महायुद्ध के समय भारत-सरकार ने ब्रिटिश-सरकार की तरफ़ से जो कई करोड़ रुपए भारत में खर्च किए थे, उसकी रक़म ब्रिटिश-सरकार ने १ पौंड=१५ रुपए की दर से चुकाई, और वह इँगलैंड में ब्रिटिश-सिक्यूरिटीज़ के रूप में जमा की गई। युद्ध-काल में भारत-सचिव ने सन् १९१९ तक जो करोड़ों रुपयों के कौंसिल-बिल बेचे, उनकी रक़म भी १ पौंड=१५ रुपए की दर से इँगलैंड में इकट्ठी होती रही। भारत-सरकार ने सन् १९२० में जो उलटी हुंडिएँ बेचीं, उन्हें भारत-सचिव ने ब्रिटिश-सिक्यूरिटीज़ बेचकर चुकाया। इस तरह भारत-सरकार को तो भारत में इन हुंडियों के प्रति पौंड पीछे १० रुपए या उससे भी कम रक़म मिली, और उसके बदले भारत-सचिव को १५ रुपयों में प्राप्त पौंड देने पड़े। इस प्रकार उलटी हुंडियों के बेचने से ग़रीब भारत को प्रति पौंड कम-से-कम ५ रुपयों की हानि हुई। अगले पृष्ठ पर दिए हुए कोष्ठक में यह बतलाया गया है कि फ़रवरी, १९२० से सितंबर, १९२० तक, आठ महीनों में प्रति सप्ताह भारत-सरकार द्वारा जो उलटी हुंडिएँ बेची गईं, उनकी १५ रुपया प्रति पौंड की दर से क्या क़ीमत थी, उनको बेचने से भारत-सरकार को कितना रुपया मिला, और इस प्रकार उलटी हुंडिएँ घाटे से बेचने के कारण भारत को कितनी हानि हुई—

सन् १९२० में उलटी हुंडियों के बेचने की तारीख़ और दर	हुंडियों की क़ीमत (लाख पौंड में)	हुंडियों की क़ीमत १५ रुपए = १ पौंड की दर से (लाख रुपयों में)	जो रुपया भारत-सरकार को मिला (लाख रुपयों में)
(१) ५ फ़रवरी को २ शि० ८ पेंस की दर से	२०	३००	१५०
(२) १२ फ़रवरी को २ शि० १०$\frac{७}{८}$ पेंस की दर से	५०	७५०	३४५
(३) १९ फ़रवरी से १२ मार्च तक २ शि० ६$\frac{१}{२}$ पेंस की औसत दर से २० लाख पौंड प्रति सप्ताह	८०	१,२००	५७३
(४) १८ मार्च से २३ एप्रिल तक २ शि० ५ पेंस की औसत दर से २० लाख पौंड प्रति सप्ताह	१२०	१,८००	९८३
(५) २९ एप्रिल से २० जून तक २ शि० ५$\frac{१}{८}$ पेंस की औसत दर से १० लाख पौंड प्रति सप्ताह	८०	१,२००	६५८
(६) २० जून से सितंबर के अंत तक १ शि० ११$\frac{१९}{३२}$ पेंस की औसत दर से १० लाख पौंड प्रति सप्ताह	१५०	२,२५०	१,५३८
मीज़ान	५००	७,५००	४,२४७

कुल हानि—(७५,००–४२,४७) = ३२,५३ लाख अर्थात् करीब ३२½ करोड़ रुपए।

ऊपर के कोष्ठक से मालूम होता है कि उलटी हुंडियों के बेचने से भारत-सरकार को क़रीब ३२½ करोड़ रुपयों की हानि हुई। इसके अतिरिक्त भारत-सरकार ने बारह महीनों तक जो सोना घाटे से बेचा, उसमें भी उसे क़रीब ७ करोड़ ४५ लाख रुपयों की हानि उठानी पड़ी। इस प्रकार भारत-सरकार को इस असफल प्रयत्न में क़रीब ४० करोड़ रुपयों की हानि हुई, जो भारत-सरीखे ग़रीब देश के लिये बहुत ही अधिक है। इस नीति का भारतीय व्यापार पर क्या प्रभाव पड़ा, यह अगले अध्याय में बतलाया जायगा।

१९२० से १९२६ तक भारतीय विनिमय की दशा

कई करोड़ रुपयों की हानि उठाने के बाद सितंबर, सन् १९२० से भारत-सरकार ने विनिमय-संबंधी बातों में किसी भी प्रकार से हस्तक्षेप न करने की नीति का अवलंबन किया है। इससे विनिमय की दर की अस्थिरता और भी अधिक बढ़ गई है। सन् १९२१ में यह दर १ शिलिंग ५ पेंस और १ शिलिंग ३ पेंस के बीच में घटती-बढ़ती रही। सन् १९२२ में वह १ शिलिंग ४ पेंस और १ शिलिंग ३ पेंस के बीच में रही, और सन् १९२३ में १ शिलिंग ४ पेंस से बढ़ते-बढ़ते १ शिलिंग ५ पेंस तक पहुँच गई। सन् १९२४ के अंत में वह १ शिलिंग ६ पेंस तक आ गई, और नवंबर, १९२५ से अभी तक (एप्रिल, १९२६ तक) वह १ शिलिंग

६ पेंस के आसपास ही है। पर विनिमय की दर की इस अस्थिरता के कारण देश को बहुत नुक़सान हो रहा है। यदि देश में सोने का सिक्का प्रचलित होता, और वह सरकार द्वारा स्वतंत्र रूप से ढाला जाता, तो हस्तक्षेप न करने की नीति से देश की न तो कुछ हानि होती, तथा विनिमय की दर भी स्थिर रहती। परंतु जब देश में ऐसे सिक्कों का प्रचार है, जिनकी बाज़ारू क़ीमत उनके धात्विक मूल्य से अधिक है, और जब विदेशी विनिमय के लिये सरकार द्वारा एक क़ानूनन् दर नियत कर दी गई है, तो भारत-सरकार का यह प्रधान कर्तव्य है कि वह उस क़ानूनन् दर को बनाए रखने का भरसक प्रयत्न करती रहे, या यदि वह ऐसा करने में असमर्थ हो, तो शीघ्र ही सोने के सिक्कों का प्रचार स्वतंत्र रूप से कर दे। भारतीय विनिमय की दर हमेशा के लिये स्थिर करने का यही एक अच्छा तरीक़ा है। इस संबंध में हम अपने विचार दसवें अध्याय में प्रकट करेंगे। भारत की करेंसी तथा विनिमय-संबंधी दशा के सुधारने के तरीक़ों पर विचार करने के लिये एक शाही कमीशन सन् १९२५ में नियुक्त किया गया है, जिसमें तीन भारतीय सदस्यों को भी स्थान दिया गया है। यदि इस कमीशन की सिफ़ारिशों द्वारा भारत में स्वर्ण-मुद्रा का स्वतंत्र रूप से प्रचार हुआ, तो देश को लाभ होगा। अन्यथा, उसकी वही हालत रहेगी, जैसी आजकल है।

नवाँ अध्याय

विनिमय की दर की घट-बढ़ का प्रभाव

स्वर्ण-आयात-दर से, बाहर जानेवाली विनिमय की दर का प्रभाव

विनिमय की दर की अत्यधिक घट-बढ़ का व्यापार या भिन्न-भिन्न वर्गों के मनुष्यों पर क्या प्रभाव पड़ता है, इस प्रश्न पर अब विचार किया जाता है। जब विनिमय की दर अन्य देशों की करेंसी में बतलाई जाती और वह अत्यधिक बढ़ने लगती है, अथवा जब विनिमय की दर देश की ही करेंसी में बतलाई जाती और अत्यधिक घटने लगती है, अर्थात् किसी भी कारण से जब विनिमय की दर स्वर्ण-आयात-दर से बाहर जाने लगती है, तो देश में बाहर से माल मँगानेवालों को लाभ होता है, और आयात को उत्तेजना मिलती है। साथ-ही-साथ देश से बाहर माल भेजनेवालों को हानि भी उठानी पड़ती है, और निर्यात का परिमाण कुछ कम होने लगता है। देश के अंदर भी वस्तुओं की क़ीमत कुछ घटने लगती है। उन उद्योगों को नुक़सान पहुँचता है, जिनका देश के अंदर विदेशी सस्ते माल से

मुक़ाबला रहता है । उन व्यक्तियों को, जिन्हें विदेश में, विदेशी करेंसी में, क़र्ज़ चुकाना रहता है, लाभ होता है; क्योंकि दर के स्वर्ण-आयात-दर से बाहर चले जाने से उतने ही क़र्ज़ के लिये कम रुपए देने पड़ते हैं; और उतनी ही उन व्यक्तियों को, जिन्हें विदेशियों से उनकी करेंसी में दाम वसूल करने हैं, हानि उठानी पड़ती है । इस प्रकार विनिमय की दर की अत्यधिक घट-बढ़ से किसी को तो लाभ होता है, और किसी को हानि । परंतु किसी भी समय इस बात का पता लगाना बहुत कठिन होता है कि उससे देश-भर को लाभ अधिक हुआ या हानि । इसी हानि-लाभ से बचाने के लिये प्रत्येक देश की सरकार का यह प्रधान कर्तव्य होना चाहिए कि वह अपने देश की विनिमय की दर को अत्यधिक घट-बढ़ जाने से रोकती रहे ।

सन् १९१७-२१ में भारतीय विनिमय की दर की घट-बढ़ का भारतीय व्यापार पर प्रभाव

पिछले अध्याय में हम यह बतला चुके हैं कि सितंबर, सन् १९१७ से दिसंबर, सन् १९२० तक भारतीय विनिमय की दर स्वर्ण-आयात-दर से बहुत अधिक बढ़ी हुई थी । इसका भारतीय व्यापार पर क्या प्रभाव पड़ा, अब यह बतलाने का प्रयत्न करते हैं । साधारणतः भारत के वार्षिक निर्यात का मूल्य आयात से अधिक रहता है । विनिमय की दर में

वृद्धि होने से देश से बाहर माल भेजनेवालों को हानि उठानी पड़ी, और भारत का निर्यात धीरे-धीरे कम होने लगा। इससे भारत को हानि अधिक हुई, और इँगलैंड को लाभ हुआ। भारत को जो हानि हुई, उसका अंदाज़ लगाना सहज काम नहीं है। फ़रवरी, सन् १९२० में ज्यों ही फरेंसी-कमेटी की रिपोर्ट प्रकाशित हुई, भारत-सरकार ने उलटी हुंडियाँ बेचना आरंभ कर दिया। भारत में रहनेवाले कई सज्जनों ने इँगलैंड को रुपए भेजने आरंभ कर दिए, और कई करोड़ रुपयों के सामान के लिये इँगलैंड को भी ऑर्डर भेजे गए। इँगलैंड के उद्योग-धंधों को ख़ूब प्रोत्साहन मिला, तथा लाखों अँगरेज़ श्रमजीवियों को, जो उस समय बेकार थे, काम मिल गया। भारत में विदेशी वस्तुएँ बहुत सस्ती बिकने लगीं। विदेश से माल मँगानेवाले व्यापारियों को लाभ हुआ। भारत का आयात धीरे-धीरे बढ़ने लगा, और कुछ ही महीनों में भारत के बाज़ार सस्ती विदेशी वस्तुओं से भर गए। विनिमय की दर बढ़ाने की भारत-सरकार की नीति से भारत का आयात धीरे-धीरे बढ़ता और निर्यात घटता गया। दो वर्षों तक तो भारत का आयात, जो साधारणतः निर्यात से कम रहता है, अपेक्षाकृत बहुत अधिक बढ़ा रहा। आगे के कोष्ठक में यह बतलाया जाता है कि सन् १९१९-२० से १९२४-२५ तक हमारे व्यापार की क्या दशा थी—

सन्	भारत में विदेशी वस्तुओं का संपूर्ण आयात (करोड़ रु०)	भारत से वस्तुओं का विदेशों को संपूर्ण निर्यात (करोड़ रु०)	निर्यात की अधिकता (करोड़ रु०)	आयात की अधिकता (करोड़ रु०)
१९१९-२०	२०८	३०९	१०१	
१९२०-२१	३३६	२५८		७८
१९२१-२२	२६६	२४५		२१
१९२२-२३	२३३	३१४	८१	
१९२३-२४	२२८	३६२	१३४	
१९२४-२५	२४७	३६८	१२१	

इस कोष्ठक से भली भाँति मालूम होता है कि सन् १९२० में, उलटी हुंडिएँ और सोना कम क़ीमत पर बेचकर विनिमय की दर ऊँची करने के कारण, भारतीय आयात-संबंधी व्यापार को कितनी उत्तेजना मिली, और निर्यात कितना कम हो गया । सन् १९१९-२० में इँगलैंड को कई करोड़ के ऑर्डर भेजे जाने के कारण, सन् १९२०-२१ में आयात २०८ करोड़ रु० से ३३६ करोड़ रुपयों तक बढ़ गया। उधर निर्यात-व्यापार की कमी हुई । एक ही वर्ष में यह ३०९ करोड़ रुपयों से २५८ करोड़ रुपयों तक आ गिरा। सन् १९२०-२१ में निर्यात से आयात ७८ करोड़ रुपए का अधिक हुआ । देश के उद्योग-धंधों को बहुत हानि

उठानी पड़ी । भारत में लाभ हुआ केवल उन व्यक्तियों को, जो विदेशी वस्तुओं का व्यवहार या व्यापार करते थे ।

सितंबर, सन् १९२० में जब भारत-सरकार ने उलटी हुंडिएँ और सोना कम क़ीमत पर बेचना बंद कर दिया, तो भारतीय विनिमय की दर शीघ्रता से घटने लगी, और कुछ ही महीनों में वह १ शि० ३ $\frac{३}{८}$ पेंस तक गिर गई। दर के इतने अधिक और अचानक गिरने से विदेश से माल मँगानेवाले भारतीय व्यापारियों को बड़ी हानि उठानी पड़ी । वे विदेशी माल के लिये जब ऑर्डर भेजे थे, तब समझते थे कि उनका माल सस्ते में आ जायगा । परंतु जब कुछ महीनों के बाद उनका माल आया, और उसकी क़ीमत चुकाने का समय भी आया, तब तो विनिमय की दर में अचानक कमी होने के कारण प्रत्येक पौंड पीछे उन्हें अधिक रुपए देने पड़े । इस प्रकार विदेशी वस्तुएँ उन्हें महँगी पड़ीं । कई व्यापारियों ने माल छुड़ाना तक अस्वीकार कर दिया । भारत-सरकार की विनिमय-संबंधी इस नीति से पहले भारत से बाहर माल भेजनेवाले व्यापारियों को, और अंत में अन्य देशों से माल मँगानेवाले व्यापारियों को—दोनों को ही हानि उठानी पड़ी। इस नीति से लाभ में केवल इँगलैंडवाले ही रहे ।

स्वर्ण-निर्यात-दर से बाहर जानेवाली विनिमय की दर का प्रभाव

जब विनिमय की दर किसी भी कारण से स्वर्ण-निर्यात-

दर से बाहर जाने लगती है, तब देश से बाहर माल भेजने-वाले व्यापारियों को लाभ होता है, और विदेश से माल मँगानेवालों को हानि। देश के अंदर विदेशी वस्तुओं की क़ीमत बढ़ने लगती है, और उन व्यक्तियों को, जिन्होंने विदेशियों को उनकी करेंसी में ऋण दिया है, क़र्ज़ वसूल करते समय लाभ होता है, तथा उन क़र्ज़दारों को नुक़सान होता है, जिनको विदेशी करेंसी में ऋण चुकाना रहता है। मार्च, सन् १९२१ से भारतीय विनिमय की दर स्वर्ण-निर्यात-दर से भी नीचे गिरने लगी, जिसका फल यह हुआ कि आयात कम होने लगा। वह सन् १९२१-२२ में ३३६ करोड़ रुपयों से गिरकर २६६ करोड़ रुपयों तक आ गया, और सन् १९२३-२४ तक बराबर कम ही होता गया। उधर निर्यात की वृद्धि होने लगी, और वह बढ़ते-बढ़ते सन् १९२४-२५ में ३९८ करोड़ तक पहुँच गया।

सन् १९२४ से भारतीय विनिमय की दर फिर से बढ़ने लगी है। सन् १९२५ से अभी तक वह १ शि० ६ पेंस के आसपास रही है। इससे भारत में आयात की वृद्धि हुई, और निर्यात पर भी बुरा असर पड़ा है। यद्यपि गत १५-१६ महीनों से भारतीय विनिमय की दर १ शि० ६ पेंस ही रही है, और उसमें अधिक घट-बढ़ नहीं हुई, तथापि भारत-सरकार विनिमय के संबंध में हस्तक्षेप न करने की ही नीति

का पालन कर रही है। और, व्यापारियों को यह विश्वास नहीं है कि भविष्य में सरकार भारतीय विनिमय की दर स्थिर रखने का प्रयत्न करती रहेगी। व्यापारियों को अपने व्यापार में दूसरी-दूसरी जोखिमों के साथ विनिमय के घट-बढ़ की जोखिम भी उठानी पड़ती है, इससे व्यापार को बहुत धक्का पहुँचता है। अस्तु, भारतीय विनिमय की दर का हमेशा के लिये स्थिर होना अत्यंत आवश्यक है। भारत में स्वर्णमुद्रा का स्वतंत्र रूप से प्रचार करने से ही भारतीय विनिमय की दर हमेशा के लिये स्थिर हो सकेगी। स्वर्ण-मुद्रा का प्रचार भारत में किस प्रकार किया जा सकता है, इसका विवेचन अगले अध्याय में किया जाता है।

दसवाँ अध्याय

भारत में सोने के सिक्कों का प्रचार

सन् १८९८ की करेंसी-कमेटी ने सोने के सिक्कों का प्रचार करने की सिफ़ारिश की थी। उसका यह भी मत था कि जब कभी नए रुपए ढालने की आवश्यकता हो, तो पहले सोने के सिक्कों का प्रचार करने का प्रयत्न किया जाय। और, यदि इतने पर भी रुपयों की माँग बनी रहे, तो नए रुपए ढाले जायँ। भारत-सरकार ने इस आदेश के अनुसार सिर्फ़ १८९९ ई० में सोने के सिक्कों का प्रचार करने का प्रयत्न किया। परंतु उस वर्ष अकाल पड़ जाने के कारण कुछ स्थानों में लोगों ने मुहर को पसंद नहीं किया, और ये सरकारी ख़ज़ानों में वापस आ गईं। उसके बाद सन् १९१७ के अंत तक फिर कभी भारत-सरकार ने सोने के सिक्कों का प्रचार करने का प्रयत्न नहीं किया। सन् १९१८ के आरंभ से बंबई की टकसाल में कुछ मुहरें ढाली जाने लगी थीं। परंतु अब यह काम भी बंद-सा हो गया है।

विनिमय की दर स्थिर करने का उपाय

भारत में विनिमय की दर स्थिर करने का एक-मात्र सरल

उपाय यह है कि यहाँ सोने के प्रामाणिक सिक्कों का स्वतंत्र रूप से प्रचार और जनता को भारतीय टकसालों से अपने सोने के बदले के सिक्के ढलवाने का अधिकार दिया जाय। इससे भारत में सोने की क़ीमत हमेशा के लिये स्थिर हो जायगी। उसमें फिर कभी तब तक अधिक घट-बढ़ न हो सकेगी, जब तक देश में कागज़ी मुद्रा का अत्यधिक परिमाण में, प्रचार न किया जायगा। दूसरा लाभ यह होगा कि विनिमय की दर हमेशा स्वर्ण-आयात-निर्यात-दरों के बीच में ही घटा-बढ़ा करेगी। तीसरा लाभ यह भी होगा कि विनिमय की दर का स्थिर रखना सरकार के प्रयत्नों पर निर्भर न रहेगा।

सोने के प्रामाणिक सिक्कों का प्रचार

अब हम यह बतलाते हैं कि सोने के प्रामाणिक सिक्के का स्वतंत्र रूप से प्रचार किस प्रकार किया जा सकता है। चाँदी के रुपए ढालना बिलकुल बंद करके भारत-सरकार को तुरंत यह घोषणा कर देनी चाहिए कि बंबई और कलकत्ते की टकसालों में जनता के लिये स्वतंत्र रूप से सोने की मुहरें ढाली जायँगी। मुहरों में उतना ही असली सोना होना चाहिए, जितना अँगरेज़ी पौंड में रहता है, और मुहर की क़ीमत १५) स्थिर कर दी जानी चाहिए। जो व्यक्ति टकसाल में सोना ले जाय, उसके बदले में, उचित ढलाई

देने पर, सोने की मुहरें उसके लिये ढाल दी जायँ। भारत-सरकार को १५ रुपयों के बदले में मुहर अथवा सोना देने की व्यवस्था करना चाहिए। कुछ वर्षों तक—जब तक कि सोने के सिक्कों का काफ़ी परिमाण में प्रचार न हो जाय—सोने की मुहर और रुपया, दोनों अपरिमित क़ानूनन् ग्राह्य सिक्के रहने चाहिए। उसके बाद रुपयों को, चवन्नी-दुअन्नी-एकन्नी और पैसों के समान परिमित क़ानूनन् ग्राह्य मुद्रा बना देना चाहिए। और, भारत की कागज़ी मुद्रा के बदले में आवश्यकतानुसार सोने के सिक्के (मुहरें) देने की व्यवस्था करनी चाहिए। भारत-सरकार को सोने के आयात तथा निर्यात पर किसी प्रकार की रोक-टोक भी नहीं रखना चाहिए। साधारणतः भारत का आयात निर्यात से अधिक रहता है, और प्रति वर्ष करोड़ों रुपयों का सोना भारत में आता है। इस सोने का बहुत-सा भाग जनता द्वारा, टकसालों में मुहरों के रूप में, ढलाया जायगा। इस प्रकार प्रति वर्ष धीरे-धीरे सोने के सिक्कों का प्रचार बढ़ता जायगा।

चाँदी के रुपए गलाने की आवश्यकता

यदि सोने की मुहरों का प्रचार बढ़ने के साथ-ही-साथ भारत-सरकार रुपयों का प्रचार कम करने का प्रयत्न न करे, तो फिर देश में, रुपए-पैसे के परिमाण की वृद्धि के कारण, वस्तुओं की क़ीमत में भी वृद्धि होती जायगी

इसलिये सरकार को प्रतिवर्ष उतने रुपयों की चाँदी गलाकर बेच देना पड़ेगा, जितने रुपयों की मुहरें उस वर्ष ढाली जायँगी। इसमें सरकार को कुछ हानि अवश्य उठानी पड़ेगी; क्योंकि एक रुपए में जितनी चाँदी रहती है, उसकी क़ीमत प्रायः दस-ग्यारह आने ही होती है, और भारत-सरकार के चाँदी बेचने के कारण चाँदी की और भी क़ीमत गिर जाने की संभावना है। सरकार को यह सब हानि की रक़म सिक्का-ढलाई-लाभ-कोष (Gold Standard Reserve) से ले लेना चाहिए। इसी कोष में रुपयों की ढलाई का सब मुनाफ़ा जमा है। अतः जब रुपए गलाने से हानि होगी, तो उस हानि की पूर्ति इसी कोष से की जाय, यही सर्वथा न्याय-संगत है। पहली मार्च, सन् १९२९ को इस कोष का हिसाब नीचे-लिखे अनुसार था—

रुपया-ढलाई-लाभ-कोष

	पौंड	रुपयों में क़ीमत
(१) भारत में सोना	... ...	... ...
(२) इँगलैंड के बैंक के पास नक़द	४,९५१	७४,२६५
(३) ब्रिटिश सरकार की सिक्यूरिटी	८,८५५,३९८	१३,२८,३०,९७०
(४) ब्रिटिश साम्राज्य के दूसरी सरकारों की सिक्यूरिटी	३१,१३९,६५१	४६,७०,९४,७६५
	४०,०००,०००	६०,००,००,०००

इस कोष्टक से मालूम होता है कि भारत-सरकार के पास इस कोष में ६० करोड़ रुपयों की रक़म जमा है, और वह सब इँगलैंड में रक्खी हुई है। इस कोष की ५० करोड़ रुपयों की रक़म से ही १५० करोड़ चाँदी के रुपए गलाने और उस चाँदी को बेचने से होनेवाली हानि की पूर्ति हो सकती है। आजकल क़रीब ३०० करोड़ चाँदी के रुपए भारत में प्रचलित हैं। हमारी समझ में यदि सोने के सिक्के भारत में स्वतंत्र रूप से ढलवाने का अधिकार जनता को दिया जाय, तो लगभग दस वर्षों में क़रीब १५० करोड़ रुपयों की मुहरों का प्रचार हो जायगा। उतने ही समय में भारत-सरकार को १५० करोड़ रुपयों के चाँदी के सिक्के गलाकर उसकी चाँदी बेच देना होगा। उसके बाद फिर चाँदी के रुपए गलाने की आवश्यकता न रहेगी। क़रीब १५० करोड़ रुपए के सिक्के तो साधारण लेन-देन के लिये आवश्यक होंगे। जब चाँदी के रुपयों का प्रचार १५० करोड़ रुपए तक घट जाय, तब रुपए के सिक्के को एक सौ रुपए तक क़ानूनन् ग्राह्य कर देना आवश्यक होगा। इस प्रकार दस वर्षों के अंदर सोने के प्रामाणिक सिक्कों का देश में स्वतंत्र रूप से प्रचार होने लगेगा, और रुपया परिमित क़ानूनन् ग्राह्य सिक्का हो जायगा। विनिमय की दर सदा के लिये स्थिर हो जायगी, और भारत-सरकार को कौंसिल-बिल या उलटी

हुंडिएँ (रिवर्स कौंसिल) बेचने की आवश्यकता नहीं रहेगी। परंतु इन्हीं दस वर्षों के अंदर भारत-सरकार को भारतीय कागज़ी मुद्रा के बदले में स्वर्ण-मुद्रा देने की व्यवस्था भी करनी होगी।

भारतीय कागज़ी मुद्रा का स्वर्ण-मुद्रा में दिया जाना

आजकल (मार्च, सन् १९२६ में) क़रीब १९२ करोड़ रुपयों की कागज़ी मुद्रा भारत में प्रचलित हैं। इस कागज़ी मुद्रा के बदले भारत-सरकार ने चाँदी के रुपए देने का वादा किया है। जब स्वर्ण-मुद्रा का प्रचार भारत में होने लगेगा, तो जनता भी कर या मालगुज़ारी का कुछ अंश स्वर्ण-मुद्रा या सोने में चुकाने लगेगी। इस प्रकार भारत-सरकार को भी जनता से कुछ सोना या स्वर्ण-मुद्रा प्रतिवर्ष प्राप्त होने लगेगी। और, जब सरकार के पास स्वर्ण-मुद्रा की मात्रा काफ़ी अधिक हो जाय, तब वह ऐसी नई कागज़ी मुद्रा निकालना आरंभ करे, जिनका स्वर्ण-मुद्रा में भुगतान किया जा सके। जितने परिमाण में यह नई कागज़ी मुद्रा निकाली जाय उतने ही परिमाण की पुरानी कागज़ी मुद्रा, जिसका चाँदी के रुपयों में ही भुगतान किया जा सकता है, वापस ले ली जाय। यदि २० करोड़ रुपयों की पुरानी कागज़ी मुद्रा इस प्रकार प्रतिवर्ष वापस ले ली जाया करे, तो पाँच वर्षों के अंदर ही भारत में पूर्ण रूप से ऐसी नई कागज़ी मुद्रा का प्रचार हो जायगी, जिसका भुगतान स्वर्ण-मुद्रा में हो सकेगा।

उपसंहार

यदि उपर्युक्त योजना के अनुसार कार्य किया जाय, तो हमें पूर्ण विश्वास है कि अधिक-से-अधिक दस वर्षों के अंदर ही भारत में स्वर्ण-मुद्रा का आसानी से देश-भर में पूर्ण रूप से प्रचार हो जायगा, और करेंसी-संबंधी एक बहुत बड़ी समस्या हल हो जायगी। तब सरकारी करेंसी-संबंधी नीति में जनता का भी विश्वास बढ़ जायगा, और करोड़ों रुपयों का जो सोना आजकल ज़मीन में गड़ा हुआ है, उसके सिक्के ढाले जाकर, वह रुपए-पैसे के रूप में उपयोग होने लगेगा, जिससे देश को बड़ा लाभ होगा। स्वर्ण के प्रामाणिक सिक्कों के प्रचार से भारतीय विनिमय की दर हमेशा के लिये स्थिर हो जायगी। इस दर का स्थिर रखना फिर सरकार के प्रयत्नों पर निर्भर नहीं रहेगा। यह दर स्वर्ण-आयात-निर्यात-दरों के बीच में ही घटा-बढ़ा करेगी। भारतीय व्यापार विनिमय की दर के घट-बढ़-संबंधी जोखिम से बच जायगा, और उसकी उन्नति होने लगेगी। आशा है, भारत-सरकार भारत में स्वर्ण-मुद्रा का स्वतंत्र रूप से प्रचार करना शीघ्र ही आरंभ कर देगी, और भारतीय व्यवस्थापक सभा में हमारे प्रतिनिधिगण उसे ऐसा करने के लिये शीघ्र बाध्य करेंगे।

परिशिष्ट (१)

रुपया-पैसा-संबंधी पारिमाणिक सिद्धांत

इस परिशिष्ट में हम यह बतलाने का प्रयत्न करते हैं कि किसी भी देश में सब वस्तुओं की दर के एकसाथ घटने-बढ़ने का प्रधान कारण क्या रहता है। जब कोई दो-चार वस्तुओं की क़ीमत में वृद्धि होती है, तो उसके तुरंत ही कई कारण बता दिए जाते हैं। जैसे, माँग का अचानक बढ़ जाना, उत्पादन-ख़र्च का किसी कारण से बढ़ना या पैदावार का ज़रूरत से कम हो जाना इत्यादि। परंतु सब वस्तुओं की क़ीमत एकसाथ बढ़ने के ये ही कारण नहीं हो सकते; क्योंकि ऐसा होना तो संभव नहीं कि सब वस्तुओं की माँग एकसाथ अचानक बढ़ जाय, या सब वस्तुओं की पैदावार ज़रूरत से कम हो जाय। इस वृद्धि का कोई एक ऐसा कारण होना चाहिए, जिसका प्रभाव सब वस्तुओं पर एक-सा पड़ता हो। रुपया-पैसा (Money) विनिमय का एक साधन-मात्र है, और सब वस्तुओं की क़ीमत रुपए-पैसे ही में बतलाई जाती है। इसलिये जब इसी साधन (रुपए-पैसे) के परिमाण और चलन-गति में परिवर्तन होते

हैं, तब उनका असर सब वस्तुओं पर एक-सा पड़ता है। इन परिवर्तनों का असर वस्तुओं की क़ीमत पर किस प्रकार पड़ता है, यह उदाहरणों द्वारा नीचे बतलाया जाता है—

रुपए-पैसे के परिमाण का वस्तुओं की क़ीमत पर प्रभाव

मान लीजिए, संपूर्ण भारत में २०० करोड़ रुपए के सिक्के और नोट किसी समय उपयोग में लाए जाते हैं। इनके द्वरा कई करोड़ रुपयों का लेन-देन प्रतिवर्ष होता है। यदि लेन-देन की मात्रा उतनी ही रहे, और सरकार नए सिक्के ढालकर और नोटों का प्रचार बढ़ाकर चालू रुपए-पैसे का परिमाण ४०० करोड़ रुपए कर दे, तो देशवासियों के पास पहले की अपेक्षा दुगने रुपए हो जायँगे, और कई व्यक्ति प्रत्येक वस्तु के लिये दुगनी क़ीमत देने को तैयार हो जायँगे। सब प्रकार की वस्तुओं की क़ीमत भी प्रायः दुगनी हो जायगी, और कुछ समय के बाद मज़दूरी और वेतन भी दुगने हो जायँगे। प्रत्येक व्यक्ति के पास प्रायः उतनी ही वस्तुएँ रहेंगी, जितनी कि पहले थीं। जो काम पहले एक रुपए में होता था, और जो वस्तु पहले एक रुपए में मिलती थी, उसके लिये अब दो रुपए देने पड़ेंगे, अर्थात् रुपए की क़ीमत घटकर पहले से आधी हो जायगी।

रुपए-पैसे की चलन-गति का वस्तुओं की क़ीमत पर प्रभाव

रुपए-पैसे के चलन-गति का प्रभाव वस्तुओं की क़ीमत पर दूसरी तरह से पड़ता है। रुपए-पैसे का एक हाथ से दूसरे हाथ

में आना-जाना हमेशा होता ही रहता है। रुपया पहले सरकारी खज़ानों से सरकारी नौकरों को वेतन-रूप में जाता है। वहाँ से सौदागरों के पास, फिर वहाँ से बैंकरों के पास पहुँचता है। वहाँ से कंपनियों और मिलों को मज़दूरों की मज़दूरी चुकाने के लिये दिया जाता है। उसके बाद वह सौदागरों के पास से थोक-फ़रोशों के पास होता हुआ फिर से बैंकों में पहुँच जाता है। उसका कुछ भाग किसानों के पास भी जाकर मालगुज़ारी के रूप में सरकारी खज़ानों में पहुँच जाता है। यदि सड़कों तथा नई रेल-लाइनों के बन जाने से वस्तुओं के एक स्थान से दूसरे स्थान को ले जाने में सुबीता हो जाय, बैंकों का प्रचार खूब हो जाय, अथवा रुपयों के बदले देशवासी चेक का अधिक उपयोग करने लगें, तो देश का चालू रुपया-पैसा व्यापार के भिन्न-भिन्न मार्गों द्वारा अधिक वेग से काम करने लगता है। उसका एक हाथ से दूसरे हाथ में आना-जाना अधिक फुर्ती से होने लगता है, उसकी चलन-गति बढ़ जाती है। चलन-गति बढ़ने से वही रुपया-पैसा अधिक लेन-देन करने में समर्थ हो जाता है, और यदि लेन-देन की मात्रा न बढ़ी, तो फिर वस्तुओं का मूल्य उतना ही बढ़ने लगता है, जितनी चलन-गति बढ़ती है ; क्योंकि रुपए-पैसे अब पहले की अपेक्षा कई बार अधिक काम में लाए जाते हैं, जिसका वही असर होता है, जो रुपए-पैसे की परिमाण बढ़ने से होता है। परंतु रुपए-पैसे की चलन-

गति अचानक नहीं बढ़ती। उसका घटना-बढ़ना जनता के व्यवहार पर बहुत कुछ निर्भर रहता है। और, व्यवहार में बहुत धीरे-धीरे परिवर्तन होता है, इसलिये यदि कभी सब वस्तुओं की क़ीमत में अचानक वृद्धि हो, तो उसका कारण रुपए-पैसे के परिमाण का बढ़ना ही हो सकता है।

रुपया-पैसा-संबंधी पारिमाणिक सिद्धांत

उपर्युक्त विवेचन से यह मालूम हो गया होगा कि वस्तुओं की दर रुपए-पैसों के परिमाण, उसकी चलन-गति और लेन-देन की मात्रा पर निर्भर रहती है। इन तीनों का क़ीमत से संबंध बहुधा सिद्धांत के रूप मे बतलाया जाता है, और इसे रुपए-पैसे-संबंधी पारिमाणिक सिद्धांत (Quantity Theory of Money) कहते है। यह सिद्धांत इस प्रकार है—

वस्तुओं की क़ीमत उसी अनुपात में बढ़ती है, जिस अनुपात में चालू रुपए-पैसे का परिमाण या उसकी चलन-गति बढ़ती है, यदि लेन-देन की मात्रा पहले के बराबर रहे। और, यदि चालू रुपए-पैसे का परिमाण और उसकी चलन-गति में परिवर्तन न हो, तो वस्तुओं की क़ीमत उसी अनुपात में घटती है, जिस अनुपात में वार्षिक लेन-देन की मात्रा बढ़ती है।

यह सिद्धांत सांकेतिक रूप में इस प्रकार लिखा जाता है—

$$\frac{\text{रु०} \times \text{ग०}}{\text{ले०}} = \text{क़ी०} \qquad \left(\frac{MV}{T} = P\right)$$

रु०=रुपया-पैसा=चालू सिक्के, करेंसी-नोट और चलतू खाते की अमानत जमा का परिमाण

ग०=रुपए-पैसे के चलन की गति

ले०=वार्षिक लेन-देन की मात्रा

क़ी०=वस्तुओं की क़ीमत

इस सिद्धांत की सत्यता सिद्ध करने के लिये एक भारतीय उदाहरण

गत महायुद्ध के समय इस सिद्धांत की सत्यता बहुत अच्छी तरह से प्रमाणित हो गई। जिन-जिन देशों में वस्तुओं की क़ीमत एकसाथ बढ़ी, उनमें कागज़ी रुपयों का अधिक प्रचार किए जाने से चालू रुपए-पैसे की मात्रा बहुत बढ़ गई थी। भारत में भी ऐसा ही हुआ। सन् १९१२ से १९२१ तक वार्षिक लेन-देन की मात्रा कुछ नहीं बढ़ी, और न रुपए-पैसे की चलन-गति में कुछ अधिक परिवर्तन ही हुआ। हाँ, करोड़ों रुपयों के नए सिक्के ढाले जाने और करेंसी-नोटों (कागज़ी मुद्रा) का अत्यधिक परिमाण में प्रचार किए जाने से चालू रुपए-पैसे का परिमाण अवश्य ही अधिक बढ़ गया, और इन्हीं वर्षों में वस्तुओं की क़ीमतें भी बढ़ गईं। आगे के कोष्ठकों में यह बतलाया गया है कि भिन्न-भिन्न वर्षों के अंत में (३१ दिसंबर को) सिक्के, नोट और प्रधान बैंकों की अमानत जमा का परिमाण क्या था। साथ ही यह भी बतलाया गया है

कि यदि सन् १८७३ की वस्तुओं की क़ीमत १०० के बराबर मान ली जाय, तो अन्य वर्षों में वह क्या थी—

सन्	चालू सिक्के	चालू काग़ज़ी मुद्रा	बैंकों में अमानत जमा	योग [चालू रुपए-पैसे का परिमाण]	वस्तुओं की क़ीमत * (सन् १८७३)=१००
	करोड़ रु०	करोड़ रु०	करोड़ रु०	करोड़ रु०	
१९१२	१८२	६६	९७	३४५	१३७
१९१३	१९१	६५	९८	३५४	१४३
१९१४	१८७	६१	९४	३४२	१४७
१९१५	२०४	६२	९६	३६२	१५२
१९१६	२१५	८२	११४	४११	१८४
१९१७	२३०	१०८	१६१	४९९	१९६
१९१८	२६०	१४७	१६३	५७०	२२५
१९१९	२८०	१८३	२१२	६७५	२७६
१९२०	२५०	१६१	२३५	६४६	२८१
१९२१	२२०	१७३	२०४	५९७	२६०

* इस कालम में जो अंक दिए गए हैं, उनको इंडेक्स-नंबर (Index Number) कहते हैं। ये अंक किस तरह तैयार किए जाते हैं, इसका विवेचन परिशिष्ट नं० २ में किया गया है। इन अंकों द्वारा वस्तुओं की कीमत की तुलना आसानी से की जा सकती है।

उपर्युक्त कोष्ठक से यह पता लगता है कि चालू रुपए-पैसे का परिमाण सन् १९११ तक बढ़ता गया, और क़ीमत भी प्रायः उसी अनुपात में बढ़ी। इन दोनों की पारस्परिक तुलना आसानी से की जा सके, इसलिये यदि हम १९१२ के चालू रुपए-पैसे के परिमाण और वस्तुओं की क़ीमत १००-१०० मान लें, तो अन्य वर्षों के चालू सिक्के का परिमाण और वस्तुओं की क़ीमत नीचे के कोष्ठक में दिए हुए अनुसार होगी—

सन्	चालू रुपए-पैसे का परिमाण	वस्तुओं की क़ीमत
१९१२	१००	१००
१९१३	१०२	१०४
१९१४	९९	१०७
१९१५	१०५	१११
१९१६	११९	१३४
१९१७	१४५	१४३
१९१८	१६५	१६४
१९१९	१९५	२०१
१९२०	१८७	२०५
१९२१	१७३	१९०

इस कोष्ठक में वस्तुओं की क़ीमत और चालू रुपए-पैसे के परिमाण का संबंध बहुत अच्छी तरह दिखाई देता है।

जब १९१२ से १९१९ तक (केवल सन् १९१४ को छोड़कर) चालू रुपए-पैसे का परिमाण बढ़ता गया, तो क़ीमत भी बढ़ती गई। और, सन् १९१७ और १९१८ में क़ीमतें ठीक उसी अनुपात में बढ़ी हुई थीं, जिस अनुपात में चालू रुपए-पैसे का परिमाण बढ़ा था। सन् १९२० में रुपए-पैसे के परिमाण का कम होना आरंभ हुआ। परंतु वस्तुओं की क़ीमतें १९२१ में कम होने लगीं। इसका कारण यह है कि रुपए-पैसे की घट-बढ़ का असर क़ीमत पर पड़ते-पड़ते कुछ समय व्यतीत हो जाता है।

उपसंहार

उपर्युक्त कोष्ठक और विवेचन से यह भली भाँति सिद्ध होता है कि भारतीय वस्तुओं की दर बढ़ने का प्रधान कारण चालू रुपए-पैसे की परिमाण-वृद्धि अर्थात् नए सिक्कों का अधिक परिमाण में ढाला जाना और काग़ज़ी रुपए का अधिक परिमाण में प्रचार करना था। अन्य देशों में भी ऐसा ही हुआ है। जब किसी देश में सब वस्तुओं की क़ीमत एकसाथ घटने-बढ़ने लगे, तो उसका कारण चालू रुपए-पैसे के परिमाण की घट-बढ़ या रुपए-पैसे की चलन-गति की घट-बढ़ रहती है। रुपए-पैसे की चलन-गति में घट-बढ़ बहुत धीरे-धीरे, कई वर्षों में, होती है। इसलिये वस्तुओं की क़ीमत के घट-बढ़ का प्रधान कारण प्रायः

रुपए-पैसे के परिमाण की घट-बढ़ ही रहती है। वस्तुओं की क़ीमत स्थिर रखने का एक-मात्र तरीक़ा यह है कि चालू रुपए-पैसे की मात्रा ठीक उसी अनुपात में बढ़ाई जाय, जिस अनुपात में देश का आंतरिक लेन-देन बढ़ता है, और कागज़ी मुद्रा का अत्यधिक परिमाण में कभी भी प्रचार न किया जाय। वस्तुओं की क़ीमत स्थिर रहने से विदेशी विनिमय की दर में भी अस्थिरता न आने पावेगी।

परिशिष्ट (२)

इंडेक्स-नंबर

जब वस्तुओं की क़ीमतें एकसाथ घटती-बढ़ती हैं, तब वे सब एक-सी नहीं घटती-बढ़तीं। किसी वस्तु की क़ीमत बहुत बढ़ती है, तो किसी की कुछ कम। इसलिये किसी एक स्थान के लिये यह कहना बहुत कठिन हो जाता है कि सब वस्तुओं की क़ीमत कितनी बढ़ी। और, यदि हमको यह मालूम करना हो कि देश-भर में वस्तुओं की क़ीमतों में कितनी घट-बढ़ हुई, तो समस्या और भी जटिल रूप धारण कर लेती है। इन्हीं सब समस्याओं के हल करने और यही बातें जानने के लिये अंक-शास्त्रियों ने एक तरीक़ा निकाल लिया है, जिसे इंडेक्स-नंबर कहते हैं। इंडेक्स-नंबर का उपयोग कुछ अन्य बातों के लिये भी किया जाता है, परंतु प्रायः उसका उपयोग वस्तुओं की क़ीमतों की तुलना करने के लिये ही किया जाता है।

इंडेक्स-नंबर निकालने का तरीक़ा

अब हम वस्तुओं की क़ीमत के संबंध का इंडेक्स-नंबर तैयार करने का तरीक़ा एक उदाहरण लेकर समझाते हैं।

मान लीजिए, हमको यह मालूम करना है कि गत ८-६ वर्षों में वस्तुओं की क़ीमत में कितनी वृद्धि हुई। यह जानने के लिये पहले हमको एक ऐसा वर्ष चुन लेना होगा, जिसकी क़ीमतों से अन्य वर्षों की क़ीमतों की तुलना की जायगी। यह वर्ष ऐसा होना चाहिए, जिसमें कोई विशेष उलट-पुलट या डाँवाडोल पैदा करनेवाली बात न हुई हो। इसलिये यदि हम अन्य वर्षों की क़ीमतों की सन् १९१३ की क़ीमतों से तुलना करें, तो ठीक होगा; क्योंकि वह महायुद्ध के पहले का प्रथम वर्ष था, और उसमें कोई असाधारण बात नहीं हुई थी।

वस्तुओं का चुनाव

वर्ष चुन लेने के बाद हमको यह निश्चय कर लेना चाहिए कि कौन-कौन-सी वस्तुओं की क़ीमत मालूम करना आवश्यक है। वैसे तो बाज़ार में हज़ारों तरह की वस्तुएँ बेची जाती हैं, और यदि सब वस्तुओं की क़ीमतें प्रतिदिन, प्रतिस्थान में, मालूम करने का प्रयत्न किया जाय, तो कार्य असंभव हो जाय। इसलिये कुछ ख़ास-ख़ास ऐसी वस्तुएँ चुन ली जाती हैं, जो प्रायः सभी के उपयोग में हमेशा ही आती रहती हैं। प्रत्येक देश में, जहाँ क़ीमतों का इंडेक्स-नंबर तैयार किया जाता है, प्रायः ४०-५० वस्तुएँ इस काम के लिये चुन ली जाती हैं, और उन्हीं की क़ीमत जानने का प्रयत्न किया जाता है। प्रत्येक वस्तु की क़ीमत उन-उन

स्थानों से प्राप्त की जाती है, जहाँ उनकी ख़रीद और बिक्री बहुत अधिक परिमाण में होती है। इसलिये प्रत्येक वस्तु के लिये ख़ास-ख़ास स्थान चुन लिए जाते हैं, और वहाँ से उस वस्तु की क़ीमत प्रतिदिन या प्रति सप्ताह जानने का प्रयत्न किया जाता है। चुने हुए स्थानों से चुनी हुई वस्तुओं की क़ीमतें एकत्र करते समय इस बात का ध्यान रखना अत्यंत आवश्यक है कि हमेशा क़ीमत उसी वस्तु और उसी तर्ज़ की वस्तु की ली जाया करे। ऐसा नहीं कि एक समय तो सबसे बढ़िया तर्ज़ की वस्तु की और दूसरे समय मामूली तर्ज़ की वस्तु की क़ीमत मालूम कर ली जाय।

वार्षिक औसत क़ीमत

उपर्युक्त ढंग से जब चुने हुए स्थानों से चुनी हुई वस्तुओं की साल-भर की क़ीमतें मालूम हो जाती हैं, तो फिर प्रत्येक वस्तु की सालाना औसत क़ीमत निकाली जाती है। वार्षिक औसत क़ीमत निकालने का तरीक़ा बहुत सरल है। मान लीजिए, गेहूँ की क़ीमत भारत में २० स्थानों से प्रति सप्ताह एकत्र की गई। इस प्रकार प्रत्येक स्थान से गेहूँ की ५२ क़ीमतें इकट्ठी हो जायँगी। यदि इन सब ५२ क़ीमतों को जोड़कर ५२ का ही भाग दे देवें, तो उस स्थान की गेहूँ की वार्षिक औसत क़ीमत मालूम हो जायगी। इसी प्रकार बीस स्थानों की वार्षिक औसत क़ीमत मालूम करके

उन्हें जोड़कर यदि बीस का भाग दे देवें, तो देश-भर की गेहूँ की वार्षिक औसत क़ीमत मालूम हो जायगी। इसी प्रकार अन्य वस्तुओं की वार्षिक औसत क़ीमत भी मालूम की जा सकती है।

इंडेक्स-नंबर तैयार करने के लिये उदाहरण

वस्तुओं की वार्षिक औसत क़ीमतों से जनरल (देश की क़ीमतों का) इंडेक्स-नंबर निकालने का तरीक़ा, भारत की कुछ ख़ास-ख़ास वस्तुओं की क़ीमत लेकर, नीचे समझाया जाता है। निम्न-लिखित कोष्ठक में यह बतलाया गया है कि भारत में चावल, गेहूँ, जुवार, नमक और सूती कपड़े का, सन् १९१३ से १९२० तक, औसत वार्षिक क़ीमत क्या थी—

सन्	चावल (फ़ी मन) रु० आ० पा०	गेहूँ (फ़ी मन) रु० आ० पा०	जुवार (फ़ी मन) रु० आ० पा०	नमक* (फ़ी मन) रु० आ० पा०	सूती कपड़ा† (फ़ी थान) रु० आ० पा०
१९१३	५- ३-०	३-११-६	३- ०-०	०- ८-७½	५- ४-०
१९१४	५- ४-६	४- ६-६	३- ४-९	०- ९- ६	४-१२-०
१९१५	६- ०-०	५- ६-०	३- ४-०	१- ४- ०	३- २-०
१९१६	६- १ ०	४-१३-०	२-१२-९	१- ९ -१½	५- ०-०
१९१७	५- १-०	४-१२-६	३- १-३	२- ४- ०	७- २-०
१९१८	४- २-०	५- ९-६	५- २-३	२- ६ ९	१२- ४-०
१९१९	६-१५-६	८- ३-६	६-१५-४	१-१२- ३	१२-१२-०
१९२०	८- ६-०	७- ०-०	५-८ -०	१- ८- २	१४- २-०

* लिवरपूल से आए हुए नमक की क़ीमत बिना ड्यूटी दिए।

† टी क्लाथ की क़ीमत; थान ६४ गज़ लंबा और ४४ इंच चौड़ा।

उपर्युक्त कोष्ठक में दी हुई पाँचों वस्तुओं की वार्षिक औसत क़ीमतें (Index number of prices in India)-नामक सरकारी रिपोर्ट से ली गई हैं। इन पाँच वस्तुओं की वार्षिक औसत क़ीमत मालूम कर लेने पर, फिर १९१३ की प्रत्येक वस्तु की क़ीमत १०० के बराबर मान ली गई है, और त्रैराशिक लगाकर यह हिसाब लगाया गया है कि अन्य वर्षों की ऊपर लिखी क़ीमतें कितने के बराबर होंगी। इस प्रकार हिसाब लगाकर मालूम की हुई संख्याएँ उन वस्तुओं की क़ीमत का भिन्न-भिन्न वर्षों का इंडेक्स-नंबर कहलाती हैं। १९१३ में चावल की औसत वार्षिक क़ीमत ५ रु० ३ आने फ़ी मन थी, जो यदि सौ के बराबर मान ली जाय, तो १९१४ की चावल की औसत वार्षिक क़ीमत (५ रु० ४ आने फ़ी मन) कितने के बराबर है, यह जानना चाहिए। हिसाब लगाने से मालूम होता है कि वह १०२ है। इसलिये १०२ चावल की क़ीमत का १९१४ का इंडेक्स-नंबर हुआ। इसी प्रकार चावल की क़ीमत का अन्य वर्षों का इंडेक्स-नंबर और अन्य चार वस्तुओं की क़ीमत का सब वर्षों का इंडेक्स-नंबर निकाला जा सकता है। आगे के कोष्ठक में पाँचों वस्तुओं की क़ीमत का इंडेक्स-नंबर दिया जाता है—

वस्तुओं के नाम	वस्तुओं का इंडेक्स-नंबर							
	१९१३	१९१४	१९१५	१९१६	१९१७	१९१८	१९१९	१९२०
(१) चावल	१००	१०२	११६	१२१	९७	८०	१३४	१६१
(२) गेहूँ	१००	११९	१४४	१३०	१२९	१५१	२२१	१८८
(३) जुवार	१००	११०	१०८	९३	१०३	१७०	२३२	१८३
(४) नमक	१००	१११	२३३	२९२	४२०	४५१	३२८	२८०
(५) सूती कपड़ा	१००	९०	७९	९५	१३६	२३३	२४३	२६९
मीज़ान	५००	५३२	६८०	७३१	८८५	१,०८५	१,१५८	१,०८१
देश की क़ीमतों का इंडेक्स-नंबर	१००	१०६	१३६	१४६	१७७	२१७	२३१	२१६

जब सब वस्तुओं का इंडेक्स-नंबर अलग-अलग मालूम हो जाय, तो जनरल (देश की क़ीमतों का) इंडेक्स-नंबर निकालना बहुत सरल है। इसके लिये यदि प्रतिवर्ष का सब वस्तुओं का इंडेक्स-नंबर जोड़ दिया जाय, और योगफल को वस्तुओं की संख्या से भाग दिया जाय, तो वह भागफल ही उस वर्ष का देश की क़ीमतों का जनरल इंडेक्स-नंबर होगा। उपर्युक्त कोष्ठक से मालूम होता है कि सन् १९१९ का

जनरल इंडेक्स-नंबर २३१ और १९२० का २१६ था। इसका अर्थ यह है कि सन् १९१९ और १९२० में वस्तुओं की क़ीमत सन् १९१३ की अपेक्षा १३१ और ११६ फ़ी सैकड़ा क्रमशः अधिक थी। इसी प्रकार अन्य वर्षों के जनरल इंडेक्स-नंबर का अर्थ भी समझा जा सकता है।

संसार के कुछ देशों का वस्तुओं की क़ीमत बतलानेवाला इंडेक्स-नंबर

उपर्युक्त उदाहरण में केवल पाँच वस्तुओं की क़ीमतों के आधार पर इंडेक्स-नंबर तैयार किया गया है। परंतु जिन देशों में सरकार या किसी संस्था द्वारा इंडेक्स-नंबर तैयार किए जाते हैं, वहाँ क़रीब ३०-४० वस्तुओं की क़ीमतों का २०-३० स्थानों से पता लगाया जाता है।

लंदन से एकॉनॉमिस्ट (Economist)-नामक एक साप्ताहिक पत्र प्रकाशित होता है। उसमें संसार के मुख्य-मुख्य देशों के वार्षिक तथा मासिक जनरल इंडेक्स-नंबर दिए रहते हैं। उससे हम भारत, जापान, अमेरिका (संयुक्तराष्ट्र), इँगलैंड, फ्रांस, इटली और जर्मनी के कुछ वर्षों के जनरल इंडेक्स-नंबर अगले पृष्ठ पर देते हैं। इनकी आपस में तुलना करने से मालूम हो जायगा कि भिन्न-भिन्न देशों में वस्तुओं की क़ीमतें किस तरह और कितनी बढ़ीं, और आजकल उनकी दशा क्या है—

जनरल इंडेक्स-नंबर

सन्	भारत	अमेरिका	इँगलैंड	जापान	फ्रांस	इटली	जर्मनी
१९१३	१००	१००	१००	१००	१००	१००	१००
१९१८	१८०	१९४	२२५	१९६	३३९	४०९	२१७
१९२१	१८१	१४७	१८१	२००	३४५	५७७	४,२१७
१९२२	१८०	१४९	१५९	१९६	३२७	५६२	२,०५,४१७
१९२३	१७६	१५४	१६२	१९९	४१९	५७४	१४०
१९२४	१७७	१५०	१७४	२०६	४८८	५८५	१४७
१९२५	१६४	१५८	१६६	२०१	५५०	६८९	१४३
१९२६ (जनवरी)	१५५	१५६	१५१	१९२	६३०	७१४	१४१

उपर्युक्त कोष्ठक से पता लगता है कि सबसे अधिक क़ीमत जर्मनी में बढ़ी थी। वहाँ पर कागज़ी मुद्रा के अत्यधिक प्रचार से सन् १९२२ में वस्तुओं की क़ीमत दो हज़ारगुने से भी अधिक हो गई थी। परंतु. जैसे ही वहाँ कागज़ी मुद्रा वापस ले ली गई, और सोने के सिक्कों का स्वतंत्र रूप से प्रचार होने लगा. क़ीमतें घटकर महायुद्ध के पहले से ड्योढ़ी रह गईं। फ्रांस और इटली में आजकल भी क़ीमतें महायुद्ध के पहले की अपेक्षा छ-सातगुनी हैं। जापान में वस्तुओं की क़ीमतें दुगनी से अधिक हैं। भारत और इँगलैंड में वस्तुओं की

क़ीमतें अब कम हो रही हैं, और महायुद्ध के पहले की अपेक्षा क़रीब डेढ़गुनी हैं। अमेरिका का भी यही हाल है। इन देशों में वस्तुओं की क़ीमत गिरने का युग आरंभ हो गया है।

रहन-सहन का ख़र्च बतलानेवाला इंडेक्स-नंबर

अब प्रसंगवश हम यह भी बतला देना आवश्यक समझते हैं कि वस्तुओं की क़ीमत बढ़ने से रहन-सहन के ख़र्च की वृद्धि किस प्रकार से निकाली जा सकती है। ख़र्च की वृद्धि उन वस्तुओं की क़ीमत के बढ़ने पर निर्भर रहती है, जो किसी ख़ास दर्जे के मनुष्यों द्वारा बहुतायत से उपयोग में लाई जाती हैं। इसलिये सब मनुष्यों के लिये ख़र्च की वृद्धि एक-सी नहीं होती। किसी ख़ास दर्जे के मनुष्यों की रहन-सहन के ख़र्च की वृद्धि जानने के लिये यह जानना आवश्यक है कि उस दर्जे के मनुष्य भिन्न-भिन्न वस्तुओं पर अपनी आमदनी का कितना भाग ख़र्च करते हैं। यदि हम यह मान लें कि किसी एक कुटुंब में चावल, गेहूँ, जुवार, नमक और सूती कपड़े पर क्रमानुसार ३०, ३०, २४, १, और १५ के अनुपात में ख़र्च किया जाता है, तो पृष्ठ १२६ के कोष्ठक में दी हुई वस्तुओं के सन् १९२० के इंडेक्स-नंबर के अनुसार उस कुटुंब की रहन-सहन की व्यय-वृद्धि आगे लिखे तरीक़े से निकाली जा सकेगी। उस वर्ष के प्रत्येक वस्तु के इंडेक्स-नंबर को उस संख्या से गुणा कर दिया जायगा, जिस

अनुपात में कुटुंब द्वारा उस पर ख़र्च किया जाता है, और सब गुणनफलों को जोड़कर, योगफल को गुणा करनेवाली संख्याओं के योग से भाग दे दिया जायगा। तब भागफल से मालूम हो जायगा कि रहन-सहन के ख़र्च में कितनी वृद्धि हुई। उदाहरण के लिये उसका हिसाब नीचे के कोष्टक में लगाया जाता है—

वस्तुएँ	सन् १९२० की क़ीमतों का इंडेक्स-नंबर	कुटुंब द्वारा प्रत्येक वस्तु पर किस अनुपात में ख़र्च किया गया	इंडेक्स-नंबर और अनुपात का गुणनफल
चावल	१६१	३०	४,८३०
गेहूँ	१८८	३०	५,६४०
जुवार	१८३	२४	४,३९२
नमक	२८०	१	२८०
सूती कपड़ा	२६९	१५	४,००५
मीज़ान	१,०८१	१००	१९,४४७
रहन-सहन का वृद्धि-दर्शक इंडेक्स-नंबर			१९४

बंबई में रहन-सहन का व्यय-सूचक इंडेक्स-नंबर

बंबई-सरकार के मज़दूर-विभाग (Labour Department) से लेबर-गजट (Labour Gazette)-नामक एक

मासिक पत्र प्रकाशित होता है। उसमें यह दिया रहता है कि बंबई-शहर में वस्तुओं की क़ीमत की घट-बढ़ के कारण वहाँ के निवासियों की रहन-सहन के ख़र्चे में प्रतिमास या प्रति-वर्ष कितनी घट-बढ़ हुई। हम उसी गज़ट से, सन् १९२५ के बारह महीनों का बंबई-निवासियों का रहन-सहन-व्यय-दर्शक इंडेक्स-नंबर और जनरल (क़ीमत की घट-बढ़ बतलाने-वाला) इंडेक्स-नंबर नीचे के कोष्ठक में देते हैं—

महीना		बंबई में रहन-सहन का व्यय-सूचक इंडेक्स नंबर (जुलाई, १९१४=१००)	बंबई का जनरल (क़ीमतों का) इंडेक्स-नंबर (जुलाई, १९१४=१००)
जनवरी	१९२५	१५७	१७३
फ़रवरी	,,	१५७	१७३
मार्च	,,	१५९	१७१
एप्रिल	,,	१५८	१६५
मई	,,	१५६	१६४
जून	,,	१५४	१६०
जुलाई	,,	१५७	१५८
अगस्त	,,	१५२	१६०
सितंबर	,,	१५१	१५७
ऑक्टोबर	,,	१५३	१५८
नवंबर	,,	१५३	१६०
दिसंबर	,,	१५५	१५५

उपर्युक्त कोष्टक से मालूम होता है कि बंबई में वस्तुओं की क़ीमत कम हो रही है। एक वर्ष में वह १७५ से १५५ तक कम हुई। परंतु रहन-सहन का खर्च केवल १५७ से १५५ तक ही कम हुआ।

इसका कारण यह है कि जिन वस्तुओं की क़ीमतें कम हुई हैं, वे अधिक उपयोग में नहीं लाई जातीं। जिन वस्तुओं का उपयोग बहुत अधिक होता है, उनकी क़ीमतें साधारणतः स्थिर ही रहीं। दूसरी बात ध्यान देने-योग्य यह है कि रहन-सहन के खर्च में घट-बढ़ ठीक उसी अनुपात में नहीं हुई, जिस अनुपात में क़ीमतें घटीं या बढ़ीं। ऐसा ही सब जगह, सब देशों में, होता है। वस्तुओं की मूल्य-वृद्धि का प्रभाव परिस्थितियों और आवश्यकताओं के अनुसार भिन्न-भिन्न व्यक्तियों या व्यक्ति-समुदायों पर भिन्न-भिन्न पड़ता है।

परिशिष्ट (३)

कागज़ी मुद्रा और कागज़ी मुद्रा-कोष

कागज़ी मुद्रा का उपयोग

आजकल सभ्य देशों में चाँदी-सोने के अतिरिक्त वस्तुओं के क्रय-विक्रय में कागज़ी मुद्रा का भी बहुल उपयोग होता है। वही देश अधिक सभ्य समझा जाता है, जहाँ कागज़ी मुद्रा का उचित रूप से अधिक प्रचार हो। इँगलैंड में चेक, अमेरिका तथा योरप के अन्य देशों में बैंक-नोट और प्रायः सब देशों में करेंसी-नोटों (कागज़ी मुद्रा) का इतना प्रचार बढ़ गया है कि सोना और चाँदी तो केवल बैंकों और सरकारी खज़ानों में ही रक्खा रहता है, और इन देशों का प्रायः सब लेन-देन कागज़ी मुद्रा द्वारा हुआ करता है।

कागज़ का सबसे पहले मुद्रा के रूप में उपयोग करने-वाले चीननिवासी थे। उस देश में कागज़ी मुद्रा कई शताब्दियों से प्रचलित है। योरप में भी गत चार-पाँच सदियों से उसका प्रचार आरंभ हुआ है, परंतु भारत में अँगरेज़ों के यहाँ आने के पूर्व कागज़ी मुद्रा का प्रचार बिल-कुल नहीं था। अब इनका प्रचार भारत में दिन-दिन बढ़

रहा है, और बड़े-बड़े शहरों में चेक भी उपयोग में लाए जाते हैं ।

कागज़ी मुद्रा के भेद

कागज़ी मुद्रा प्रायः दो प्रकार की होती है—एक तो बैंक-नोट, जो बैंक द्वारा निकाला जाता है; और दूसरे, करेंसी-नोट, जो सरकार द्वारा निकाला जाता है । यह ध्यान रहे कि हम कागज़ी मुद्रा में हुंडी, प्रामिसरी नोट इत्यादि को शामिल नहीं करते ; क्योंकि एक तो ये प्रायः दर्शनी नहीं रहते ; और दूसरे, उनका उपयोग लेन-देन में रुपए-पैसे (Money) के समान नहीं होता । जहाँ पर चेक तथा दर्शनी हुंडियाँ रुपए-पैसे की तरह लेन-देन में लाई जाती हैं, वहाँ वे भी कागज़ी मुद्रा में ही शामिल की जा सकती हैं ।

भारत में कागज़ी मुद्रा का उपयोग

सन् १८४० से बंगाल, मदरास और बंबई के बैंकों को नोट (कागज़ी मुद्रा) निकालने का अधिकार था । परंतु वे नोट क़ानूनन् ग्राह्य (Legal Tender) न होने के कारण अधिक प्रचलित न हो सके । सन् १८६१ में भारत-सरकार ने इन बैंकों से नोट निकालने का अधिकार ले लिया, और खुद करेंसी-नोट (कागज़ी मुद्रा) निकालना आरंभ कर दिया ।

इन करेंसी-नोटों में लिखी हुई रक़म, नोटों के रखनेवालों के माँगने पर, सरकार उसी समय चाँदी के रुपयों में देने का वचन देती है। ये नोट अपरिमित परिमाण में क़ानूनन् ग्राह्य (Unlimited Legal Tender) भी बना दिए गए हैं।

इनका प्रचार तथा मूल्य सरकार की साख पर निर्भर रहता है। नीचे दिए हुए अंकों से यह मालूम होगा कि सन् १८६५ के बाद कागज़ी मुद्रा (करेंसी-नोटों) का प्रचार ब्रिटिश-भारत में कितना बढ़ा—

तारीख़ और सन्	कागज़ी मुद्रा का प्रचार (करोड़ रुपयों में)
३१ मार्च, सन् १८६५	७·४३
,, ,, १८७५	११·२४
,, ,, १८८५	१४·५८
,, ,, १८९५	३०·७०
,, ,, १९०५	३९·१८
,, ,, १९१५	६१·६३
,, ,, १९२०	१७४·५२
,, ,, १९२६	१९२·१२

इन अंकों से यह स्पष्ट मालूम होता है कि गत दस-ग्यारह वर्षों में नोटों का उपयोग भारत में खूब बढ़ा। पहलेपहल भारत में करेंसी के पाँच अहाते नियुक्त कर

दिए गए थे, और एक अहाते का नोट दूसरे अहाते में नहीं भँजाया जा सकता था। इससे इनके प्रचार में बड़ी बाधा होती थी। सन् १९०३ से पाँच रुपए के नोट, और सन् १९१० से दस रुपए के नोट सब अहातों में भँजाए जाने लगे, और आजकल १००) और उससे कम के नोट भारत में सब जगह भँजाए जा सकते हैं। इसके सिवा जहाँ तक हो सका, भारत-सरकार ने भी नोटों के भँजाने में सुविधाएँ कर दीं। फिर सन् १९१८ से एक रुपए और ढाई रुपए के नोट भी निकाले गए। इन सब कारणों से गत दस वर्षों में इनका प्रचार खूब बढ़ गया।

काग़ज़ी मुद्रा का अनियमित परिमाण में प्रचार

यह बात सदैव ध्यान में रखनी चाहिए कि कागज़ी मुद्रा के अनियमित परिमाण में प्रचार करने से देश को बहुत नुक़सान पहुँचता है। यदि व्यापार की आवश्यकता से अधिक परिमाण में वह निकाली जाती है, तो उसकी क़ीमत चाँदी तथा सोने के सिक्कों में गिरने लगती है, याने उन पर बट्टा लगने लगता है, और देश में सब वस्तुओं की क़ीमत बढ़ जाती है। साथ-ही-साथ प्रत्येक वस्तु की दो क़ीमतें हो जाती हैं, अर्थात् कागज़ी मुद्रा में कुछ और तथा सोना और चाँदी के सिक्कों में कुछ और। आजकल फ्रांस में कागज़ी मुद्रा का अधिक परिमाण में प्रचार हो गया है, और चाँदी

तथा सोने के सिक्कों का प्रचार बंद-सा हो गया है। इँगलैंड में भी कागज़ी मुद्रा का अधिक परिमाण में प्रचार हो गया था। सन् १९२० में कागज़ी पौंड में प्रत्येक वस्तु की क़ीमत सोने के पौंड (सावरेन) में उसी वस्तु की क़ीमत से एकतिहाई अधिक बढ़ गई थी। अथवा, यों समझिए कि कागज़ी पौंड की क़ीमत उसकी असली क़ीमत से प्रायः एकतिहाई कम हो गई थी। कोई-कोई सरकार तो इससे भी अधिक परिमाण में कागज़ी मुद्रा निकालने लग जाती है, जिसका परिणाम यह होता है कि कागज़ी मुद्रा का मूल्य घटकर बहुत कम हो जाता है; क्योंकि आख़िर वह कागज़ का ही टुकड़ा तो ठहरा।*

यह परिणाम भूतकाल में कई बार हुआ। रूस की बोलशेविक सरकार ने भी ऐसा ही किया। बोलशेविक सरकार ने इतने परिमाण में रूबल-नोट निकाले कि उनकी क़ीमत १) से गिरकर दो पैसे तक हो गई, और इसके बाद भी गिरती ही गई। जर्मनी के कागज़ी मार्क तो एक रुपए में करोड़ों की संख्या में, सन् १९२३-२४ में, मिलते थे। कागज़ी मार्क की क़ीमत प्रायः कोरे कागज़ की क़ीमत के बराबर ही हो गई थी। प्रत्येक सरकार को अधिक परिमाण

---

* किसी कवि ने ठीक ही कहा है—

कागज़ के-से नोट है, बिनु गुन पुरुष कुलीन;
बिकै बिराने देस मे, नहिं कौड़ी के तीन।

में कागज़ी मुद्रा निकालने का बहुत लोभ रहता है ; क्योंकि बिना टैक्सों के बढ़ाए उसे मनमाना रुपया खर्च करने को मिल जाता है ।

कागज़ी मुद्रा-कोष

कागज़ी मुद्रा के अधिक परिमाण में निकालने के प्रलोभनों से बचने के लिये भारत-सरकार ने सन् १८६१ के क़ानून के अनुसार एक कोष की स्थापना की, जिसे 'पेपर-करेंसी-रिज़र्व' कहते हैं । सरकार जितने रुपयों के नोट निकालती है, उतने ही रुपयों की चाँदी, सोना तथा हुंडियाँ इस कोष में रखती है । इस कोष का मुख्य उद्देश्य यह है कि यदि जनता नोटों के बदले में रुपए माँगे, तो भारत-सरकार उनकी माँग की पूर्ति कर सके । आरंभ में इस कोष की सब रक़म, चाँदी-सोने के रूप में, भारत में ही रक्खी जाती थी : परंतु सन् १८९८ से इस संबंध में भारत-सरकार की नीति बदल गई, और इस कोष का कुछ भाग पहले सोने में और फिर विलायती हुंडियों (Securities of the United Kingdom) के रूप में रक्खा जाने लगा । गत महायुद्ध के पहले इस कोष का १४ करोड़ रुपया हुंडियों (Securities) के रूप में क़ानूनन् रक्खा जा सकता था, जिसमें से केवल ४ ही करोड़ की हुंडी विलायत में रक्खी जा सकती थी । किंतु महायुद्ध के समय में कागज़ी मुद्रा-कोष (पेपर-करेंसी-रिज़र्व)-संबंधी

क़ानून में कई परिवर्तन हुए; और, सन् १९२० के मार्च-महीने में जो क़ानून बना, उसके अनुसार भारत-सरकार को इस कोष का १२० करोड़ रुपया हुंडियों के रूप में रखने का अधिकार था।

२२ अगस्त, सन् १९२० को कागज़ी मुद्रा-कोष में नीचे लिखे अनुसार रक़में थीं—

सोना और चाँदी			करोड़ रुपयों में
भारत में	....	....	९३.१४
विलायत में	....	....	....
सरकारी हुंडियाँ (Securities)			
भारत में	....	....	४७.३३
विलायत में	....	....	२१.५२
			१६१.९९

उस दिन कुल नोटों का प्रचार था १६१.९९ करोड़ रुपए।

कोष का कितना भाग सरकारी हुंडियों में रक्खा जाय ?

कागज़ी मुद्रा-कोष का एक बड़ा भाग सरकारी हुंडियों के रूप में रखने से एक बड़ा भारी डर यह रहता है कि सरकार मौक़ा पड़ने पर, जनता की करेंसी-नोट के बदले में रुपया लेने की माँग की पूर्ति ठीक तरह से नहीं कर सकती। इससे सरकारी साख को बड़ा धक्का पहुँचने की आशंका रहती है। सन् १९१९ की करेंसी-कमेटी ने इन्हीं सब बातों को सोचकर पेपर-करेंसी-रिज़र्व के संबंध में आगे लिखी सिफ़ारिशें की थीं—

(१) जितनी रक़म के नोट निकाले जावें, उसका कम-से-कम ४० फ़ी सैकड़ा भाग सोना या चाँदी के रूप में भारत में रहना चाहिए।

(२) कोष में बीस करोड़ रुपयों के वदले भारत-सरकार की हुंडियाँ (Government of India securities) खरीद कर रक्खी जा सकती हैं।

(३) कोष का १० करोड़ रुपया ब्रिटिश-साम्राज्य की ऐसी हुंडियों में लगाया जावे, जो एक साल बाद सकारी जा सकें।

(४) इससे वची हुई कोष की सब रक़म ब्रिटिश-साम्राज्य की ऐसी हुंडियों (Securities of the British Empire) में लगानी चाहिए, जो एक वर्ष के अंदर ही सकारी जा सकें।

(५) भारत में जिस मौसम में व्यापार तेज़ रहता है, उस समय भारत-सरकार ५ करोड़ रुपयों के नोट ऐसी व्यापारिक हुंडियों की ज़मानत पर भी निकाले, जो तीन महीने के अंदर सकारी जा सकती हों।

भारतीय काग़ज़ी मुद्रा-कोष-संबंधी क़ानून

भारत में इस समय (सन् १९२६ में) कागज़ी मुद्रा-संबंधी जो क़ानून प्रचलित हैं, उसकी प्रधान धाराएँ आगे लिखे अनुसार हैं—

(१) जितने रुपयों की काग़ज़ी मुद्रा निकाली जाय, उसके कम-से-कम ५०.फ़ी सैकड़ा की रक़म, सोना या चाँदी के रूप में, भारत में रक्खी जावे ।

(२) कोष का केवल २० करोड़ रुपया ही भारत-सरकार की हुंडियों के ख़रीदने में लगाया जावे । परंतु जब तक पेपर-करेंसी-रिज़र्व में भारत-सरकार की हुंडियाँ २० करोड़ तक की नहीं घटकर हो जातीं, तब तक कोष की भारतीय हुंडियों में लगाई हुई रक़म १०० करोड़ रुपए तक रहे ।

(३) कोष की शेष सब रक़म इँगलैंड की सरकार की ऐसी हुंडियों के ख़रीदने में लगाई जावे, जो एक वर्ष के अंदर सकारी जा सकें ।

(४) काग़ज़ी मुद्रा-संचालक (कंट्रोलर ऑफ़ करेंसी) को यह अधिकार दिया जाता है कि वह ऐसी व्यापारिक हुंडियों की ज़मानत पर, जो तीन महीने के अंदर सकारी जा सकें, व्यापार की तेज़ी के समय बारह करोड़ रुपए की काग़ज़ी मुद्रा निकाल सकता है ।

भारतीय काग़ज़ी मुद्रा-कोष की दशा

सन् १९१९ की करेंसी-कमेटी की सिफ़ारिशों के साथ उपर्युक्त क़ानून का मिलान करने से मालूम होगा कि भारत-सरकार ने उसकी कुछ सिफ़ारिशों को मान लिया है, और कुछ विषयों में उससे भी अधिक उदारता दिखलाने का

प्रयत्न किया है, जिससे भारत की कागजी मुद्रा अब वास्तव में बहुत ही सुरक्षित दशा में हो गई है, और उसके आवश्यकता से अधिक परिमाण में निकाले जाने की आशंका बहुत कम हो गई है।

२२ मार्च, १९२६ को भारतीय कागजी मुद्रा-संबंधी हिसाब नीचे-लिखे अनुसार था—

संपूर्ण कागजी मुद्रा का प्रचार—१९२ करोड़ १२ लाख रु०

कागज़ी मुद्रा-कोष

भारत में चाँदी और चाँदी के सिक्के	८३	,,	७०	,,	,,
भारत में सोना और सोने के सिक्के	२२	,,	३२	,,	,,
इँगलैंड में सोना-चाँदी तथा सिक्के	....		....		
भारत-सरकार की हुंडिएँ (भारत में)	५७	,,	११	,,	,,
ब्रिटिश-सरकार की हुंडिएँ (लंदन में)	२८	,,	९९	,,	,,
कागजी मुद्रा-कोष का योग	१९२	,,	१२	,,	,,

इस हिसाब से मालूम होता है कि इस कोष में क़रीब १०६ करोड़ रुपए सोना-चाँदी तथा सिक्कों के रूप में सुरक्षित हैं। यह रक़म संपूर्ण कागजी मुद्रा-प्रचार के क़रीब ५५ फ़ी सैकड़े के बराबर है। इससे हमारी कागज़ी मुद्रा बहुत सुरक्षित दशा में है, और जब तक कागज़ी मुद्रा-संबंधी क़ानून में बहुत परिवर्तन न किया जाय, तब तक

भारत-सरकार भी अत्यधिक परिमाण में कगाज़ी मुद्रा का प्रचार नहीं कर सकती। परंतु हमारी समझ में कागज़ी मुद्रा-कोष की २८-३० करोड़ रुपयों की रक़म को इँगलैंड-सरकार की हुंडिएँ ख़रीदने में लगाना उचित नहीं है। भारत का धन भारत की ही कृषि, व्यापार तथा उद्योग-धंधों के बढ़ाने में लगाया जाना चाहिए। इस कोष का कोई भी अंश इँगलैंड में रखने या वहाँ की सरकारी हुंडिएँ ख़रीदने में लगाने की कुछ भी आवश्यकता नहीं। यहाँ तो भारत-वासी पूँजी के अभाव से कृषि तथा अन्य अपने उद्योगों को इच्छानुसार बढ़ा नहीं पाते, और वहाँ हमारी सरकार हमारे ही करोड़ों रुपए विलायत में कम व्याज पर देती तथा इँगलैंड की सरकार की हुंडियों के ख़रीदने में लगाती है। देश के हित के लिये भारत-सरकार को अपनी वर्तमान नीति बदलकर कागज़ी मुद्रा-कोष की सब रक़म भारत में ही हमेशा रखना चाहिए।

परिशिष्ट (४)

सहायक पुस्तकों और पत्र-पत्रिकाओं की सूची

इस पुस्तक के लिखने में मैंने निम्न-लिखित पुस्तकों और पत्र-पत्रिकाओं से सहायता ली है—

अँगरेज़ी-पुस्तकें

Goschen—The Theory of Foreign Exchanges.

Clare, G.—The A. B. C. of Foreign Exchanges.

Spalding, W. F.—Foreign Exchanges and Foreign bills.

Spalding, W. F.—Eastern Exchange, Currency and Finance.

Withers, H.—War and the Lombard Street.

Withers, H.—War-time Financial Problems.

Jevons, H. S.—Money, Banking and Exchange in India.

Jevons, H. S.—The Future of Exchange in India.

Madan, B. F.—India's Exchange Problem.

Bhatnagar, B. G.—Currency and Exchange.

Kale, V. G.—Indian Economics, Vol. II.

Report of the Currency Committee of 1893

Report of the Fowler Committee of 1898.

Report of the Chamberlain Commission, 1913-14.

Report of the Babington-Smith Committee of 1919.

Memorandum submitted to the Royal Commission on Indian Currency by Messrs. B. N. Chatterji and Daya Shankar Dubey, in January, 1926.

Index Number of Prices in India (Government of India publication).

अँगरेज़ी-पत्र-पत्रिकाएँ

"The Economist" (Weekly), London.

"The Statist" (Weekly), London.

"The Banker's Magazine" (Monthly), London.

"The Labour Gazette" (Monthly), Bombay.

"The Commerce" (Weekly), Calcutta.

"The Capital" (Weekly), Calcutta.

"The Times of India" (Daily), Bombay.

"The Indian Journal of Economics" (Quarterly), Allahabad.

"The Mysore Economic Journal" (Monthly), Bangalore.

हिंदी-पुस्तकें और पत्र-पत्रिकाएँ

संपत्ति-शास्त्र—पंडित महावीरप्रसादजी द्विवेदी

भारत की सांपत्तिक अवस्था—प्रोफ़ेसर राधाकृष्ण झा

भारतीय संपत्ति-शास्त्र—डॉक्टर प्राणनाथ विद्यालंकार

व्यापार-शिक्षा—पंडित गिरिधर शर्मा

व्यापार-संगठन—पंडित गौरीशंकर शुक्ल

"माधुरी", लखनऊ

"सरस्वती", प्रयाग

"स्वार्थ" *, ज्ञानमंडल, काशी

"साहित्य" *, कलकत्ता

"श्रीशारदा" *, जबलपुर

---

* अब बंद हैं।

परिशिष्ट (५)

पारिभाषिक शब्दों की सूची

इस परिशिष्ट में अर्थ-शास्त्र के उन पारिभाषिक शब्दों की सूची हिंदी और अँगरेज़ी में दी जाती है, जिनका उपयोग इस पुस्तक में किया गया है।

(हिंदी–अँगरेज़ी)

अढ़तिया	Agent.
अनुपात	Proportion.
अपरिमित क़ानूनन्-ग्राह्य	Unlimited Legal Tender.
अर्थशास्त्र	Economics.
आय-व्यय-संबंधी दशा	Financial condition.
आयात	Import.
इंडेक्स-नंबर	Index Number.
उलटी हुंडी	Reverse Council.
अंकशास्त्र	Statistics (Science of)
अंकशास्त्री	Statistician.
कमीशन	Commission.
करेंसी	Currency.
कागज़ी मुद्रा	Paper Money.

कागज़ी मुद्रा-कोष	Paper Currency Reserve.
कागज़ी मुद्रा-संचालक	Controller of Currency.
क़ानूनन्-ग्राह्य	Legal Tender.
कोष्ठक	Table.
चेक	Cheque.
चालू सिक्का	Current Coin or Coin in Circulation.
जहाज़ का भाड़ा	Freight Charges.
जोखिम	Risk.
टकसाली दर	Mint Par.
डिबेंचर बांड	Debenture Bond.
दर्शनी हुंडी	Bill payable at sight.
धात्विक मूल्य	Intrinsic Value.
निर्यात	Export.
पारिमाणिक सिद्धांत	Quantity Theory.
पुनः निर्यात	Re-export.
पूँजी	Capital.
प्रमाण-पत्रीसाख	Documentary Credit.
प्रामाणिक सिक्का	Standard Coin.
प्रॉमिसरी नोट	Promissory Note.
फ़्रैंक (फ़्रांस का सिक्का)	Franc.

बिल्टी	Bill of Lading,
बीमा करना	Insure.
बैंक	Bank.
बैंक-ड्राफ़्ट	Bank Draft.
बैंक-नोट	Bank Note.
ब्याज	Interest.
भारत-सरकार की हुंडी	Council Bill.
मार्क (जर्मनी का सिक्का)	Mark.
मुद्रा-ढलाई-लाभ-कोष	Gold Standard Reserve.
युद्ध-दंड	War Indemnity.
रहन-सहन का ख़र्च	Cost of Living.
रुपया-पैसा	Money.
रोज़गारी हुंडी	Finance Bill.
रंगत	Tone
लेनी-देनी की विषमता	Balance of Accounts.
विदेशी हुंडी	Foreign Bill of Exchange.
विदेशी विनिमय	Foreign Exchange.
विनिमय की दर	Rate of Exchange.
व्यापारिक विषमता	Balance of Trade.
व्यापारिक हुंडी	Commercial Bill.
सट्टा	Speculation.

साखपत्र	Letter of Credit.
सिक्का	Coin.
सिक्यूरिटी (सरकारी हुंडी)	Security.
सांकेतिक सिक्का	Token Coin.
स्वर्ण-आयात-दर	Gold Import Point.
स्वर्ण-निर्यात-दर	Gold Export Point.
हुंडी	Bill of Exchange.

(अँगरेज़ी-हिंदी)

Agent.	अढ़तिया
Balance of Accounts.	लेनी-देनी की विषमता
Balance of Trade.	व्यापारिक विषमता
Bank.	बैंक
Bank Draft.	बैंक-ड्राफ़्ट
Bank Note.	बैंक-नोट
Bill of Exchange.	हुंडी
Bill of Lading.	बिल्टी
Bill payable at sight.	दर्शनी हुंडी
Capital.	पूँजी
Cheque.	चेक
Coin.	सिक्का
Commercial Bill.	व्यापारिक हुंडी

Commission.	कमीशन
Controller of Currency.	कागज़ी मुद्रा-संचालक
Cost of Living.	रहन-सहन का खर्च
Council Bill.	भारत-सरकार की हुंडी (कौंसिल-बिल)
Currency.	करेंसी
Current Coin.	चालू सिक्का
Debenture Bond.	डिबेंचर-बांड
Documentary Credit.	प्रमाण-पत्रीसाख
Economics.	अर्थ-शास्त्र
Export.	निर्यात
Finance Bill.	रोजगारी हुंडी
Financial Condition.	आय-व्यय-संबंधी दशा
Foreign Bill of Exchange.	विदेशी हुंडी
Foreign Exchange.	विदेशी विनिमय
Franc.	फ्रैंक (फ्रांस का सिक्का)
Freight Charges.	जहाज़ का भाड़ा
Gold Export Point.	स्वर्ण-निर्यात-दर
Gold Import Point.	स्वर्ण-आयात-दर
Gold Standard Reserve.	मुद्रा-ढलाई-लाभ-कोष
Import.	आयात

Index Number.	इंडेक्स-नंबर
Insure.	बीमा करना
Interest.	ब्याज
Intrinsic Value.	धात्विक मूल्य
Legal Tender.	कानूनन्-ग्राह्य
Letter of Credit.	साखपत्र
Mark.	मार्क (जर्मनी का सिक्का)
Mint Par.	टकसाली दर
Money.	रुपया-पैसा
Paper Currency Reserve.	कागज़ी मुद्रा-कोष
Paper Money.	कागज़ी मुद्रा
Promissory Note.	प्रामिसरी नोट
Proportion.	अनुपात
Quantity Theory.	पारिमाणिक सिद्धांत
Rate of Exchange.	विनिमय की दर
Re-export.	पुनः निर्यात
Reverse Council.	उलटी हुंडी
Risk.	जोखिम
Security.	सिक्यूरिटी (सरकारी हुंडी)
Speculation.	सट्टा
Standard Coin.	प्रामाणिक सिक्का

Statistician.	अंकशास्त्री
Statistics.	अंकशास्त्र
Table.	कोष्ठक
Token Coin.	सांकेतिक सिक्का
Tone	रंगत
Unlimited Legal Tender.	अपरिमित क़ानूनन्-ग्राह्य
War Indemnity.	युद्ध-दंड

शब्दानुक्रमणिका

भारतवर्षीय हिंदी-अर्थ-शास्त्र-परिषद्

(सन् १९२३ में संस्थापित)

सभापति—श्रीमान् माननीय पंडित गोकरणनाथजी मिश्र एम्० ए०, एल्-एल्० बी०, जज, अवध चीफ़ कोर्ट, लखनऊ।

मंत्री—श्रीयुत पंडित दयाशंकरजी दुबे एम्० ए०, एल्-एल्०बी०, अर्थ-शास्त्र-अध्यापक, प्रयाग-विश्वविद्यालय, प्रयाग; और श्रीयुत जयदेवप्रसादजी गुप्त बी० कॉम०, एस्० एम्० कॉलेज, चंदौसी।

कोषाध्यक्ष—श्रीयुत भूपेंद्रनाथजी चटर्जी एम्० ए०, बी० एल्०, अर्थ-शास्त्र-अध्यापक, कॉमर्स-विभाग, लखनऊ-विश्वविद्यालय, लखनऊ।

संपादन-समिति के सदस्य—श्रीदुलारेलालजी भार्गव, माधुरी और गंगा-पुस्तकमाला के संपादक, लखनऊ; और श्रीयुत पंडित दयाशंकरजी दुबे, अर्थ-शास्त्र-विभाग, प्रयाग-विश्वविद्यालय, प्रयाग।

इस परिषद् का उद्देश है जनता में हिंदी द्वारा अर्थ-शास्त्र का ज्ञान फैलाना, और उसका साहित्य बढ़ाना।

कोई भी सज्जन १) प्रवेश-शुल्क देकर इस परिषद् का

सदस्य हो सकता है। जो सज्जन कम-से-कम १००) की आर्थिक सहायता परिषद् को देते हैं, वे उसके संरक्षक समझे जाते हैं। प्रत्येक सदस्य और संरक्षक को परिषद् द्वारा प्रकाशित या संपादित पुस्तकें पौने मूल्य पर दी जाती हैं।

परिषद् की संपादन-समिति द्वारा निम्न-लिखित पुस्तकों का संपादन हो चुका है या हो रहा है--

(१) भारतीय अर्थ-शास्त्र

(२) विदेशी विनिमय

(३) भारत के उद्योग-धंधे

(४) भारत की मनुष्य-गणना

(५) भारत का आर्थिक भूगोल

हिंदी में अर्थ-शास्त्र-संबंधी साहित्य की कितनी कमी है, यह किसी भी साहित्य-प्रेमी सज्जन से छिपा नहीं। देश के उत्थान के लिये इस साहित्य की शीघ्र वृद्धि होना अत्यंत आवश्यक है। प्रत्येक देश-प्रेमी तथा हिंदी-प्रेमी सज्जन से हमारी प्रार्थना है कि वह इस परिषद् का संरक्षक या सदस्य होकर हम लोगों को सहायता देने की कृपा करे। अर्थ-शास्त्र-संबंधी विषयों के लेखकों को सब प्रकार की सहायता पहुँचाने का प्रबंध परिषद् द्वारा किया जा रहा है। जिन महाशयों ने इस विषय पर कोई लेख या पुस्तक लिखी हो, वे उसे मंत्री के पास भेज दें। लेख या पुस्तक परिषद् द्वारा स्वीकृत होने

पर संपादन-समिति द्वारा विना मूल्य संपादित की जाती है। आर्थिक कठिनाइयों के कारण परिषद् अभी कोई पुस्तक प्रकाशित नहीं कर पाई है, परंतु वह प्रत्येक लेख या पुस्तक को सुयोग्य प्रकाशक द्वारा प्रकाशित कराने का पूर्ण प्रयत्न करती है। जो महाशय अर्थ-शास्त्र-संबंधी किसी भी विषय पर लेख या पुस्तक लिखने में किसी प्रकार की सहायता चाहते हों, वे नीचे लिखे पते से पत्र-व्यवहार करें।

दयाशंकर दुबे
मंत्री

दारागंज, प्रयाग]
